# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price* : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 39, बुधवार, 23 अप्रैल, 1975/3 वैशाख, 1897(शक)

No. 39, Wednesday, April 23, 1975/Vaisakha, 3, 1897 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 752, 753 और 755 | *Starred Questions Nos. 752, 753 and 755 . . . . . | 1 |
| **प्रश्नों के लिखित उतर** | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 754, 756 से 758 और 760 से 770 | Starred Questions Nos. 754, 756 to 758 and 760 to 770 . . . . | 13 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 7278 से 7283, 7285 से 7318, 7230 से 7327, 7329 से 7367, 7369 से 7416, 7418 से 7420, 7422 से 7451, 7453 से 7463 और 7465 से 7477 | Unstarred Questions Nos. 7278 to 7283, 7285 to 7318, 7320 to 7327, 7329 to 7367, 7369 to 7416, 7418 to 7420, 7422 to 7451, 7453 to 7463 and 7465 to 7477 . . . . | 21 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . | 126 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— | Committee on Private Members Bills and Resolutions | — |
| 55वां प्रतिवेदन | Fifty-fifth Report | 131 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee . . | 132 |
| 149वां तथा 151वां प्रतिवेदन | Hundred and Forty-ninth and Hundred and Fifty-first Reports . . | 132 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings | 132 |
| 62वां प्रतिवेदन | Sixty-second Report and Minutes | |
| याचिका समिति | Committee on Petitions | 132 |
| 21वां प्रतिवेदन | Twenty first Report | 132 |
| रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका | Petition re. grievances of Railway Employees . . . . . | 132 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य नें वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the Name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|
| संविधान (38वां संशोधन) विधेयक | Constitution (Thirty-eighth Amendment) bill . . . . . | 133 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider . . | 133 |
| श्री यशवन्त राव चव्हाण | Shri Yeshwantrao Chavan . | 133 |
| श्री समर मुखर्जी | Shri Samar Mukherjee . | 135 |
| श्री के० हनुमन्तैया | Shri K. Hanumanthaiya | 136 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | Shri Indrajit Gupta | 138 |
| श्री बी० आर० भगत | Shri B.R. Bhagat . | 140 |
| श्री जगन्नाथ राव जोशी | Shri Jagannathrao Joshi | 141 |
| श्री सुरेन्द्र महन्ती | Shri Surendra Mohanty . | 142 |
| श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी | Shri Dinesh Chandra Goswami | 143 |
| श्री सेझियान | Shri Sezhiyan . . | 145 |
| श्री पी० वेंकटासुब्बैया | Shri P. Venkatasubbaiah | 146 |
| श्री पी० जी० मावलंकर | Shri P.G. Mavalankar . | 147 |
| श्री राम सहाय पाण्डेय | Shri R.S. Pandey . | 148 |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan . | 148 |
| श्री हरि किशोर सिंह | Shri Hari Kishore Singh | 148 |
| श्री त्रिदिव चौधरी | Shri Tridib Chaudhari . | 149 |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass, as amended. | 151 |
| खण्ड 2 से 5 तथा 1 | Clauses 2 to 5 and 1 | 151 |
| संविधान (37वां संशोधन) विधेयक, 1975 | Constitution (Thirty-seventh Amendment) Bill . . . . . | 159 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider . . | 159 |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri Brahmananda Reddy | 159 |
| खण्ड 2, 3 और 1 | Clauses 2, 3 and 1 . | 161 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass | 161 |
| डा० रानेन सेन | Dr. Ranen Sen | 161 |
| श्री सी० सी० गोहेन | Shri C.C. Gohain | 162 |
| श्री दिनेश जोरदर | Shri Dinesh Joarder . . | 162 |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri K. Brahmananda Reddy . | 163 |
| सदस्यों की गिरफ्तारी | Arrest of Members . . . | 164 |
| (श्री अटल बिहारी बाजपेयी और श्रीमती शकुन्तला नायर) | (Shri Atal Bihari Vajpayee and Shrimati Shakuntala Nayar) . . . | 164 |

## लोक-सभा
## LOK SABHA

बुधवार, 23 अप्रैल, 1975/3 वैशाख, 1897 (शक)

*Wednesday, April 23, 1975/ Vaisakha 3, 1897 (Saka)*

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair ]

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर
# ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**श्री भालजी भाई परमार** (दोहद) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने एक प्रश्न की सूचना दी थी जो कि आज की प्रश्न सूची में प्रथम स्थान पर था ।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका प्रथम प्रश्न 29 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि उसका संबंध उद्योग विभाग से था ।

**श्री पी०जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : परन्तु क्या उस प्रश्न को 29 तारीख की प्रश्न सूची में भी पहला स्थान दिया जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का संबंध दूसरे विभाग से था ।

**श्री एस०एम० बनर्जी :** (कानपुर) इनके प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

**Average expenditure on persons lodged in Jails on Charges of Smuggling and in Connection with J. P. Movement**

***752. †Shri Hemendra Singh Banera :**

**Shri Ishwar Chaudhry :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the per day per capita average expenditure incurred so far on the persons lodged in jails on smuggling charges ;

(b) the per day per capita average jail expenditure incurred so far on the persons lodged in jails in connection with the J.P. movement.

(c) whether these average differs with each other and if so, to what extent and the reasons therefor ;

(d) the number of persons, among the persons arrested on smuggling charges, kept in class 'A', class 'B', class 'C' and in special class ; and

(e) the reasons for giving special treatment to the persons jailed on smuggling chrages and the advice given by the Centre in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)**: (a), (b), (c) and (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(e) The subject of 'prisons and persons detained therein' is in the State list of the Constitution. Conditions of custody of convicts or under-trials are governed by rules under the Jail Manuals of States. The power to regulate conditions of detention under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 vests in the State Government or the Central Government, depending on the authority which made the detention order. According to information received from the State Governments and Union Territory Administrations, no special treatment has been accorded by them to persons jailed on smuggling charges. No special treatment was ordered by the Central Government in regard to persons detained on smuggling charges under the MISA or COFEPOSA.

**Mr. Speaker** : Kindly use Common Hindi words so that everybody may understand.

**Shri Ramavatar Shastri** : Mr. Speaker, Sir, all understand it.

**Shri Hemendra Singh Banera** : Mr. Speaker, Sir, notice for this question was given three months back, but till now the information could not be compiled.

इससे ही सरकार की अकर्मण्यता तथा निष्क्रियता का पता चलता है और लगता है कि इनका प्रशासन निर्जीव है । ये गिरफ्तारियां आपात नियमों के अन्तर्गत की गई थी और वह यह जानकारी 3 महीनें में भी एकत्रित नहीं कर पाये हैं । मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि हाजी मस्तान, यूसफ पटेल तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर कितना व्यय किया गया (**व्यवधान**) सरकार ने हमारे नेता को 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया तथा उन्हें 'सी' श्रेणी में रखा गया ।

**गृह मंत्री (श्री ०के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : जहां तक जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न है, हमने सम्बद्ध राज्य सरकारों को जानकारी भेजने के लिए लिख दिया है । इस प्रश्न का संबंध देश की विभिन्न जेलों में डाले गए एक लाख से भी अधिक व्यक्तियों से है तथा विभिन्न श्रेणियों में लगभग 6000 लोग नजरबन्द हैं । यह जानकारी भी हमें अलग अलग करनी है कि कितने तस्कर हैं, अन्य नजरबंद कितने हैं तथा कानून की अन्य धाराओं के अन्तर्गत अन्य कितने लोग बंदी हैं । अतः इसमें समय लगता ही है । राज्य सरकारें यह जानकारी अपेक्षित समय में भेज देंगी तथा ज्योंही यह जानकारी हमें प्राप्त होगी हम उसे सदस्यों तक पहुंचा देंगे ।

जहां तक उनके विशेष प्रश्न का संबंध है उसके बारे में मैं सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं तस्करी की गितिवधियों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के साथ अन्य बंदियों की तुलना में सख्त व्यवहार किया जाता है । किसी व्यक्ति विशेष पर किये गये व्यय के संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । ऐसा व्यय प्रायः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

**श्री एस०एम० बनर्जी** : इन्होंने हाजी मस्तान, यूसफ पटेल तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी तीन व्यक्तियों का नाम लिया है । श्री अटल बिहारी वाजयेयी के बारे में तो हम जानते हैं कि उन पर 51 रुपये व्यय हुए होंगे । अन्य लोगों पर कितना व्यय हुआ ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं

**श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या जयपुर में गिरफ्तार किये गये तस्करों को जेल की 'ए' श्रेणी में रखा गया या 'सी' श्रेणी में ? श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 'ए' श्रेणी में रखा गया या 'सी' श्रेणी में ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि जिन व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया उन्हें सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया है ।

**श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : मैं जयपुर के बारे में विशेष रूप से पूछ रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप एक सामान्य प्रश्न में, व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ रहे हैं । इस प्रकार के सैकड़ों व्यक्ति हैं, यह कैसे आशा की जा सकती है कि उन्हें प्रत्येक मामले की अलग जानकारी हो । आपने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है ।

**श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** मुझे यह जानकारी दी गई है कि जयपुर जेल में जिन तस्करों को रखा गया उन्हें 'ए' श्रेणी दी गई । आप कहिये कि 'नहीं' ऐसा नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इनका उद्देश्य यह जानना है कि क्या उन्हें अच्छी श्रेणी में रखा गया । मंत्री महोदय का कहना है कि यह मामला राज्य सरकार का है न कि केन्द्र सरकार का।

**श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : तो क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं ।

**Shri Hamendra Singh Banera :** I am not saying that they are in collusion with each other. I am not saying so.

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : यह राज्य सरकारों को ही मालूम है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत 'आंसुका' में बंदी बनाये गये लोगों की स्थिति का वर्गीकरण किस प्रकार किया । हमें सभी राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है परन्तु जिन राज्यों से हमें जानकारी प्राप्त हो गई है उसके अनुसार तस्करों को तस्करी संबंधी गतिविधियों के अन्तर्गत बंदी बनाये गये व्यक्तियों को निम्नतम श्रेणी में रखा गया है ।

**Shri M.C. Daga :** May I know in which Hospital smugglers or other smugglers were kept, for how many days they were kept in hospitals, who bore the hospital expenditure and what is the total expenditure incurred on them ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** यह राज्य सरकार का मामला है । यदि कोई नजरबंद व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो यह देखना राज्य सरकार का काम है कि उन व्यक्तियों को जेल में रखा जाये या अस्पताल में। इसी प्रकार यह भी राज्य सरकार को ही पता होगा कि उन पर कितना खर्च हुआ या उन्हें कितनी देर तक अस्पताल में रखा गया ।

**Shri M.C Daga** : I asked about the hospital.

**Mr. Speaker** : That is what he has replied, what else do you want ?

**श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या यह सच है कि सभी राजनीतिक बंदियों तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को जिन्हें 'आंसुका' या भारत रक्षा नियमों या अन्य धाराओं के अन्तर्गत बंदी बनाया जाता है, उन्हें राजनीतिक बंदी करार नहीं दिया जाता, जैसा कि पहले किया जाता था ? क्या यह आदेश जारी किये गये हैं कि राजनीतिक बंदियों को अपराधी करार न दिया जाये परन्तु उन्हें वही सुविधायें उपलब्ध करावाई जायें जोकि पहले करवाई जाती थी ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : सामान्य कानून के अन्तर्गत चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध का दोषी क्यों न हो, जेल में उसके साथ संबंध राज्यों के जेल मैनुअल के अनुसार ही व्यवहार किया जाता है । कुछ मामलों में न्यायालय के निर्णय के साथ ही कुछ पीठासीन अधिकारी श्रेणी निर्धारण भी कर देते हैं । यदि न्यायालयों द्वारा श्रेणी निर्धारण नहीं किया जाता तो यह निर्णय राज्य सरकारों द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्तियों की परिस्थितियों, स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर, शिक्षा आदि को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है । इन सभी को दृष्टिगत रखते हुये वह उन्हें जो भी श्रेणी देना चाहें, दे सकते हैं ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या उन्हें राजनीतिक बंदी करार दिया जाता है या नहीं ।?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे तो दिया है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : उन्हें सुविधायें उपलब्ध करवाने से इन्कार कर दिया जाता है । मैं संसद सदस्य हूं और मुझे गिरफ्तार किया गया था । परन्तु मेरे साथ अन्य जितने भी व्यक्ति थे उन्हें बाहर नहीं सोने दिया गया अपितु उन सभी को हथकड़ी लगाकर हवालात में बंद कर दिया गया । राजनीतिक बंदियों के साथ तो कम से कम अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया भाषण मत दीजिये । आपने प्रश्न पूछ लिया है, वही काफी है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या उन्हें राजनीतिक बंदी करार दिया जाता है या नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें राजनीतिक बंदी कैसे करार दिया जा सकता है ?

**श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या हमें राजनीतिक बंदी करार नहीं दिया जाता ? क्योंकि आज यह देश पर शासन कर रहे हैं इसलिये वह राजनीतिक बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते और क्या आप इसका समर्थन करते हैं ?

**श्री धामनकर** : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि बम्बई में जिन कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया गया था एवंदा जेल में रखा गया जहां उन्हें 'ए' श्रेणी के बंदियों की तरह विशेष सुविधायें उपलब्ध करवाई गईं । यह समाचार भी छपा है कि ऐसा केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के अनदेश जारी किये गये थे ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : जी नहीं, ऐसा कहना गलत है कि केन्द्र सरकार द्वारा सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये कोई अनुदेश या आदेश जारी किये गये थे । परन्तु जहां तक हिरासत में लिये गये व्यक्तियों का संबंध है, वह दोषी व्यक्तियों से भिन्न होते हैं । दोषी वह व्यक्ति होता है जिसे न्यायालय द्वारा दोषी करार दे दिया जाता है तथा जिसका दोष विशेष साबित हो गया हो जबकि जुर्म के इतिहात के लिए किसी को हिरासत में ले लिया जाता है । हिरासत में लिये गये व्यक्ति तथा दोषी में अन्तर होता है । इसीलिए हिरासत में लिये गये व्यक्ति को कई बार कुछ पौष्टिक खुराक या अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती हैं । जहां तक 'आंसुका' के केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत में तस्करी की गतिविधियों के फलस्वरूप लोगों को हिरासत में लेने का संबंध है, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उनके संबंध में यह कड़े, अनुदेश दिये गये थे कि उन्हें निम्नतम श्रेणी में रखा जाये और बिना केन्द्रीय सरकार की वशेष अनुमति के उन्हें साक्षात्कार की अनुमति भी न दी जाये और कानूनी कार्यवाही आदि के लिए भी यदि उन्होंने किसी से मिलना हो तो उसके लिए सीमाशुल्क कलकटर की पूर्व अनुमति ली जानी चाहिये ।

**Shri Sharad Yadav:** Mr. Speaker, Sir, in part (b) of the question, class 'A', 'B' and 'C' have been mentioned whereas in MISA there are only two classes i.e. 'A' and 'B' class is equivalent to 'C' and class 'A' is equivalent to 'B' which is accorded to the persons convicted by the courts. It appears that the Ministry has got no information about the very fact that MISA is having only two classes.

**Mr. Speaker :** He has not mentioned it, but it has been added by the Member.

**Shri Sharad Yadav :** The people who have been arrested in connection with J.P.'s movement outside Bihar, how many of them have been given 'A' class and how many in 'B' class and whether the Naxalites in Bengal have been given 'A' class or 'B' Class, whether they are being treated as political prisoners or not ? MayI also know whether people in West Bengal are being subjected to atrocities ?

**Mr. Speaker :** The original question relates to average expenditure on a prisoner. How does this question arise ?

**Shri Sharad Yadav :** My question is that in MISA there are only two classes.

**Mr. Speaker :** It is not known to the Member who has tabled this question.

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** प्रश्न तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में है । केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तस्करी रोकने के लिये जहां तक व्यक्तियों को बन्दी रखने का संबंध है, उन्हें सबसे निचले दर्जे में रखा गया है । जहां तक राज्य सरकारों द्वारा संशोधित मीसा के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें मीसा नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रखा गया है । जहां तक कुछ राज्यों से प्राप्त सूचना का संबंध है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उस राज्य विशेष में उन व्यक्तियों को सबसे निचले दर्जे में रखा गया है ..... (**व्यवधान**)

**श्री एच० के० एल० भगत:** मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जिसके परिणामस्वरूप यूसफ पटेल और एस० एन० बखिया जैसे तस्करों को रिहा करना पड़ेगा ? क्या सरकार इस संबंध में कोई अपील करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का मूल प्रश्न से क्या संबंध है ?

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** सभा में अनेक बार कहा गया है कि विभिन्न जेलों में रखे गये व्यक्तियों या दोष-सिद्ध बन्दियों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरे देश में इस संबंध में समान प्रकार के नियम बनाने पर विचार कर रही है, चाहे तो वे व्यक्ति केन्द्र के निदेश पर या स्वयं राज्यों द्वारा बन्दी बनाये गये हों ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** यह ठीक है कि जहां तक दोषसिद्ध बन्दियों या हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के साथ व्यवहार का संबंध है सभी राज्यों में उपस्थिति सामान्य नहीं है । जहां तक दोषसिद्ध बन्दियों का संबंध है, राज्य सरकारों से कहा गया है कि बेहतर हो यदि इसमें समानता लाई जाये । वास्तव में 1971 में ही एक आदर्श जेल संहिता बनाई गई थी और उसे सभी राज्यों को भेज दिया गया था । उन्हें प्रश्न के इस पहलू पर अभी विचार करना है । तस्करी के आरोप में केन्द्र द्वारा बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के बारे में केन्द्र सरकार ने जो कुछ किया है वह स्पष्ट ही है । राज्य सरकारों को भी पता है कि इस प्रकार के बन्दियों के बारे में केन्द्र सरकार क्या करती रही है ।

**Shri Ramavtar Shastri :** Sir, the Home Ministry had invited comments from State Governments some years back about the treatment to be meted out to person detained for participating in trade Union, Kisan and other agitations. I want to know the number of States which have sent their comments and the nature thereof and when is the Central Government expected to arrive at a final decision ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : जी नहीं । जैसा मैंने कहा, राज्यों के विचारार्थ आदर्श जेल संहिता उन्हें भेजी जा चुकी है । इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकारों का ही काम है ।

**Shri Ramavtar Shastri:** I wanted to know the details of opinion sent by State Governments, but it was left unanswered. Sir, I seek your protection.

**अध्यक्ष महोदय** : वह बता ही चुके हैं कि आदर्श संहिता राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी है ।

**Shri Ramavtar Shastri:** Some State Governments have sent their opinion. I want to know the details thereof.

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : जहां तक कुछ राज्य सरकारों से तस्करी के संबंध में पकड़े गये व्यक्तियों संबंधी मिली जानकारी का संबंध है, उन्होंने यह बताया है कि उन लोगों को सबसे निचले दर्जे में रखा गया है ।

**Shri Ramavtar Shastri** : Sir, he has not followed my question.

**Mr. Speaker** : Kindly keep some proportion. Two or three Supplementaries are sufficient for one question. Otherwise other questions cannot be covered.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : Prosecution was not launched against those who were detained under MISA for indulging in smuggling activities and therefore, they are beineg set free by the courts. The reply of the hon. Minister that they have been lodged in the lowest class is wrong and, therefore, he has tried to mislead the House. Everywhere they are being treated as if they are 'A' Class prisoners. (*Interruptions*)

**Mr. Speaker** : What you want to ask ?

**Shri Hukam Chand Kachwai** : All over the country they have been treated as 'A' class prisoners.

I want to know why Smugglers from Madras, Bombay and Calcutta Jails were transferred to Delhi and Agra Jails in November last by air ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप असंगत प्रश्न पूछ रहे हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : So much money was spent on them to get donations .....(*Interruptions*)

**Mr. Speaker** : If you want to make it a public platform, then go on speaking, we will listen.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I want to know the expenditure involved in bringing them by plane ?

**अध्यक्ष महोदय** : इतनी सारी असंगत बातें कहने के बाद अब वह व्यय के बारे में जानना चाहते हैं ।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : पहले पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि जहां तक व्यय का संबंध है, उसे राज्य सरकारें वहन करती हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I only want to know why they were brought to Delhi and Agra Jails by special planes from other Jails and why not by trains ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के भाग (क) का संबंध तस्करी के आरोप में जेलों में रखे गये व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन आने वाले औसतन व्यय के बारे में है; (ख) भाग जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन से संबंधित बन्दी बनाये गये व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जेल के व्यय के बारे में है ।

और (ग) भाग में पूछा गया है कि क्या यह औसत व्यय भिन्न भिन्न है । अब वे वह पूछ रहे हैं कि मद्रास से दिल्ली तक लोगों को लाने में कितना व्यय होता है । इसका मूल प्रश्न से क्या संबंध है--कोई संबंध नहीं है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Why they were brought by planes and what expenditure was involved therein ?

**Mr. Speaker :** It will not become relevant by shouting. You may table a separate question.

**Shri Janeshwar Misra :** Shri Raj Narayan, M.P. who is under detention is brought from Lucknow to Allahabad by train in connection with his writ petition whereas smugglers are transferred by special planes. Why this discrimination ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न बिल्कुल संगत नहीं है ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** What amount was spent thereon ?

**Mr. Speaker :** Please send another question. It is not relevant here.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Sir, I request you to kindly get a reply to my question.

**Mr. Speaker :** You should realise that by shouting and blocking the proceedings, it will not become relevant.

**Shri Janeshwar Misra :** You have decided not to understand anything ..... (*Interruptions*)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं यहां किसलिए हूं ?

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I have a point of order. (*Interruptions*)

**Mr. Speaker :** If I allow that, outsiders will say what type of Speaker was there to have done so.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I want to know the expenditure involved on transferring Smugglers to Delhi and Agra Jails by planes ?

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में आप दूसरा प्रश्न पूछें । उसकी सूचना आने पर मैं उसे स्वीकार कर लूंगा ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Why they were brought by planes and what expenditure was incurred therein ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपके द्वारा भेजी जाने वाली सूचना को स्वीकार कर लूंगा । परन्तु इस समय इस पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

This question is not relevant to the main question.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Kindly get a reply from Government.

**Mr. Speaker :** You send a separate notice. मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं दूंगा

**Shri Hukam Chand Kachwai :** What is the expenditure involved on their transfer from one jail to the other ?

**Mr. Speaker :** What is to be done if one Member holds the entire House to ransom like this ?

**Shri Hukam Chand Kachwai :** I am not getting justice from you. I seek your protection.

**श्री जगन्नाथ राव जोशी** : उन्हें उन व्यक्तियों पर किये गये व्यय के बारे में तो बताने दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं । वह पृथक प्रश्न की सूचना भेज सकते हैं ।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : जब तक बन्दी बनाये गये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता तब तक उसका उत्तर देना कठिन है । बन्दी बनाये गये व्यक्ति को कहां रखा जाना है और किस वाहन से विमान से, कार से, रेलगाड़ी से, या बस से ले जाया जाना है, परिस्थितियों पर निर्भर है ।

**Shri Ramavtar Shastri** : This question is relevant because anti-social elements were transferred by planes.

**श्री समर गुह** : यह प्रश्न इस कारण बहुत महत्वपूर्ण है ····· (**व्यवधान**)

**श्री समर गुह** : आप वहां नहीं बैठे हुए । (**व्यवधान**)

**श्री वसन्त साठे** : आप मुझे बैठने के लिये नहीं कह सकते । आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें ।

**श्री समर गुह** : आप क्यों बीच में बोलते हैं ?

श्री बसन्त साठे : वह प्रत्येक नियम का इस प्रकार का उल्लंघन नहीं कर सकते । यदि कोई प्रश्न उन्हें पूछना है तो वह प्रश्न तो हो । वह मुझे चीख कर डरा नहीं सकते ।

**श्री समर गुह** : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बिना किसी संबंध विशेष या व्यक्ति विशेष के सभी राजनैतिक व्यक्तियों को आन्दोलित कर रहा है । समाचार हैं कि इन तस्करों, समाज विरोधी और आपराधिक तत्वों को 'ए' दर्जे में रख कर विशेष व्यवहार किया जाता है जब कि श्री जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ दुश्मनी का व्यवहार किया जाता है। उन्हें जेलों में भरकर उन पर सभी प्रकार के बन्धन लगाये गये हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है । अतः मैं जानना चाहता हूं ·····

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सुनिये। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे प्रश्न को कुछ तो संगत होना चाहिये । आप मेरी बात सुनते ही नहीं ।

**श्री समर गुह** : आपको प्रश्न का मनोरथ तो समझना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न की भाषा तैयार करना तो मेरा काम नहीं है परन्तु आप आसानी से ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या इस व्यय में उन्हें अनेक स्थानों पर ले जाने का खर्च भी शामिल है । इस प्रकार यह प्रश्न संगत हो जाता है, परन्तु आप तो एक विशेष प्रकार के वाहन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ।

**श्री समर गुह** : यह प्रश्न सरकार के तस्करों और श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के सिलसिले में बन्दी बनाये गये या दोष-सिद्ध व्यक्तियों के साथ व्यवहार संबंधी रवैये के बारे में है । यह प्रश्न सापेक्ष है अर्थात् सरकार के सापेक्ष रवैये, नीतियों और खर्चों के बारे में है । अतः मेरा प्रश्न बहुत संगत

मंत्री महोदय ने पहले कहा कि इन सब मामलों का संबंध राज्य सरकार से है । दूसरे, उन्होंने क उत्तर में यह माना कि केन्द्रीय सरकार ने सभी दोषसिद्ध तस्करों को सबसे निचले दर्जे में रखने के लिये सख्त हिदायतें दी हुई हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप प्रश्न पूछ लीजिये ।

**श्री समर गुह :** मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने तस्करों और राजनीतिक बन्दियों, विशेषकर जिन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में भाग लिया था, के बारे में कोई नीति निर्धारित कर रखी है और, यदि हां, तो वह क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों को उन्होंने क्या अनुदेश दे रखे हैं ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** पहले तो यह समझ लिया जाना चाहिये कि किसी वैध राजनीतिक गतिविधि के लिये किसी व्यक्ति को बन्दी नहीं बनाया गया और न ही किसी को दोषसिद्ध घोषित किया गया है । जब भी कभी किसी व्यक्ति द्वारा आन्दोलन किया जाता है, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, और किन्ही व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किये जाते हों तो उन्हें विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उन्हें या तो छोड़ दिया जाता है या दण्ड दिया जाता है । दोष-सिद्धि के बाद जेलों में उनके साथ होने वाला व्यवहार किसी राज्य विशेष के नियमों पर निर्भर करता है ।

**श्री समर गुह :** मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उन्होंने राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट अनुदेश दिये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वे अनुदेश क्या हैं ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं जो मैंने कही ही नहीं ? मैंने यह कहा है कि राज्य सरकारों को तस्करी के लिये बन्दी बनाये गये व्यक्तियों के साथ किये जा रहे व्यवहार के बारे में पता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

## औद्योगिक लाइसेंस देने में नये सुधार

*753. **श्री पुरुषोतम काकोड़कर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औद्योगिक लाइसेंस देने में नये सुधार लागू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षमता में वृद्धि करने के लिये कुछ उद्योगों के आवेदन पत्रों की शीर्षस्थ निकायों, जैसे लाइसेंस समिति अथवा विदेशी पूंजी निवेश बोर्डों, के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) से (ग) औद्योगिक क्षेत्र में विकास, सामाजिक न्याय और आत्म-निर्भरता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकारी नीति निरन्तर 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से शासित होती रही है । सरकार का विचार 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में कोई भी परिवर्तन करने का नहीं है । औद्योगिक नीति

संकल्प के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में समय-समय पर परिवर्तन किये हैं ताकि उद्योगों विशेषकर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्राथमिकता उद्योगों के विकास में तेजी लाई जा सके । इस संबंध में हाल ही में किए गए अधिक महत्वपूर्ण निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

"विद्यमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा उत्पादन में तेजी लाने के विचार से सरकार ने मशीनरी और हाथ के औजारों का उत्पादन करने वालों को उत्पादों की सूची की सीमा के अ दर तथा उपक्रम की लाइसेंस प्राप्त कुल क्षमता के भीतर उत्पादन में विविधता लाने की स्वतंत्रता देने का निश्चय किया है । हाल ही में यह सुविधा विद्युत उद्योग में संबंधित कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने और ढलाई करने वाले उद्योगों को भी उपलब्ध करा दी गयी है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि ऐसे औद्योगिक उपक्रम जिनके पास एक और दुहरी पाली के आधार पर उत्पादन करने के निर्दिष्ट लाइसेंस हैं वे भी अपनी मशीन और संयंत्र का अधिकतम उपयोग करने के संबंध में अपने लाइसेंसों का पृष्ठांकन कराने के लिये आवेदन दे सकते हैं । सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि निर्दिष्ट क्षमता के लिए लाइसेंसधारी उपक्रम बढ़ी हुई क्षमता के लिए स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कुछ शर्तों के अनुसार निर्यात के लिए किया गया है । विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों के मामलों में तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने वाले उपक्रमों के मामलों में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक कृतिक बल का गठन करके एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जायेगी । इस प्रकार के विविधीकरण/क्षमता विस्तार के आवेदनों को लाइसेंसिंग समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** On a point of order Sir . . .

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** You are not acting according to rules. Point is within the rules.

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न पर पहले ही 40 मिनट लग चुके हैं । मैं दूसरा प्रश्न पूछने के लिए कह चुका हूं । आपने एक प्रश्न तो पूछ लिया है । मैं आपको दूसरा अवसर नहीं दे सकता ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Why does he conceal the facts ? The prisoners were taken from one place to another by chartered planes. I want to know the expenditure incurred per head, why planes were made available for the smugglers ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने किसी को बोलने के लिये अनुमति नहीं दी है । श्री कोकोड़कर पहले ही प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुए हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** My question is very simple. I want to know the expenditure incurred on each smuggler for taking them from one place to another by planes? (*Interruptions*) Sir, Are you shielding the Government ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभा में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करता हूं। जो भी पक्ष गलत होता है मैं उसे बता देता हूं । इस समय श्री कछवाय सभा की प्रक्रिया के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं ।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** 40 मिनट पहले ही बीच चुके हैं । हमारे अधिकारों का भी संरक्षण होना चाहिये । वह इस प्रकार क्यों बाधा पहुंचा रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री बी० वी० नायक**: क्या आप दलों के आधार पर सदस्यों के लिये समय नियत करते हैं ? उन्हें एक प्रश्न के लिये 45 मिनट दे दिये गये । हम भी अपनी बारी की प्रतिक्षा में हैं.....

(व्यवधान)

**Shri Jagannath Rao Joshi** : He has asked only about expenditure involved.

**Mr. Speaker** : The Speaker is sitting here as a judge. You are all the time obstructing the proceedings. This is wrong. There should be some way of doing things. The speaker represents both sides and not one. श्री काकोड्कर आपको दस बार कहा जा चुका है परन्तु आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं ।

श्री काकोड़कर: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

**श्री पुरूषोतम काकोड़कर**: लाइसेंसिंग प्राधिकरण के केन्द्रीयकरण के बारे में राज्य सरकारों ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं । उनका तर्क यह है कि केन्द्रीय प्राधिकरण विभिन्न राज्य सरकारों से स्थानीय स्थिति के बारे में कानूनी रूप से पूछने की स्थिति में नहीं है । साथ ही उन्होंने बड़े व्यापार गृहों से विभिन्न राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिये कहा है । केन्द्रीय नीति में यह परस्पर विपरीत बातें हैं । इन्हें दूर किया जाना चाहिये ?

**श्री टी० ए० पाई** : जहां तक लाइसेंसिंग का प्रश्न है, राज्य सरकारों ने हमसे नहीं कहा है कि उन्हें विकेन्द्रीकृत किया जाये । एक लाइसेंसिंग समिति बनी हुई है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी हैं । मैंने यह निदेश दिया है कि इस समिति की बैठक, जो पहले छः महीने में एक बार होती थी अब अधिक बार हुआ करे जिससे यदि किसी राज्य सरकार को कोई शिकायत हो तो उसे न्याय मिल सके। अधिकतम क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का चाहे हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन सरकार की नीति यही है कि छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों को हर प्रकार का समर्थन दिया जाये ।

**श्री पुरूषोत्तम काकोड़कर** : यह सच है कि कुछ उद्योगपतियों ने लाइसेंस संबंधी छूट 1 करोड़ से बढ़ा कर 2 करोड़ करने का अनुरोध किया है । इसके साथ ही वे चाहते हैं कि पूंजी-निवेश संबंधी खंड को भी हटा दिया जाये । उन्हें आशंका है कि उद्योग सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के नियंत्रण में आ जायेंगे । उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भय नहीं है । यह बड़ी विवादास्पद और परस्पर-विरोधी बात है । सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है ?

**श्री टी० ए० पाई**: कुछ समय पूर्व कुछ उद्योगों के लिये लाइसेंस से छूट दी गई थी । लेकिन उन्हें फिर लाइसेंस के अधीन लाना पड़ा । अधिकतम निवेश की सीमा को 2 करोड़ तक बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं क्योंकि हमारे देश में एक करोड़ रुपये की राशि बहुत अधिक समझी जाती है । अतः इसे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है जहां तक पूंजी को निवेश में बदले जाने का प्रश्न है, मेरे विचार से यह एक अच्छी बात है । जो लोग ऋण लेते हैं वे ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ समृद्धि का उपभोग भी करते हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद**: लाइसेंस देने संबंधी सरकार की उदार नीति अच्छी है लेकिन लाइसेंस एक ही जगह एकत्र होने से रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**श्री टी०ए० पाई** : लाइसेंस संबंधी कोई उदार नीति नही अपनायी गई है। उदारता किसी मामले में तभी दिखाई जाती है जब यह सुनिश्चित करना हो कि एक विशेष प्रकार की मशीनरी की कीमत घटाई जा सके। उसे अधिक से अधिक लोग निर्मित कर सकें और उन्हें रोजगार मिल सके । लेकिन इस

उदारता मे भी बड़े व्यापार गृहों और विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि वे इसका अनुचित लाभ न उठा सकें ।

**Shri Janeshwar Mishra** : Will the collusion between Government and the trade come to an end with the introduction of this new policy ? So far the policy has been to instal one man in business and his relation in the Government. This is responsible for corruption.

**श्री टी० ए० पाई** : यदि आप इसे ही उदारता मानते हैं तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं ? हमारी नीतियां तो सुनिश्चित और स्पष्ट हैं ।

**श्री सी० मयावन** : महोदय क्या मंत्री महोदय उस दशा में 5 करोड़ रुपये तक के उद्योग के लिये लाइसेंस से छूट दे देंगे जब कि उद्योग में देशी मशीनों और 15 लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो ।

**श्री टी० ए० पाई** : इस वर्ष सरकार ने लगभग 1,300 लाइसेंस जारी किये हैं । 2,000 लाइसेंस पहले के हैं । सरकार के प्रयास यही हैं कि देशी मशीनरी और देशी कच्चे माल के साथ अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किये जायें। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

**पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास**

*755. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक नीति प्रतिपादित करने हेतु सार्वजनिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा)** : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास कार्यक्रम का विवरण तैयार करने के लिए गत वर्ष मार्च में विशेषज्ञ दल की एक बैठक हुई थी। अन्य लोगों के साथ-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राज्य औद्योगिक विकास निगम, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश अब स्थापना औद्योगिक विकास निगम, राज्य औद्योगिक और निवेश निगम, महाराष्ट्र तथा गुरजात राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। दल ने योजना तैयार करने, निर्देशन देने तथा पिछढ़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए योजना में सहायता और समन्वय करने हेतु केन्द्र में एक पिछड़ा क्षेत्र औद्योगिक विकास निगम गठित करने की सिफारिश की थी ।

**श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : जब यह बैठक बुलाई गई तो क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों के प्रतिनिधियों को उसमें भाग लेने के लिये क्यों नहीं बुलाया गया ? दूसरे, क्या यह सत्य है कि देश के सरकारी वित्तीय संस्थानों ने उद्योगों को इस ढंग से ऋण दिये जिससे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता नहीं मिली बल्कि उन्नत क्षेत्रों को ही लाभ मिला । सरकार इन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

**श्री ए० पी० शर्मा :** पिछड़े राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाने का प्रश्न ही नहीं है । लगभग 232 जिलों को पिछड़े जिले माना गया है । ये जिले तथाकथित विकसित राज्यों में भी हैं । इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने एक बैठक में यह सिफारिश की थी कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय प्रबंध वाले विकास निगम की स्थापना की जाये ।

**श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** मैं यह पूछ रहा था कि क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों ने उद्योगों की इस प्रकार सहायता को जिससे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता नहीं मिली । क्या संसद सदस्यों द्वारा मंत्रालय से इस प्रकार की शिकायत की गई थी ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :** महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाने का पहला कारण यह था कि इन राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने का सफल अनुभव है । उनके अनुभव से हमें यह जानना बहुत जरूरी था कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में क्या समस्याएं आती हैं ? इसका अर्थ यह नहीं कि वे सभी सिफारिशें अपने लाभ के लिये कर रहे थे । यह बात सभी मानते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास का कार्य काफी बड़ा है । उसे गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिये । अधिक संख्या में जिलों को पिछड़े क्षेत्र घोषित कर देने मात्र से वहां के लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । हमें इन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना है जहां के उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक मूलभूत सामग्री की उपलब्धि के लिये जोर दे रहे हैं । इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर सरकार गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है और इन क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योग आरंभ किये जायें, इस बात का निर्णय हो जाने पर ही सरकारी वित्तीय संस्थान सहायता कर सकते हैं ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### तमिलनाडु में विद्युत् चालित करघा मालिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा बिजली की दरों के संबंध में सहायता

*754. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में विद्युत् चालित करघों के लिए बिजली की दरों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं तथा 'पावर-लूम ओनर्स एसोसिएसनों' ने बिजली की दरों को कम करने के लिए राज्य सरकार से कई अपीलें की हैं ; और

(घ) विद्युत् चालित करघों के मालिकों की कठिनाइयों को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन्हें इस वृद्धि से राहत देने का है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (घ) विद्युत्-चालित करघों को विद्युत् की सप्लाई के लिए किसी भी राज्य में कोई पृथक् टैरिफ नहीं हैं । लघु उद्योगों को निम्न वोल्टता प्रदाय के दर, विद्युत्-चालित करघों पर लागू होते हैं । 1974 के दौरान, असम को छोड़कर, सभी राज्य बिजली बोर्डों ने अपने उपभोक्ताओं के लिए विद्युत् की सप्लाई दर में वृद्धि कर दी थी।

9 अक्तूबर, 1974 से पूर्व, तमिलनाडु में लघु उद्योगों को विद्युत् सप्लाई की दर 18 पैसे/यूनिट + 15 प्रतिशत अधिशुल्क था । उस तारीख को यह दर संशोधित करके 20 पैसे/यूनिट + 30 प्रतिशत अधिशुल्क कर दिया गया था । तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 21 जनवरी, 1975 से अधिशुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि विद्युत्-चालित करघा संघ, कोयम्बतूर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत् दरों में कमी करने की मांग की गई है और उसकी जांच की जा रही है।

**तमिलनाडु में राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर राज्य ध्वज लगाना**

*756. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर राज्य ध्वज लगाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मोरवी, राजकोट में 'रूफिंग' उद्योग में कोयले की कमी**

*757. **श्री अरबिन्द एम० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के राजकोट जिले में मोरवी में रूफिंग उद्योग चलाने के लिये कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को कोयले की सप्लाई में कमी के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख) जानकारी की गुजरात राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**लोक वितरण केन्द्र**

*758. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक वितरण प्रणाली की पूर्ण व्यवस्था हो जाने के पश्चात् देश में लोक वितरण केन्द्रों की कुल संख्या कितनी होगी ; और

(ख) क्या जनता के प्रति इसके प्रारम्भिक उत्तरादायित्व के सम्बन्ध में देश भर में इन केन्द्रों पर समान कानून लागू होगा ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई)** : (क) आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन तथा नियंत्रण का कार्य राज्य सरकारों का है । देश भर में खाद्यानों तथा चीनी के लिये लगभग 2.13 लाख राशन/उचित मूल्य की दुकानें, मिट्टी के तेल के लिये पर्याप्त संख्या में खुदरा निकास और नियंत्रित कपड़े के लिये लगभग 19,000 खुदरा निकास हैं। राज्यों के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रियों के हाल में हुये क्षेत्रीय सम्मेलनों में हुई चर्चा के अनुसरण में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जरुरतमंद इलाकों में प्राथमिकता वाली आवश्यक वस्तुओं के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाये और उसका विस्तार करें। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके बारे में कार्यवाही चलती रहती है और इस समय भी चल रही है। चूंकि सार्वजनिक वितरण केन्द्रों की कुल संख्या राज्य सरकारों की प्रगामी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी और चूंकि एक सार्वजनिक वितरण केन्द्र द्वारा प्राथमिकता वाली समस्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना सम्भव नहीं है अत: इस समय इस बात का अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है, कि अंत में कुल कितने सार्वजनिक वितरण केन्द्र होंगे ।

(ख) सार्वजनिक वितरण केन्द्रों के नियंत्रण और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में बुनियादी विधान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की संख्या 10) में उपबंधित है । इस अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्यों पर समान वितरण और उपलब्धता आदेश द्वारा सुनिश्चित कराने की शक्तियों की व्यवस्था है । राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत आदेश जारी करने और अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी आवश्यक वस्तु के वितरण को लाइसेंसों/परमिटों द्वारा अथवा अन्यथा व्यवस्थित करने ; आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अथवा वितरण का कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिये हिसाब की किताबें रखने और उन्हें तथा अन्य सूचना निरीक्षण के लिये देने को जरूरी बनाने; प्रतिभूति जमा लेने; जिन्हें वितरण आदेश में दी गई शर्तों का उल्लंघन करने पर जब्त किया जा सकता है ; और आनुषंगिक तथा अनुपूरक मामलों, जिनमें प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण भी शामिल हैं, के लिये व्यवस्था करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। संसद ने इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये वितरण तथा नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने के लिये और अधिक कड़े दण्ड तथा संक्षिप्त विचारणा की व्यवस्था करने हेतु हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। इस लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली का उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी नियत करने के लिये बुनियादी ढांचा उपलब्ध करता है और इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों में राज्यों की अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट आदेश जारी करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निगरानी बढ़ायें और उपभोक्ता आंदोलन चलायें ताकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किये गये उनके वितरण और नियंत्रण आदेशों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

**पंजाब के उद्योगपतियों द्वारा बिजली के भीषण संकट के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग करना**

*760. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव वर्ष 1975 के प्रारम्भ से ही बिजली के भीषण संकट के कारण पंजाब अन्धकारमय हो गया है ;

(ख) क्या इससे पंजाब को प्रतिदिन चार करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पंजाब के उद्योगपतियों ने बिजली की भीषण कमी के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) पंजाब में विद्युत के संबंध में संभावना 1974 की अपेक्षा 1975 में आशाजनक है। जल-विद्युत् तथा ताप-विद्युत् के उत्पादन की उपलब्धता में सुधार होने और निकटवर्ती क्षेत्रों से राहत मिलने से विद्युत् की कटौतियों में उत्तरोत्तर कमी की जा रही है।

(ख) केवल विद्युत की कमी के कारण हुई हानि का मूल्यांकन करना संभव नही है क्योंकि इसमें और कई कारण भी निहित हैं। बहरहाल जब कभी कृषि अथवा उद्योगों पर प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उत्पादन की कुछ हद तक हानि होती है।

(ग) उद्योगपतियों द्वारा की गई ऐसे किसी मांग की इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

**अमरीकी परमाणु ऊर्जा आयोग की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी द्वारा गंगा के ऊपरी मैदान (अपर गेंजेटिक प्लेन) में परमाणु शक्ति वाले कृषि औद्योगिक समूह का अध्ययन**

*761. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

**श्री टुना उरांव :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी परमाणु ऊर्जा आयोग की ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी द्वारा गंगा के ऊपरी मैदान में परमाणु शक्ति वाले कृषि औद्योगिक समूह के बारे में किए गए अध्ययन को सरकार के ध्यान में लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी)** : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन के अन्तर्गत, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के एक प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था, अमरीका की ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी ने विश्व के विभिन्न भागों में बड़े आकार के नाभिकीय रिऐक्टरों पर आधारित परमाणु विद्युत् से चालित कृषि उद्योग समूहों की स्थापना करने के बारे मे विचार रखा था। इस विचार के अनुसार जिन स्थानों पर ऐसे समूह स्थापित करने की सम्भावना व्यक्त की गई थी उनमें से दो स्थान भारत में थे।

(ग) क्योंकि यह अध्ययन प्रारम्भिक अध्ययन था, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा इस बारे में आगे और अध्ययन किये गये थे। इस विषय में निर्णय का लिया जाना, चालू अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के परिणामों तथा इस प्रकार के समूह से सम्बन्धित सभी प्रकार के आर्थिक पहलुओं के विश्लेषण पर निर्भर करेगा।

**उड़ीसा में पारादीप पत्तन, सुकिन्दा निकल परियोजना तथा सरगीपल्ली सीसे की खानों का विकास**

*762. **श्री अर्जुन सेठी : क्या योजना** मंत्री पांचवी योजना केन्द्र क्षेत्र में उड़ीसा के लिये स्वीकृत मुख्य परियोजनाओं के बारे में 26 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि में, आबंटित निधियों से ही, उड़ीसा स्थित पारादीप पत्तन, सुकिन्दा निकल परियोजना तथा सरगीपल्ली सीसे की खानों में किन-किन विशिष्ट विकास कार्यों का सुझाव दिया गया है,

(ख) क्या उक्त परियोजन के लिए, राज्य सरकार भी कोई धनराशि देगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारादीप स्थित नई उर्वरक परियोजना के लिए संचित रूप से की गई व्यवस्था में से कितनी धनराशि उपलब्ध होने की आशा है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) पारादीप की पांचवी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों में एक सामान्य माल गोदी का निर्माण तथा अयस्क के लदान की सुविधाओं का विस्तार और एक माल डिब्बा टिपलर की व्यवस्था करना शामिल है । ऐसी आशा है कि पांचवीं योजना में इस पत्तन की लोह अयस्क उतारने चढ़ाने की क्षमता 40-50 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। पत्तन की नई स्कीमों में प्लावमान नौका और तटीय उपकरणों की व्यवस्था भी शामिल है। सुकिन्दा निकल परियोजना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह प्रतिवर्ष 5,00,000 टन निकल अयस्क का उत्पादन कर सके और इससे 4800 टन निकल तथा विद्युत विश्लेषी ग्रेड की 200 टन कोबाल्ट धातु निकाली जाएगी। इसके अतिरिक्त उप-उत्पादन के रूप में उर्वरक वर्ग का 17,000 टन अमोनिया सल्फेट भी उपलब्ध होगा। सरगीपल्ली सीसा परियोजना के विकास द्वारा 750 टन सीसा अयस्क प्रतिदिन निकालने और उसे सांद्रक के रूप में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) सुकिन्दा निकल परियोजना और सरगीपल्ली सीसा खान परियोजना केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निर्मित की गई है । सुकिंदा निकल परियोजना में राज्य का अंशदान 26 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है, किन्तु सरगीपल्ली सीसा खान परियोजना में इसका कितना अंशदान हो इस बात का अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) वर्तमान स्थिति में निश्चित धनराशि बतलाना कठिन है क्योंकि यह परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर निर्भर करेगा ।

**अखिल भारतीय बिजली ग्रिड बनाना**

*763. **श्री एम० कातामुतु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने अखिल भारतीय बिजली ग्रिड बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Connection of parts of Rajasthan with Television service by Micro-wave**

*764. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether according to the Minister of Information of Rajasthan, Central Government propose to connect some parts of Rajasthan, such as Jaipur, Kota and Bundi with television service by micro-wave;

(b) whether Rajasthan Government have earmarked land for the television service and the work has commenced ; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral) :** (a) As part of the project for providing continuity of TV service to cluster areas after the SITE, it is proposed to set up T.V. transmitters at Jaipur and Bundi in a phased manner after the Experiment is over. These transmitters are expected to be linked to Delhi TV Centre by micro-wave channel for relay of television programmes.

(b) and (c) The project is awaiting financial clearance. Meanwhile, sites have been finalised in consultation with the Rajasthan State Government. The civil works will commence after the financial sanction has been accorded.

**सांची-सलामतपुर, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल्स**

*765. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने सिक्यौरिटी पेपर मिल्स की स्थापना के लिए दो सर्वोत्तम स्थानों में से एक स्थान के रूप में मध्य प्रदेश में सांची-सलामतपुर की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बो० पी० मौर्य) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी**

*766 **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत वर्ष के दौरान कारों तथा स्कूटरों की चोरी के कितने मामले हुए;

(ख) इससे पहले के दो वर्षों के दौरान चोरी के ऐसे कितने मामले हुए; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** (क) वर्ष 1974 के दौरान 816 कार तथा 703 स्कूटर चोरी किए गये थे।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान 568 कार तथा 672 स्कूटर चोरी किए गये तथा वर्ष 1973 के दौरान 683 कार तथा 630 स्कूटर चोरी किए गये थे ।

(ग) दिल्ली के प्रत्येक पुलिस जिले में आर्ट-थेफ्ट दस्ते गठित किए गए हैं और अपराध तथा रेलवे के पुलिस अधीक्षक दिल्ली के पर्यवेक्षक में कार्य करते हैं । ये दस्ते सूचना एकत्र करते हैं, छापे मारते हैं और मोटर गाड़िया चुराने वाले गिरोहों से चुराई गई गाड़ियों को बरामद करते हैं । मोटर

गाड़ियों की चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए दिल्ली के प्रमुख कार पार्किंग के स्थानों आदि पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप बरामद की गई कार और स्कूटरों की संख्या इस प्रकार है :—

| | बरामद की गई कारें | बरामदी का प्रतिशत | बरामद किए गये स्कूटर | बरामदगी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 428 | 75.3% | 421 | 62.6% |
| 1973 | 593 | 86.8% | 471 | 74.7% |
| 1974 | 696 | 85.3% | 525 | 74.6% |

**बिहार में करनपुरा कोयला क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला खनन**

*767. **श्री झारखंडे राय :**

**श्री के० एम० मधुकर :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में करनपुरा कोयला क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की और दिलाया गया है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने गैर-सरकारी कोयला खनिकों को पट्टे दिये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो खानों की संख्या कितनी है और उस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अवैध खनन को रोकने के लिए इस पट्टों को रद्द करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को सूचना मिली है कि कुछ गैर सरकारी पार्टियों द्वारा बिहार में, विशेषतया हजारीबाग तथा गिरिडीह जिलों को करणपुरा कोयला पट्टी में, कोयले की खुदाई की जा रही है । प्राप्त सूचना के अनुसार इन को जिलों में ऐसे लगभग 29 इलाकें हैं जहां कोयले का अवैध खनन हो रहा है; जिनमें से पांच इलाकों के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे दिए गए हैं । ये इलाके हैं लहरी टोंगरी, ब्योर सिरका, हेसालोंग, खास जोगेश्वर तथा चुनोंदा बनवार । इन पांच इलाकों में भी ये पार्टियां अन्य कानूनों की सभी अपेक्षाओं का पालन किए बिना कोयले की खुदाई कर रही है।

(घ) जी हां ।

(ङ) अन्य मामलों में भी, जहां पट्टे के बिना खनन कार्य होता है, वहां आवश्यक है राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकारियों के सहयोग से इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए उपाए किए जा रहें हैं ।

**कोयला खान प्राधिकरण की एक सहायक कम्पनी के रूप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**

768. **श्री अनादि चरण दास :**

**श्री शंकरदयाल सिंह :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री कोयला खान प्राधिकरण की सहायक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 384 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कोयला खान प्राधिकरण की एक सहायक कम्पनी बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) यह नयी व्यवस्था कब तक अस्तित्व में आ जायेगी ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**देश के विभिन्न भागों से पकड़े गए पेन-पिस्टल**

*769. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों से 1974-75 के दौरान कुल कितने पेन-पिस्टल और उनके कारतूस पकड़े गए ;

(ख) देश के विभिन्न भागों से इन घातक खिलौनों को बेचने अथवा इन्हें रखने के संबंध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस प्रकार पकड़े गए पेन-पिस्टलों में से कुछ चीन के बने हुए हैं और क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि चीन के लोग सीमा पर इन्हें बेरोक टोक वितरित करते हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ?

**बोगस लघु एकक**

†770. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान, राज्यवार कुल कितने बोगस लघु एककों का पता लगा है और राज्य विशेष में लघु एककों की कुल संख्या की तुलना में इन बोगस एककों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) इन बोगस एककों द्वारा कितने कच्चे माल का दुरुपयोग किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यवार, सरकारी अधिकारियों सहित कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा)** : (क) हाल ही की गई लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना से पता चलता है कि 2,33,123 एककों में से 24,427 एककों का पता नहीं चल पाया है और 53, 986 एककों का पता चल गया है परन्तु वे स्थायी रूप से बन्द पड़े थे। (राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०-9506/75]

(ख) पता न चलने वाले एककों अथवा बन्द पड़े एककों द्वारा किसी आयातित और दुर्लभ कच्चे माल का यदि दुरुपयोग किया गया है तो उसकी मात्रा का तभी पता लग सकेगा जब राज्य सरकारें इन ब्यौरों का पता लगा लेंगी हाल ही में की गई लघु एककों की गणना में यह जानकारी नहीं दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे ऐसे एककों के पंजीकरण को रद्द कर दें जिनका इस गणना के दौरान या तो पता नहीं लगा, अथवा बन्द पड़े हों/कार्य न कर रहें हों। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे ऐसे मामलों की सूचियां मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय को भेज दें ताकि उन्हें दुर्लभ कच्चे माल के लिए आयात लाइसेंस/परिमिट अथवा कोटे न देने का सुनिश्चय किया जा सके। राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे इसकी जांच करें कि नामौजूद एकक किस प्रकार प्रकार पंजीकृत किए गए हैं और यह भी देखें कि इसके लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

**आय, धन तथा व्यक्तिगत खपत के मामले में असमानता**

7278. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असमानता अनुपात को 1 और 10 की सीमा में लाने के लिए आय, धन और व्यक्तिगत खपत के मामले में असमानताओं को कम करने में विफल रहीं हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार अपना उद्देश्य, प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) प्रत्येक पांचवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आय, धन और व्यक्तिगत उपभोग में असमानता को घटाना रहा है। किन्तु इस संबंध में असमानता का अनुपात क्या हो यह विशेष रूप से नियत नही किया गया था। असमानता घटाने के लिए समय-समय पर कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों का असमानता घटाने पर क्या प्रभाव पड़ा है यह ज्ञात नहीं हो पाया है क्योंकि आय और धन के आकार तथा वितरण से संबंधित सांख्कीय आंकड़ों का अभाव हैं उपभोक्ता से संबंधित रा० प्र०स० के 1967-68 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आंशिक वर्ग (फेक्टाइल ग्रुप) 0-5 और आंशिक वर्ग (फ्रेक्टाइल ग्रुप) 95-100 के शेयरों में असमानता का अनुपात 1:11 था। तत्पश्चात् अवधि के संबंध में ऐसे ही आंकड़ों अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आय तथा उपभोग स्तरों में असमानता को घटना पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप के मूल में उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है इस उद्धेश्य को पांचवीं योजना के प्रारुप में वर्णित एक समग्र एकीकृत का नीति अर्थात् एक ओर तो समाजे के गरीब वर्ग का आय़ तथा उपभोग स्तर उठाना और दूसरी ओर अमीर वर्ग के प्रयोज्य आय तथा उपभोग को घटना, के माध्यम से पूरा करने का विचार किया गया है। इस दिशा में जो प्रमुख उपाय किए जा रहें है उनमें निम्न बातें सम्मिलित हैं :--

(1) वास्तविक उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि जिसमें आम उपभोग की वस्तुओं पर विशेष जोर दिया जाए, उत्पादक रोज़गार अवसरों का विस्तार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का निष्पादन पिछड़े क्षेत्रों का विकास और कतिपय आवश्यक चुनींदा जिन्सों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(2) भारी आय और धन के संचय पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से तथा उपभोग पर विशेष रूप से विलासिता तथा अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगाने की दृष्टि से राजकोषीय तथा कराधान नीति को इस उद्देश्य के अनुरूप बनाना ;

(3) आय तथा धन के केन्द्रीयकरण में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए एम० आर० पी० टी० तथा लाइसेंस और अन्य नीतियों को लागू करना ; तथा

(4) कर-अपवंचना तथा काले धन की उत्पत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाना ।

## जनजाति खंडों में सहकारी समितियां

7279. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजाति क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में, राज्यवार काम कर रही उन समितियों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई ) :** (क) व (ख) आदिवासी विकास खंड योजना के अन्तर्गत सहकारी कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था थी । तथापि, आदिवासी विकास खण्ड अब वर्ष 1974–75 के अंत से समाप्त कर दिये गये हैं । अब समन्वित आदिवासी विकास परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं, जिनमें आदिवासी इलाकों में एककों में एकीकृत ऋण-एवं-विपणन ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया गया है । राज्य सरकारें यह ब्योरे तैयार कर रही हैं । उम्मीद है कि यह ढांचा आदिवासियों की विभिन्न आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करेगा, जिनमें उत्पादन, कमी की अवधि में उपभोग और सामाजिक प्रयोजनों के लिये ऋण कृषि उपज तथा अप्रधान वन उपज का विपणन, निवेशों की आपूर्ति और आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं का वितरण भी शामिल है ।

(ग) सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों, जिनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लाभ पहुंचता है, के अलावा वर्ष 1974-75 में राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत 110 लाख रु० और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत 103.93 लाख रु० तक विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी । इसके अतिरिक्त, आदिवासी विकाम की उप-योजनाओं के लिये 25 लाख रु० की विशेष सहायता दी गई थी। इस प्रावधान में नीचे दिये गये कार्यक्रम शामिल हैं :--

(i) **केन्द्रीय क्षेत्र** :--पोस्टमेटिक छात्रवृति, कन्या छात्रावास परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ii) **राज्य क्षेत्र** :--शैक्षिक कार्यक्रम, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, गृह निर्माण और दूसरी योजनायें। वर्ष 1975-76 के लिये आवंटनों तथा कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

**विविधीकरण के अन्तर्गत परियोजनाएं**

7280. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने इंण्डियन आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड के विधिकरण कार्यों के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं पर विचार करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इंण्डियन आक्सीजन कंम्पनी लिमिटेड को उनके विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रायोजनाओं पर विचार करने के लिए कोई सुझाव दिया है, इससे सरकार अवगत नहीं हैं ।

(ख) लागू ही नहीं होता ।

**हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक डाक तथा दूर संचार सर्किल**

7281. **श्री नरायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब डाक तथा दूर संचार सर्किल के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक कुल कार्यभार कितना-कितना है ;

(ख) जम्मू और काश्मीर सर्किल में कार्यभार कितना है ; और

(ग) क्या जम्मू और काश्मीर के पृथक सर्किल को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के लिये एक पृथक सर्किल बनाना युक्तिसंगत नहीं हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) डाक सर्किल

| | डाक डिवीजन | आर०एम०एस० डिवीजन | डाकघरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 5 | --- | 1778 |
| पंजाब | 10 | 2 | 3311 |
| हरियाणा | 5 | 2 | 2132 |

दूर संचार सर्किल

| | इंजीनियरी डिवीजन | तार यातायात डिवीजन | केन्द्रीय तारघर | विभागीय तार-घर |
|---|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश . | 2 | -- | 1 | 2 |
| पंजाब | 7 | 2 | 1 | 14 |
| हरियाणा . | 4 | -- | 1 | 5 |

| (ख) डाक सर्किल | | | दूर संचार सर्किल | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डाक डिवीजन | आर० एम० एम० डिवीजन | डाकघरों की संख्या | इंजीनियरी डिवीजन | तार यातायात डिवीजन | केन्द्रीय तार घर | विभागीय तार घर |
| 2 | — | 1118 | 2 | 2 | — | 2 |

(ग) सन् 1961 में निर्मित जम्मू और काश्मीर सर्किल सामरिक महत्व और दूसरी महत्वपूर्ण बातों के आधार पर बनाया गया था। मौजूदा वित्तीय कटिनाई और वर्तमान कार्यभार के आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए एक नया सर्किल बनाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता ।

**सब स्टैण्डर्ड कोल मेक्स फर्नेसेज लिम्ब शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

7282. **श्री भाउ साहब धामनकर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1975 के बिजनैस स्टेण्डर्ड में "सब स्टैन्डर्ड कोल मेक्स फर्नेसेज लिम्ब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त किये गये विचारों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उक्त समाचार में यह कहा गया है कि टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी को राष्ट्रीयकृत खानों से कोककर कोयले की अपर्याप्त मात्रा प्राप्त हो रही है तथा कोयले की किस्म भी घटिया है।

जहां तक टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी को दी गई कोयले की मात्रा का सम्बध है, उसे प्रति मास औसतन लगभग 177 हजार टन कोयले की जरूरत थी। इसमें से 65 से 70 प्रतिशत मात्रा उसे इस्पात संयंत्र को ग्रहीत कोयला खानों से प्राप्त होती है और शेष मात्रा भारत कोकिंग कोल लि० और कोयला खान प्राधिकरण की राष्ट्रीयकृत कोयला खानों/प्रक्षलनशालाओं से मिलती है । राष्ट्रीयकृत कोयला खानों/प्रक्षलनशालाओं से उसे पूर्ति की मात्रा, जो अप्रैल, 1974 में 38,000 टन थी, मार्च 1975 में बढ़ कर 58,000 टन हो गई । अतः पूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है । कोयले की किस्म के बारे में हाल ही में भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) या कोयला विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है।

**लोक सांस्कृतिक पर वृत्त-चित्र बनाना**

7283. **श्री जो० वाई कृष्णन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति पर वृतचित्र बनाने आरम्भ किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक बनाये गये ऐसे वृत्त चित्रों की संख्या कितनी है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) फिल्म प्रभाग द्वारा अब तक 58 डाकुमेन्ट्री फिल्में बनाई गई है और 3 फिल्में इस समय बनाई जा रहीं हैं।

**Hindi Typewriters in the Ministry of Communications**

**7285. Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the action taken in regard to the supply of Hindi typewriters to those offices which have English typewriters only at present ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma)** : Instructions have been issued from time to time to all organizations and offices under the Ministry of Communications to procure the required number of Hindi typewriters. A number of Hindi typewriters have been procured in the different offices.

Instructions were issued in September, 1972 to all Heads of Circles etc., in Post and Telegraphs Department to purchase Hindi typewriters for their offices and offices under their administrative control. Further, in May, 1974, it was made clear to all Heads of Circles etc., that the 10% cut imposed on 'Contingent' grant for the year 1974-75, as a measure of economy, should not come in the way of purchase of Hindi typewriters.

The above instructions have again been brought to the notice of all concerned.

**विदेशी सहयोग**

7286. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के लिए विदेशी सहयोग के कितने मामले मंजूर किए गए हैं ;

(ख) सहयोग कर्ता देशों के क्या क्या नाम हैं ;

(ग) क्या सहयोग के लिए कोई मामला अभी भी अनिर्णीत है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई)** : (क) जनवरी से मार्च, 1975 की अवधि में स्वीकृत विदेशी सहयोग के कुल मामलों की संख्या 53 है ।

(ख) विदेशी सहयोगियों के देशों के नाम बेल्जियम, कनाडा, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य , हंगरी, इटली, जापान, स्वीडन स्विटजरलेंड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरीका हैं ।

(ग) और (घ) 31 मार्च 1975 को सरकार के पास विदेशी सहयोग के 163 प्रस्ताव अनिर्णीत थे । ये आवेदन क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं तथा यथाशीघ्र इनका निपटारा किया जायेगा ।

**स्कूल के बच्चों के लिए सफेद कागज का उत्पादन**

7287. **श्री एन० आर० शेंकारिया** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तथा 1984-75 में स्कूल के बच्चों के प्रयोग के लिये सफेद कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ ! और

(ख) राज्यों में इसका किस प्रकार वितरण किया ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) :**

(क) छपाई के सफेद मागज का कुल उत्पादन वर्ष 1973 और 1974 में क्रमशः 88,500 और 173,400 मी० टन था।

(ख) वर्ष 1974-75 (जुलाई 1974 जून 1975) के लिए 1.20 लाख मी० टन छपाई का सफेद कागज शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है और केन्द्रीय समन्वय समितियां विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शैक्षणिक उद्देश्य की जरुरतों का पता लगाने के पश्चात् इस कागज का नियतन करती है। 1974-75 से पहले सरकार ने छपाई के सफेद कागज के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया था।

**Pending cases of Pensions to freedom Fighters**

**7288. Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of freedom fighters of East Nimar district of Madhya Pradesh whose pension cases are still pending decision; and

(b) the reasons for not finalising the cases ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)** : (a) and (b) Two cases are still pending. These cases could not be finalised as documentary evidence on record was not complete.

**प्रसाधन सामग्री, चाकलेट, बिस्कुट, सिगरेट और हल्के पेय पदार्थ बनाने वाली विदेशी फर्मों पर प्रतिबन्ध**

7289. **श्री नानुभाई एन० पटेल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं को प्रसाधन सामग्री चाकलेटों, बिस्कुट सिगरेटों और हलके पेय पदार्थों के बारे में तकनीकी जानकारी है और वे बाजार में भी उतरे हैं किन्तु वे विदेशी फर्मों के वृहद प्रचार का मुकाबला करने में असमर्थ हैं;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय फर्मों ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में विस्तार या काम चालू रखना (सी०ओ०बी०) लाइसेंस लिए बिना ही अपने ब्रांड उत्पादों को बेचकर औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है; और यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय निर्माताओं के हित में सरकार का विचार विदेशी फर्मों को अधिक उत्पादन न करने के लिए बाध्य करने का है और यदि वे अपना उत्पादन 1973 के स्तर पर सीमित नहीं रखती तो क्या उन्हें दण्डित किया जाएगा ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) भारतीय उत्पादकों को कास्मेटिकों, चाकलेटों, बिस्कुटों, सिगरेटों और तरल पेय पदार्थों का उत्पादन करने सम्बन्धी तकनीकी जानकारी है। सरकार को भारतीय वस्तुओं की बिक्री के लिए उनकी विपणन सम्बन्धी असमर्थता की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के उत्पादों की विपणन के लिए किसी अनुमति अथवा लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है।

(ग) विदेशी कम्पनियों के कार्यकलाप की विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा संवीक्षा की जा रही है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत क्षमता से अधिक अनधिकृत क्षमता अधिष्ठापित करने के अलग अलग मामलों में कार्यवाही की जा सकती है।

**राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के सम्बन्धियों को झूठे अधिवास-प्रमाण-पत्र दिए जाना**

7290. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वरिष्ठ कर्मचारी अपने सम्बन्धियों को झूठे अधिवास प्रमाणपत्र दिलाने के लिये जिससे कि वे उन्हें वहां रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्त करा सकें क्षेत्र के स्थानीय सरपंचों को रिश्वत दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कागज मिलें**

7291. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कागज मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) कागज मिलों द्वारा 1973-74 में कितना कागज बनाया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज के अलावा विभिन्न कागजों की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(घ) देश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कितनी कागज मिलें स्थापित की जाएंगी; और

(ङ) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1974 के अन्त तक कुल कितनी कागज मिलें स्थापित की गई ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) 31-3-1975 की स्थिति के अनुसार देश में 70 मिलें कार्य कर रही थी।

(ख) 1973-74 में इसी प्रकार के कागज और कागज के गत्तों का उत्पादन क्रमशः 7,96,800 मी० टन तथा 8,37,000 मी० टन था।

(ग) अखबारी कागज और अन्य किस्म के कागजों के 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

| वर्ष | अखबारी कागज | | कागज और कागज के गत्ते | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य रु० करोड़ | मात्रा | मूल्य रु० करोड़ |
| 1971-72 | 206856 | 27.58 | 14280 | 7.11 |
| 1972-73 | 153848 | 24.51 | 21640 | 9.95 |
| 1973-74 | 117023 | 18.48 | 17000 | 10.15 |

(घ) अनेक योजनाएं सक्रिय क्रियान्वयन में हैं तथा इनके पांचवीं योजनावधि में पूरी हो जाने की आशा है। सरकारी क्षेत्र में एक लुग्दी और कागज परियोजना का नागालैण्ड में क्रियान्वयन किया जा रहा है। आसाम में सरकारी क्षेत्र में दो और परियोजनाएं क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है सरकार ने कुल 20 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता की कई योजनाएं स्वीकार की हैं जिनमें पर्याप्त विस्तार और नए एककों की स्थापना दोनों ही शामिल हैं। इनमें से कुछ योजनाओं के पांचवीं योजनावधि में कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

(ङ) 1974 के अन्त तक हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा कोई मिल स्थापित नहीं की गई है। केवल एक विद्यमान कागज मिल दी माण्डया नेशनल पेपर मिल्स का उनके द्वारा 1973 में अधिग्रहण किया गया।

**जम्मू और काश्मीर के लद्दाख जिले के लिए वर्ष 1975-76 का आवंटन**

7292. **श्री कुशक बाकुला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा इसमें पृथक से लद्दाख जिले का क्षेत्रफल कितना है; और

(ख) वर्ष 1975-76 के लिये राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा पृथक से लद्दाख जिले के लिये कितनी धनराशि आंवटित की गई ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) भारत की जनगणना के भाग-2-क के अनुसार, जम्मू तथा काश्मीर का कुल क्षेत्रफल 222,236 वर्ग किलोमीटर है और लद्दाख जिले का क्षेत्रफल 95,876 वर्ग किलोमीटर है। इनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान तथा चीन के गैर-कानूनी कब्जे में हैं।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर की 1975-76 की वार्षिक योजना का परिव्यय 53.75 करोड़ रुपये है, इसमें लद्दाख जिले के लिए निर्दिष्ट 2.72 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**परमाणु परीक्षण पर लागत**

7293. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पोखरन में किये गये परमाणु परीक्षण पर कुल कितनी लागत आयी ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : उपकरण की लागत लगभग 32 लाख रुपये थी ।

**वर्ष 1975-76 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाएं**

7294. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **ऊर्जा** मंत्री गांवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में 19 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं स्थापित किए जाने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद )** : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कोई योजनाएं तैयार नहीं की हैं। ऐसी योजनाएं राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्वयं तैयार की जाती हैं। प्रत्येक राज्य को, उनके द्वारा प्रायोजित और निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा निर्देशनों के अनुसार स्वीकृत स्कीमों की संख्या पर निर्भर करते हुए निगम से सहायता दी जाती है।

**पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों में पूंजी निवेश**

7295. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कौन से उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं और कौन से स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) कुल पूंजी निवेश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का हिस्सा कितना-कितना है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) से (ग) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 की अवधि में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा वसूल की गई चूकता पूंजी के बारे में जानकारी कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन की 16वीं, 17वीं और 18वीं रिपोर्टों में दी गई है। जिनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में क्रियान्वित किए गए अथवा क्रियान्वित किए जा रहे एककों/लाइसेंसों/योजनाओं जिनमें पर्याप्त विस्तार भी सम्मिलित है को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। ये इस्पात ढांचा, निर्माण, चमकीली छड़ें, इस्पात के पाइप और ट्यूबें, मशीनी औजार केबल्स वायर्स जिनमें स्विचगियर, आटोसाइकिलें, कृषि के औजार सीमेंट और एस्बेस्टोस सीमेंट के उत्पाद रेफ्रेक्टरियां आदि जैसे उद्योगों से सम्बन्धित हैं।

**विवरण**

| राज्य | पिछले तीन वर्षों में पर्याप्त विस्तार सहित एककों/योजनाओं/लाइसेंसों की संख्या | |
|---|---|---|
| | क्रियान्वित की गई | क्रियान्वित की जा रही |
| प० बंगाल . . . | 74 | 35 |
| बिहार . . | 4 | 3 |
| उड़ीसा . . . | — | 5 |
| असम . . . | 1 | 4 |
| मेघालय . . | — | 1 |
| योग . . | 79 | 48-127 |

**पटना के एक डाक-तार कार्यालय में आग लगाने की घटना**

7296. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में नवनिर्मित डाक तार कार्यालय के सात मंजिले भवन के एक सैक्शन में 1 अप्रैल, 1975 को भयानक रूप से आग लग गई थी; और

(ख) यदि हां, तो आग किन कारणों से लगी और सरकार ने इस मामले में तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) पटना के पोस्टमास्टर जनरल और महाप्रबंधक दूरसंचार के कार्यालयों की नव-निर्मित बहुमंजिली इमारत की निचली मंजिल पर 1 अप्रैल, 1975 को शाम को ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने देखा कि वहां कुछ आग लग गई थी। यह आग तुरन्त बुझा दी गई और मामले की तुरन्त पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई । पुलिस की तफतीश चल रही है।

**जनता ट्रक यूनियन मोग (पंजाब) से अभ्यावेदन**

7297. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या गृह मंत्री जनता ट्रक यूनियन,मोगा (पंजाब) के अभ्यावेदन के बारे में 18 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4955 के उत्तर के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बता दिया है कि उन्होंने मामले में क्या कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार किसी केन्द्रीय एजेंसी से मामले की जांच करायेगी ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) : पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364/336/324/34 के अधीन 20 जुलाई, 1974 को

मोगा थाने में एक मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 2-11-1974 को विचारण के लिए भेज दिया गया था। जनता ट्रक यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अभ्यावेदन में लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेषरूप से एक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था, जिन्हें जांच करने पर झूठे तथा उद्देश्य से प्रेरित पाया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**दक्षिण मध्य रेलवे में टाटी तथा अनकापल्ले स्टेशनों के बीच रेलवे पुल के निकट टोकरी में रखे बमों का पाया जाना**

7298. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1975 को दक्षिण मध्य रेलवे में टाडी तथा अनकापल्ले स्टेशनों के बीच रेलवे पुल के निकट एक टोकरी में 22 बम रखे पाये गये थे ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

**(ख) से (ग)** स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और आगे जांच की जा रही है।

**बन्द पड़े सीमेंट कारखाने**

7299 **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में बहुत से सीमेंट कारखाने काफी समय तक बन्द पड़े रहे, यदि हां, तो बन्द पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सीमेंट कारखानों के प्रबन्धकों ने कारखानों को जानबूझकर बन्द किया है जिससे देश में चल रही सीमेंट की कमी की स्थिति और बिगड़ गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कारखानों के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने तथा रुग्ण कारखानों की श्रेणी के अन्तर्गत इनको अपने अधिकार में लेने का है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) सीमेंट के कुछ कारखाने 1974 में अलग-अलग समय के लिए श्रमिक हड़ताल और बिजली की कटौती के कारण बन्द रहे थे।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली और पांडिचेरी में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मकान**

7300 **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और पांडिचेरी में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों को स्वतंत्रता सेनानियों को मकानों की अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तथा आयु क्या है, वे कुल कितनी अवधि तक जेलों में रहे, उन वृद्ध सेनानियों के पते क्या हैं और उन्होंने किन-किन तारीखों को आवेदन पत्र दिये;

(ख) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक अनुमति दी गई है तथा किन-किन तारीखों को अनुमति दी गई है;

(ग) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये और किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये; और

(घ) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन हैं और उनके अब तक स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) दिल्ली व पांडिचेरी में स्वतंत्रता सेनानी अस्थाई गृहों में सीमित स्थानों को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इन गृहों में प्रवेश के लिए पात्र स्वतंत्रता सेनानियों के 3 या 4 नामों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया था। उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस मंत्रालय को सीधे आवेदन पत्र भेजे थे, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से आवेदन करने की सलाह दी गई थी। इसको दृष्टि में रखते हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों की सूचना देना संभव नहीं है जिन्होंने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवेदन भेजे थे।

(ख) से (घ) उन व्यक्तियों के नाम जिनको अब तक प्रवेश दिया गया है और प्रवेश की तारीख।

| क्रमांक | उन व्यक्तियों के नाम जिनको अब तक प्रवेश दिया गया है | प्रवेश की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | श्री केशो राम ब्रह्मचारी (दिल्ली) | 6-10-1974 |
| 2 | श्री भगवान दत्त (दिल्ली) | 18-10-1974 |
| 3 | श्री रामजीलाल बन्धु (राजस्थान) | 5-2-1975 |
| 4 | श्री फकीरभाई गोविन्द भाई पटेल (गुजरात) | 7-2-1975 |
| 5 | श्री नरेन्द्र नाथ तुली (दिल्ली) | 4-4-1975 |
| 6 | श्री सुरिन्द्र सिंह (दिल्ली) | 11-4-1975 |
| 7 | श्री पुदीपेट्टी सूब्बाराव (आंध्र प्रदेश) | 18-4-1975 |

निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों का प्रवेश के लिए अनुमोदन किया गया है।

**दिल्ली गृह**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री छकोदी लाल साहू (मध्य प्रदेश) | अनुमोदन किया गया था परन्तु उन्होंने गृह में आने के लिए इन्कार कर दिया है। |
| 2 | श्री महादेव प्रसाद मिश्र (मध्य प्रदेश) | |

3 श्री पी० एस० नारायणन (तमिलनाडु)
4 श्री बैजनाथ राय (उत्तर प्रदेश)
5 पं० परमानन्द (उत्तर प्रदेश) . . गृह मंत्रालय में सीधे आवेदन किया।
6 श्री भूपेन्द्र चन्द्र मजूमदार (पश्चिम बंगाल)

**पांडिचेरी गृह**

1 श्री अय्यागरी सूब्बारायुडू (आंध्र प्रदेश)
2 श्री क्षितीशचन्द्र सरकार (पश्चिम बंगाल)

(ग) उन व्यक्तियों के नाम जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये तथा अस्वीकृत करने के कारण,

| क्रमांक | स्वतंत्रता सेनानियों के नाम | अस्वीकृत करने के कारण |
|---|---|---|
| 1 | श्री भूपेन्द्रकुमार देव (असम) . | आयु के आधार पर पात्र नहीं है। |
| 2 | श्री मोहन लाल केशरदास मुद्रा (गुजरात) . | पात्र नहीं है। देख भाल के लिए उनकी पत्नी है। |
| 3 | श्री चतुर हरि सिंह (मध्य प्रदेश) . | अपनी पेंशन में से खर्च नहीं देना चाहते हैं। |
| 4 | श्री सन्तराम वकील (पंजाब) | उनको अस्पताल में रखने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। बीमारी से ठीक होने पर उनके प्रवेश पर विचार किया जायगा। |
| 5 | श्री राम सुन्दर गोस्वामी (उ०प्र०) | केन्द्रीय पेंशन नहीं मिलती। |
| 6 | श्री निरन्तर हरि चोरासिया (राजस्थान) | प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है। |
| 7 | श्रीमती लक्ष्मीबाई (दिल्ली) | इस समय महिला स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग से कोई प्रबन्ध नहीं है। |
| 8 | श्री गंगा विशन भसीन (दिल्ली) . | देख भाल के लिए उनके सम्बन्धी हैं। |
| 9 | श्री अरुलनन्दन उर्फ अंबूपिल्लाई (पांडिचेरी) | अभी उनको पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। |
| 10 | श्री राज वेणूगोपाल (पांडिचेरी) | |

(घ) उन व्यक्तियों के नाम जिनके आवेदन पत्रों पर अभी विचार होना है तथा अब तक उन्हें स्वीकृत न करने के कारण।

| क्रमांक | स्वतंत्रता सेनानियों के नाम | अस्वीकृत करने के कारण |
|---|---|---|
| 1 | श्री पी० आर० गोपाला पिल्लाई (केरल) | राज्य सरकार से आवेदन पत्र तथा अन्य ब्यौरे मांगे गये हैं। |
| 2 | श्री काशीनाथ कृष्ण पाई (महाराष्ट्र) | ---वही--- |
| 3 | श्री रंगनाथ मारूती भगवत (महाराष्ट्र) | अभी राज्य सरकार की सिफारिश आनी है। |
| 4 | श्री मंगलराम त्यागी (उ० प्र०) | उत्तर प्रदेश सरकार से उनके आवेदन पत्र तथा अन्य ब्यौरे मांगे गये हैं। |
| 5 | श्री ज्योतिप्रसाद (उ० प्र०) | |
| 6 | श्री सदाशिवमंकापुरकर (उ० प्र०) | |
| 7 | श्री कन्नेगन्ती सूर्यनारायण मूर्ति (आंध्र प्रदेश) | राज्य सरकार से उनके आश्रितों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है। |

**Demands made by Telegraph Engineering Employees of Darbhanga**

†7301. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether 'Akhil Bhartiya Tar Aviyantram Karmachari Sangh, Tritiya Sreni, Darbhanga Shakha (Bihar) Phones Shakha All India Telegraph Engineering Class III Employees Union, Darbhanga Branch (Bihar) Phones Branch, has in their resolution dated 29th March, 1975 demanded that Laheria-sarai Assistant Position No. 9 should have 24 hours' service and if so, Government's reaction thereto; and

(b) whether Government have under their consideration any suggestion to close Darbhanga Phones Branch and if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Communication (Dr. Shanker Dayal Sharma)** : (a) Yes, Sir : a demand on these lines has been made. Darbhanga and Laharia Sarai are the two exchanges of the same multi-exchange system. Common service facilities like trunk booking, trunk enquiry, local directory enquiry, assistance, etc. are generally centralised at one location in the multi-exchange systems. For this system, these facilities are located at Darbhanga. Some time back parallel facilities for rendering the assistance service were also opened at Laheria Sarai to function between 7 A.M. and 7 P.M. This arrangement which is neither economical nor efficient is proposed to be terminated. All the subscribers at Laheria Sarai will get the assistance service facility hereafter from the centralised facility at Darbhanga.

(b) No such proposal is under consideration of the Government.

**इस्पात पाइपों तथा ट्यूबों का निर्माण करने हेतु एककों की स्थापना के लिए वेल्डिंग उपकरणों का आयात**

7302 **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पाइपों तथा ट्यूबों के निर्माण हेतु एककों की स्थापना के लिए 1974-75 में लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा क्या उनमें से कुछ को वेल्डिंग उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस प्राप्त ऐसे एककों की संख्या कितनी है, वे पार्टियां कौनसी हैं, उनकी क्षमता कितनी-कितनी है तथा कितने आयात की अनुमति दी गयी है;

(ग) क्या कुछ एककों ने वेल्डिंग उपकरणों की देश के भीतर ही सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस उपकरण के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं जिस पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख) इस्पाती पाइपों तथा ट्यूबों का निर्माण करने हेतु नए एकक स्थापित करने के लिए 1974-75 में कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। फिर भी, इस्पाती पाइपों तथा ट्यूबों का निर्माण कार्य चालू रखने के लिए उस अवधि में 12 एककों को "कार्य जारी रखो" लाइसेंस दिए गए थे। इन पार्टियों के बारे में सारा ब्यौरा नीचे दिया गया है। उनमें से, दो पार्टियों अर्थात् डेक्कन पाइप एण्ड ट्यूब लि०, बंगलौर तथा यू०पी० मेंटल इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता को हाल ही में क्रमशः 3.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये के

लागत बीमा भाड़ा के वैल्डिंग उपकरणों के आयात की अनुमति दी गई है। अन्य एककों के पास या तो यह उपकरण है या उन्होंने सुस्थापित आयातकों के माध्यम से इसे प्राप्त करने की व्यवस्था की है।

| क्रम सं० | उन एककों के नाम जिन्हें इस्पाती पाइपों तथा ट्यूबों का निर्माण करने के लिए 1974-75 में जारी लाइसेंस जारी किए गए हैं | लाइसेंस प्राप्त वार्षिक |
|---|---|---|
| | | मी० टन |
| 1. | मैसर्स मेटलमेन पाइप मैन्युफैक्चरिंग कं० (प्रा०) लि०, इंदौर | 10,000 |
| 2. | ,, शेखर आयरन वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता . | 10,000 |
| 3. | ,, बंसल पाइप (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली | 10,000 |
| 4. | ,, क्वालिटी स्टील ट्यूब्स, कानपुर . . | 10,000 |
| 5. | ,, मालवा स्टील ट्यूब्स (प्रा०) लि०, मोहाली (पंजाब) | 6,500 |
| 6. | ,, इम्पेक्स ट्यूब्स मैन्यु० कम्पनी लिमिटड, बम्बई | 5,600 |
| 7. | ,, स्टील ट्यूब आफ इंडिया (प्रा०) लि०, इंदौर | 7,000 |
| 8. | ,, अजन्ता ट्यूब लिमिटड, नई दिल्ली . . | 10,000 |
| 9. | ,, राजेन्द्र मैक्नेकिल इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई | 1,440 |
| 10. | ,, दिल्ली ट्यूब (प्रा०) लिमिटड, नई दिल्ली | 10,000 |
| 11. | ,, डक्कन पाइप्स और ट्यूब्स लिमिटेड, बंगलौर . | 10,000 |
| 12. | ,, यू०पी० मेंटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता . . . | 10,000 |

(ग) जी, हां। दो पार्टियों ने, जिनको वैल्डिंग उपकरण के निर्माण करने की योजना है, पाइप तथा ट्यूब निर्माताओं की मांगें पूरी करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) यह पाया गया है कि इन पार्टियों ने वेल्डिंग उपकरण जिनसे अन्तिम आवश्यकताएं पूरी होंगी के यहां तक कि आद्यरूप भी अभी तक विकसित नहीं किया है। अतः उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी वैल्डिंग उपकरणों का स्रोत समझना समयपूर्व है। इस प्रकार सीमित विदेशी मुद्रा व्यय करके केवल वेल्डिंग उपकरणों के आयात की अनुमति ऐसे एककों को देनी पड़ी थी जो भूमि, भवन और देशी मशीनों आदि में विनियोजन के रूप में प्रभावी कदम उठाने के कारण "कार्य जारी रखो" लाइसेंस के पात्र होंगे।

**संभावित विद्युत परियोजना क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अग्रिम ऋण की नयी योजना चालू की जाना**

7303. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने संभावित विद्युत परियोजना क्षत्रों के लिए अग्रिम ऋण की एक नई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) इस श्रेणी का ऋण राज्य बिजली बोर्डों को ऐसे संभाव्य परियोजना क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है जिनमें सिंचाई पम्पसेटों के ऊर्जन द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की तात्कालिक शक्यता उपलब्ध है,

परन्तु जिनके सम्बन्ध में तत्काल एक नियमित क्षेत्र परियोजना तैयार करने में कुछ कठिनाइयां हैं और इसलिए संगठित रूप से प्रारम्भिक तथा विकासात्मक कार्य करना आवश्यक है । स्कीमों की मोटे तौर पर विशेताएं इस प्रकार हैं:—

(1) इसका लक्ष्य कृषि उत्पादन में तत्काल वृद्धि करना होना चाहिए।

(2) स्कीम की लागत सामान्यत: 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) व्यय को इस प्रकार चरण-बद्ध किया जाना चाहिए कि उसकी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो।

(4) ऋण की पहली किस्त के वितरण की तिथि से 6 महीनों से अनधिक अवधि के अन्दर विद्युत उपलब्ध की जानी जाहिए।

(5) पी०पी०ए० ऋण सहायता के अधीन तैयार की गई स्कीम, बाद में नियमित परियोजना क्षेत्र स्कीम में मिला दी जाएगी।

**प्राइवेट निर्माताओं द्वारा टेलीविजन फिल्मों के निर्माण के लिए आवेदन-पत्र**

7304. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन फिल्मों का निर्माण करने के विचार रखने वाले निर्माताओं से यदि कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०-टी०-9507/75]**

**खादी बोर्डों को केन्द्रीय सहायता**

7305. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और 1974 में राज्य खादी बोर्डों को उनकी गतिविधियों के लिए राज्यवार, कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) कितनी धनराशि की लेखा परीक्षा की गई और पूरी राशि की लेखा परीक्षा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में क्या-क्या त्रुटियां हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा)** : (क) से (ग) सूचना कट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**बर्न एण्ड कम्पनी में उत्पादन**

7306. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले, पत्थर, रेत, लौह धातु पिण्डों तथा इस्पात की अनुपलब्धता के कारण बर्न एण्ड कम्पनी में उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) क्या देश में फालतू पुर्जों की उपलब्धता के बावजूद भी आठ में से तीन क्रेन काफी समय से खराब पड़ी हैं;

(ग) क्या प्रबन्धकों द्वारा 'पैटर्नस' के पर्यवेक्षण की उपेक्षा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत ढलाई सामग्री अस्वीकार हो जाती है;

(घ) क्या 'मैचिंग' इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण 18 करोड़ रुपये के वैगनों के आर्डर की क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है;

(ङ) क्या इस कम्पनी में 10 लाख रुपये के वार्षिक व्यय पर नये उच्च वेतन वाले अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है;

(च) क्या कुछ यूनियनों ने प्रबन्धकों द्वारा अत्यधिक कुप्रबन्ध किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें की हैं; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) बर्न एण्ड कम्पनी के उत्पादन में गिरावट नहीं आ रही है। फिर भी यह सच है कि कच्चा माल अच्छी तरह से मिलता रहे तो उत्पादन कार्य में और अधिक सुधार किया जा सकता है;

(ख) बर्न एंड कम्पनी में कार्य कर रही अधिकतर क्रेनें 30 वर्षों से अधिक पुरानी हैं और बार-बार खराब होती रही हैं। फिर भी, मरम्मत के लिए फालतू पुर्जों को प्राप्त करने में लगने वाले आवश्यक समय के अतिरिक्त कोई भी क्रेनें लम्बी अवधि तक बन्द नहीं रही;

(ग) ढाचों के अस्वीकार होने की प्रतिशतता स्वीकार्य सीमा के अन्दर है और यह 60 प्रतिशत से काफी कम है।

(घ) यह तथ्य है कि मेचिंग इस्पात और फ्री सप्लाई की अनेक वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में कुछ अस्थायी कठिनाइयां आई थीं। अब आंशिक रूप से इन्हें हल कर लिया गया है।

(ङ) उच्च स्तरीय प्रबन्ध पर भर्ती और वेतनमानों को न्यूनतम तथा नियमों के अन्तर्गत रखा गया है;

(च) और (छ) इस बारे में प्राप्त अनेक शिकायतों पर इस समय सरकार ध्यान दे रही है।

**हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के क्षेत्र में सिनेमा घर**

7307. **श्री एम० ई० होरी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होंने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने कारपोरेशन के क्षेत्र के अन्दर ही सिनेमा गृह बनाने के लिए स्थानों का आवंटन किया है और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या जिन को ये स्थान अलाट किये गये हैं उनमें हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिये भूमि का अधिग्रहण करने के कारण विस्थापित अथवा प्रभावित व्यक्ति हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1963 में प्रबन्धक वर्ग द्वारा रिकार्ड किए गये और दिये गये वचन का उल्लंघन करते हुए इन विस्थापित अथवा प्रभावित व्यक्तियों के दावों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :** (क) रांची की श्रीमती जहानारा जयपालसिंह और भास्कर गांगुली को क्रमशः एक स्थायी और एक अस्थायी सिनेमा घर के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों द्वारा भूमि आवंटित की गई है। श्री जहानारा जयपालसिंह को 90,000 रुपये प्रीमियम और प्रतिवर्ष 9,000 रुपये के जमीन के भाड़े पर 30 वर्ष के पट्टे पर डेढ़ एकड़ भूमि आवंटित की गई है। सिनेमा घर का निर्माण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत योजना और डिजाइन के अनुसार एक वर्ष के अन्दर किया जाता है। श्रीमती जहानारा जयपालसिंह ने अभी तक सिनेमा घर की योजना प्रस्तुत नहीं की है। श्री भास्कर गांगुली को 60,000 रु० के प्रीमियम और प्रतिवर्ष 6,000 रु० के जमीन भाड़े पर 10 वर्ष के पट्टे पर अस्थायी सिनेमा घर का निर्माण करने के लिए एक एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह सिनेमा घर हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत योजना और डिजाइन के अनुसार बनाया जा रहा है और इसमें 950 से 990 व्यक्तियों के बैठने की जगह होगी।

(ख) जी, हां। इन दो सिनेमा घरों के लिए स्थलों का आवंटन करने हेतु आवेदन-पत्र मंगाते समय हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने समाचार पत्रों के जरिए विस्तृत प्रचार किया था लेकिन किसी भी विस्थापित/प्रभावित व्यक्ति ने विज्ञापन का उत्तर नहीं दिया।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के दावों की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है।

**Pak spies active on Border**

7308. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Nav Bharat Times dated the 16th February, 1975 under the caption "Sima par Pakistani jasoos sakriy" (Pakistani spies active on the border) ; and

**(b) if so, action taken in this regard ?**

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) Yes, Sir.

**कोयला खानों के प्रति व्यक्ति-प्रति पारी उत्पादन**

7309. **श्री गजाधर मांझी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में प्रति व्यक्ति-प्रति पारी कोयला उत्पादन कितना है और अन्य देशों की तुलना में इसकी क्या स्थिती है ; और

(ख) प्रति व्यक्ति प्रति पारी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) कोयला खान प्राधिकरण, भारत कोकिंग कोल लि० और सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी के अधीन कोयला खानों में वर्तमान प्रति व्यक्ति-पारी उत्पादन इस प्रकार है :-

| | टन |
|---|---|
| कोयला खान प्राधिकरण | 0.62 |
| भारत कोकिंग कोल लि० | 0.42 |
| सिंगरैनी कैलियरीज कम्पनी | 0.62 |

अन्य देशों में प्रति-व्यक्ति-पारी-उत्पादन के आंकड़े, जो 1970 के हैं, इस प्रकार हैं :--

| | |
|---|---|
| अमेरिका | 17.00 |
| इंगलैण्ड | 2.14 |
| पोलेण्ड | 1.54 |
| पश्चिमी जर्मनी | 2.21 |
| चेकोस्लोवाकिया | 4.74 |

अन्य देशों में अधिक प्रति-व्यक्ति-पारी उत्पादन व्यापक यंत्रीकरण 'ओपन कास्ट' खानों की अधिकता तथा अच्छी जलवायु-स्थितियों आदि के कारण है।

(ख) उत्पादकता में सुधार, कोयला खानों के यंत्रीकरण में वृद्धि और उनके पुनर्गठन द्वारा, काम की दशाओं में सुधार, कोयला खान की विधियों को अपनाकर तथा अधिकाधिक 'ओपन कास्ट' खाने आदि खोलकर प्रति-व्यक्ति-पारी उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यवाही की जा रही है।

**ब्रिटेन स्थित संयुक्त राज्य अमरीका के सहचारियों को सी०आई०ए० का सदस्य बताया जाना**

7310 **श्री राज देव सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी हाल में ब्रिटिश संसद की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के चौंतीस सदस्यों ने "हाउस आफ कामन्स" में एक प्रस्ताव पेश कर के लन्दन स्थित अमरीकी दूतावास के दस सहचारियों को सी०आई०ए० के सदस्यों के रूप में उल्लेख किया है ; और

(ख) क्या हमारे देश में अमरीकी प्रशासन द्वारा विभिन्न पदों पर तैनात अमरीकी कर्मचारियों पर विशेष नजर रखने के लिए सरकार ने अपनी गुप्तचर सेवाओं को सावधान कर दिया है ?

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रैस रिपोर्टें देखी है।

(ख) सी०आई०ए० समेत विदेशी आसूचना ऐजेन्सियों की गतिविधियों के बारे में अधिकतम निगरानी रखी जाती है।

**राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाओं के लिए किया गया आवंटन**

7311. **श्री गिरिधर गोमांगी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा भेजी गई आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाएं विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के बजट से, राज्यवार, इन उप-योजनाओं के लिए कितना आवंटन किया गया है ;

(ग) उन केन्द्रीय मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप-योजना के लिए धनराशि निर्धारित की है और उन्होंने कितनी धनराशि का नियतन किया है ; और

(घ) राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए आवंटन के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) सभी सम्बन्धित राज्यों ने उप-योजनाएं तैयार कर योजना आयोग को भेजी हैं। वे राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर इन उप-योजनाओं को अब संशोधित किया जा रहा है। अतः इस अवस्था में राज्यों के बजट से परिव्ययों को बताना संभव नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों से जनजाति क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय समन्वय समिति ने हाल ही में मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे जनजाति क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयास करें। यह अभ्यास अभी पूरा होना है।

(घ) यह प्रश्न विचाराधीन है।

**आगरा जिले के फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने के लिए कोयले के लाइसेंस/परिमिट दिए जाना**

7312. **श्री छत्रपति अग्निेश** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आगारा जिले में फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने के लिए किस किस फर्म को कोयले के लाइसेंस/परिमिट दिए गए हैं; और

(ख) इन लाइसेंसों/परिमिटों पर प्रत्येक फर्म को गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के एक हड़तालो कर्मचारी को मृत्यु**

7313. **श्री नुरूल हुडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के एक हड़तालो कर्मचारी की इसके पूर्व जेल में पीटे जाने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी।

(ख) क्या कर्मचारी को फरवरी, 1975 में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की मार से जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी थी तब उसे माह के अन्त में छोड़ दिया गया था ; और

(ग) क्या इसकी जांच कराने की मांग की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :** (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल विधान सभा के दो सदस्यों ने 13-3-1975 को सदन में यह आरोप लगाया था कि भारतीय खाद्य निगम का एक विशिष्टि हड़तालो कर्मचारी जिसे 3 फरवरी, 1975 को गिरफ्तार किया गया था, थाने में पुलिस द्वारा पीटा गया था और जेल में इलाज की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में जांच की थी और मालूम हुआ कि भारतीय खाद्य निगम के ऐसे किसी हड़तालो कर्मचारी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि सम्बन्धित कैदी 28-2-75 को जमानत पर रिहा किया गया था। पीटने के आरोप में कोई सच्चाई साबित नहीं हुई ।

**घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए सस्ता ईंधन देने के लिए प्रमुख नगरों में कोयला गैस उत्पादन एककों की स्थापना**

7314. **श्री डी० के० पंडा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए सस्ता ईंधन प्रदान करने और क्षमता से कम उपयोग किये जा रहे एककों का विस्तार करने के लिए नगरों में कोयला गैस उत्पादन एककों की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) और (ख) सरकार कुछ नगरों में कम तापस वाले कार्बनीकरण कोयला गैस संयंत्र लगाने की संभावना का पता लगा रही है। पश्चिमी बंगाल में, कलकत्ता के निकट 20.33 करोड़ रुपए की लागत से इसी प्रकार का एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव पहले से ही सरकार के विचाराधीन है। स्थापना के बाद इस संयंत्र से लगभग 3.70 लाख घन मीटर गैस, 1,000 टन सोफ्ट कोक और 110 टन तारकोल का दैनिक उत्पादन हो गा ।

**भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र को चिकित्सा सहायता**

7315. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
**श्री शंकर राव सावन्त :**
**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
**श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
**श्री डी०बी० चन्द्र गौडा :**

**चौधरी राम प्रकाश:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजीत नाथ समिति ने स्वर्गीय श्री एल०एन० मिश्र को तात्कालिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में हुई त्रुटियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ एण्ड एसिस्टेंट मैडिकल आफिसरों को पूरी तरह से दोषी ठहराया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन आफिसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : (क) और (ख) स्वर्गीय श्री एल०एन० मिश्र को दी गई चिकित्सा के स्वरूप और उसकी पर्याप्तता उन विषयों में से है जिनकी जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री के०के० मैथ्यू की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये आयोग द्वारा की जा रही है । बिहार सरकार को, एयर मार्शल अजित नाथ की अध्यक्षता में चिकित्सा विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट आयोग के समक्ष उस की जांच से संबद्ध सबूत के भाग के रूप में है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर त्रुटियों के संबंध में, यदि कोई हो, कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

**संचार मंत्रालय और उसके सम्बद्ध कार्यालयों में अस्थायी पदों को स्थायी करना**

7316. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को इस मंत्रालय में और इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के उन अस्थायी पदों की कुल संख्या क्या थी जो पद गत तीन वर्षों में बने हुए थे और जिनकी अनिश्चित अवधि तक बने रहने की संभावना है; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने, जैसा कि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित है, के क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायगा।

**Production of Educational Films by Films Division**

7317. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of educational films produced by the Films Division and the expenditure incurred on each of them; and

(b) whether educational films are rarely exhibited in schools; and if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting : (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) A statement is attached.

(b) Educational Films are regularly circulated among educational institutions by the Central Film Library of the Department of Teaching Aids, National Council of Educational Research and Training, Ministry of Education, Government of India; and various State Governments have also supplied prints of films on loan for exhibition in schools.

**Statement**

**Names of Educational films produced by the Films Division and the expenditure on each of them**

| Sl. No. | Name of film | Expenditure incurred |
|---|---|---|
| | | Rs. |
| 1. | Calcutta | 42,594 |
| 2. | The Circle | 2,26,123 |
| 3. | Climate of India | 51,434 |
| 4. | Coastal Plains of India | 28,586 |
| 5. | Cycle of Seasons | 23,291 |
| 6. | Deccan Tableland I | 24,336 |
| 7. | Deccan Tableland II | 27,023 |
| 8. | Deccan Tableland III | 23,141 |
| 9. | Ganga | 16,768 |
| 10. | Godavari | ** |
| 11. | The Great Plain | 26,244 |
| 12. | Land of Brahmaputra | ** |
| 13. | Narmada | 31,304 |
| 14. | This our India | 1,85,315 |
| 15. | The River Ganga | 35,351 |

The cost of films shown against items 10 and 12 could not be arrived at as these films were completed in 1956 and 1953 respectively as the Films Division was not compling actual cost of production during those years.

**ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में सिद्धेश्वर प्रसाद समिति का प्रतिवेदन**

7318. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन :**

**श्री एन०ई० होरो :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में सिद्धेश्वर प्रसाद समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था तथा समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किया जायेगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) जी हां।

(ख) सिफारिशों का सारांश उपबंध में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—9508/75]

(ग) समिति ने 25 मार्च, 1975 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

**कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा पैदा करने के लिए अमरीकी प्रोद्योगिकी का अध्ययन**

*7320. **श्री पी० गंगादेव :**

**श्री श्री किशन मोदी :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा पैदा करने के लिए अमरीकी प्रोद्योगिकी का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खोई सहित हमारे कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके वाणिज्यिक आधार पर पैट्रोल का स्थान ले सकने वाले किसी पदार्थ का उत्पादन करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में तेल संकट को कम करने हेतु उपरोक्त मामले में कोई प्रयास किए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद** (क) से (ग) विद्युत के उत्पादन के लिए कार्बनिक अपशिष्ट द्रव्यों (आर्गेनिक वेस्ट्स) के प्रयोग के लिए, विशेषज्ञों के एक बहु-अनुशासनिक दल द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट द्रव्यों के समुपयोजन के बारे में तकनीकी एवं आर्थिक समस्याओं के और विस्तृत अध्ययन किए जाने हैं। इस समय ईख के अपशिष्ट द्रव्य सहित, कार्बनिक अपशिष्ट द्रव्यों का पैट्रोल के विकल्प के उत्पादन के लिए प्रयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी के पदों का भरना**

7321. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **प्रधान मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में ली गई परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले आई०ए०एस०, आई०पी०एस० आदि सेवाओं में प्रथम श्रेणी के कुछ पद अभी तक नहीं भरे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित ऐसे रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि इन आरक्षित रिक्त पदों पर, ऐसे उम्मीदवारों को भेजे गये प्रस्तावों को रद्द करके जिन्होंने अभी तक पद नहीं सम्भाले हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों में से व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जिनकी आयोग ने उक्त परीक्षा के आधार पर सिफारिश कर रखी है ; और

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी और जिन्हें अभी तक प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त नहीं किया गया, उन्हें नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख)** स्थिति इस प्रकार है :—

**भारतीय प्रशासन सेवा**

सभी सामान्य रिक्तियां और वे रिक्तियां जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित थी, भर ली गई थी । अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित

12 रिक्तियों में से 2 रिक्तयों को नहीं भरा जा सका, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर पर्याप्त संख्या में सिफारिश नहीं की थी। इन दो रिक्तियों को अनारक्षित किया गया था और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरा गया था। आगामी परीक्षा के लिए अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या में तदनुसार 2 की वृद्धि कर दी गई है।

**भारतीय पुलिस सेवा**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भर ली गई हैं। सात सामान्य रिक्तियों नहीं भरी जा सकीं, क्योंकि जिन 7 सामान्य उम्मीदवारों की आई०पी०एस० में नियुक्तियों का प्रस्ताव भेजा गया था वे इस सेवा में सम्मिलित नहीं हुए ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**कलकत्ता से एक सहायक इंजीनियर का तबादला**

7322. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता टेलीफोन विभाग के कलकत्ता में काम कर रहे एक कनिष्ठतम सहायक इंजीनियर को, एक दूरस्थम स्थान पर स्थानान्तरित करने के आदेश हाल ही में किये गये हैं, जहां यह पद अभी तक बनाया नहीं गया है और उस श्रेणी के अन्य ऐसे कर्मचारियों के तबादले के आदेश नहीं दिये गये हैं, जो कलकत्ता में उक्त इंजीनियर की तुलना में अधिक समय से ठहरे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) कलकत्ता टेलीफोन जिले के कुछ सहायक इंजीनियरों के तबादले के आदेश प्रशासनिक आधार पर अभी हाल ही में जारी किए गए थे। इनमें से एक सहायक इंजीनियर का जो कि कनिष्ठतम नहीं है, तबादला समीपवर्ती पश्चिम बंगाल दूर संचार सर्किल में किया गया है । इस अधिकारी को कलकत्ता टेलीफोन जिले से अब तभी कार्यभार मुक्त किया जाएगा जबकि वह पद जिसका कार्यभार उसे संभालना है, उपलब्ध हो जायगा ।

**प्रधान मंत्री की इलाहाबाद यात्रा**

7323. **श्री मधु दंडवते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उपस्थित हुई थीं ;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके जाने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या उनके साथ वहां कोई सरकारी कर्मचारी (प्रशासनिक) भी गये थे; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) से (घ) प्रधान मंत्री 18 और 19 मार्च, 1975 को,

उनके चुनाव के विरुद्ध श्री राजनारायण, संसद सदस्य द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका के संबंध में साक्ष्य देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन पर वहां उपस्थित हुई । उनके साथ सरकारी काम से निम्नलिखित सरकारी अधिकारी गए ।

(1)
(2) सुरक्षा कर्मचारी
(3)
(4) डाक्टर
(5) प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव
(6) प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव
(7) प्रधान मंत्री जी के निजी सहायक
(8) निजी परिचर

**स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने संबंधी निलम्बित पड़े मामले**

7324. **श्री सी०डी० गौतम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसे स्वतंत्रता सेनानियों संबंधी कोई मामले गृह कार्य विभाग के पास निलम्बित पड़े हैं जोकि छिपे कार्यकर्त्ता थे और जिन्होंने विशेषकर असहयोग आन्दोलनों के दौरान लाठियों की मार खाई तथा अन्य प्रकार की अत्यधिक परेशानियां और कठिनाइयां उठाई ;

(ख) क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों को अभी भी पेंशन नहीं दी गयी है और उसका कारण यह बताया गया है कि छिपी कार्यवाहियों के बारे में कोई प्रमाण अथवा सरकारी रिकार्ड नहीं मिल रहे हैं हालांकि इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने छिपे रूप से कार्य किया तथा काफी हानि उठाई और अपना भविष्य (कैरियर) खराब किया ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले निलम्बित पड़े हैं तथा इन मामलों में भारत सरकार ने कौन सी निश्चित कार्यवाही तथा उपाय करने का विचार किया है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख)** स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो छः महीने से अधिक भूमिगत रहा हो, पेंशन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि वह --

(1) एक घोषित अपराधी हो, अथवा

(2) एक ऐसा अपराधी हो जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया हो, अथवा

(3) जिसकी नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये हैं किन्तु तामील नहीं हुए हों । ऐसे व्यक्तियों के दावों के समर्थन में सबूत प्रस्तुत करने के बारे में मुख्य मानदण्ड यह है कि क्या कोई व्यक्ति इस लिए फरार था, क्योंकि पुलिस को उसकी तलाश थी। यदि न्यायालय के अभिलेखों, जैसे निर्णय, आरोपपत्र अथवा अन्य सरकारी अभिलेखों से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राधिकारियों को वास्तव में उस व्यक्ति की तलाश थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत रहा था तो पेंशन स्वीकृत करने के लिए वह पात्र समझा जाता है । किन्तु ऐसा सबूत विश्वसनीय होना चाहिए । ऐसे

अनिर्णीत मामलों की संख्या की सूची सहज तैयार करना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के मामलों के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो उपरोक्त नियम के अधीन आते हैं और जिन्होंने अपने दावे के समर्थन में संतोषजनक सबूत प्रस्तुत किया है, पेंशन स्वीकृत की जाती है।

**देशी पिस्तोल बरामद होना**

7325. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान पुलिस ने देश के विभिन्न भागों से कुल कितने देसी पिस्तौल बरामद किये तथा इस संबंध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये ;

(ख) गिरफ्तार किये गये इन व्यक्तियों को क्या-क्या दण्ड दिये गए ; और

(ग) क्या ऐसे लोगों को कठोर दण्ड देने के लिए कोई विधान बनाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)**: (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**एकाधिकार-गृहों द्वारा चमड़े की वस्तुएं बनाने के लिए एककों की स्थापना**

7326. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से एकाधिकार गृहों तथा बड़े-बड़े व्यापार-गृहों ने तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए एककों की स्थापना के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) ऐसे एककों की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले बड़े-बड़े व्यापार-गृहों की संख्या कितनी है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) से (ग) : मैं० मुरुगप्पा एण्ड सन्स, मद्रास ने तमिलनाडु में घड़ी के चमड़े के फीतों, घड़ियों के सिन्थेटिक फीतों और तैयार चमड़े के तैयार सामानों का उत्पादन करने के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए जून, 1974 में एक आवेदन दिया यथा। बाद में कम्पनी द्वारा आवेदन वापस ले लिया गया था ।

**Mail Services**

†7327. **Shri Shrikrishna Agarwal** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether in recent survey conducted by the Posts and Telegraphs Department, it has been revealed that there is delay in the Air Mail service and the road and railway mail service is quicker as compared to it ;

(b) if so, whether Government have any proposal under consideration to reorganise Air Mail service; and

(c) if so, the outlines thereof ?

**Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma)** : (a) The Department's policy is to convey mails by Air whether this is advantageous. If between some stations the same advantages can be achieved by surface transmission, then mails are not airlifted in view of the higher cost of air conveyance. As a result of the recent suspension of the night airmail flights by the Indian Airlines, the P & T Department has carried out a review and in a number of cases restructuring of the transmission of mails from Air to surface became necessary resulting in economy without affecting efficiency of the service.

(b) & (c) the road and rail services utilized by the department are constantly being reviewed in order to ensure the most economical and efficient services to the public.

**राज्यों में क्षेत्रीय सेंसर बोर्डों की स्थापना करने की मांग**

7329. **श्री वरके जार्ज:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में यह मांग की जा रही है कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सेंसर बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्निहित विभिन्न तत्वों जिनमें बनाए जाने वाली फिल्मों की संख्या, कार्यालयों के संचालन तथा अन्य बातों पर होने वाला खर्चा भी शामिल है, पर उचित रूप से विचार करने के उपरान्त, यह निर्णय किया गया है कि बोर्ड के कार्यालयों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है ।

**उत्तर प्रदेश में पैन-पिस्तोलों का सुगमता सेउप लब्ध होना**

7330. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में घातक पैन-पिस्तौल तथा उनके लिए उपयुक्त गोलियां सुगमता से प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आधुनिक हथियारों के निर्माण के संबंध में कोई जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो तेत्संबंधी रूप-रेखा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**Purchase of Cotton for Textile Mills under Madhya Pradesh Textile Corporation**

7331. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the quantum of cotton procured during 1972, 1973, 1974 and 1975 (up to March), year-wise, for the five textile mills run by the Madhya Pradesh Textile Corporation, Bhopal,

together with the sources from which and the names of brokers through whom this procurement was made ; and

(b) the amount paid in the purchase deal by way of commission to the brokers and agents during the same period, year-wise, indicating the names of those brokers and agents ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya):** (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Telephone Connections in Jaora, Madhya Pradesh**

†7332. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is a long waiting list of applicants for telephone connections in Jaora (District Ratlam) in Madhya Pradesh ;

(b) whether the income of the Telephone Department has considerably increased after the expansion of the exchange three years ago ;

(c) whether certain ancillary equipments were purchased and strength of the staff was also to be increased for subscribers' convenience;

(d) whether the equipment has been supplied to some other place depriving the subscribers of the proposed facility and they have to wait for hours for making trunks calls; and

(e) if so, the steps taken by Government to remove the difficulties ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :** (a) There is a waiting list of 23 only under the general category.

(b) There has been some increase in the telephone revenues.

(c) & (d) In order to improve the trunk service two new trunk boards were procured for installation in place of the existing trunk board. With the commissioning of the new trunk boards, necessary staff would have been provided. However, for want of suitable accommodation the trunk boards could not be installed and the same have been diverted within the Division itself.

(e) Underground cables for clearing the waiting list are being arranged and attempts are being made to get suitable rented accommodation for installation of the new trunk boards.

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन में अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति**

7333. **श्री एन० श्री कान्तन नायर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन में अन्तर्जातीय विवाह के बारे में दिए गए सूझावों को क्रियान्वित किया है ;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह रिपोर्ट लागू कर दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :(क) से (ग)** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अन्तर्जातीय विवाह करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पांडिचेरी सरकारों ने योजना बनाई है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, जिसमें इस संबंध में सुझाव दिए गए हैं, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार के लिए भेज दी गई है।

**Resolution passed by R.S.S. Organisations**

7334. **Shri Ramavatar Shastri** : : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Akhil Bhartiya Karyakari Mandal (All India Executive Committee) and the Akhil Bhartiya Pratinidhi Sabha (All India Representative Body) of the R.S.S. have, by adopting a resolution in the three-day conference ended on the 23rd March, 1975 called upon the Swayam Sevaks (volunteers) to launch agitations against the policies of the Communist Party of India and the Prime Minister ; and

(b) the policy Government have laid down to fight the Communal and fascist policies ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) :**

(a) Government have seen news reports about a resolution adopted by the Akhil Bhartiya Pratinidhi Sabha of Rashtriya Swayam Sevak Sangh at the end of the three-day conference at Nagpur on the 23rd March, 1975. The reported resolution does not refer to the launching of any such agitation.

(b) Organisations whose activities are prejudicial to the maintenance of communal harmony and to the interests of national integration can be dealt with under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, as amended by the Criminal Law (Amendment) Act, 1972. The question whether the provisions of this law should be invoked in respect of any organisation is examined by Government from time to time in the light of the material available in respect of the activities of the organisation.

**मारुति के प्रोटोटाइप की अहमदनगर व्हिकल डिपो में जांच**

7335. **श्री मधु लिमये** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय/व्यापार विकास महानिदेशालय प्रायः इस बात पर बल देता रहा है कि देश में निर्मित कारों के सभी नये माडल अहमदनगर व्हिकल डिपो भेजे जायेंगे जहां उनकी जांच की जायेगी और उन्हें सड़क पर चलने की योग्यता का प्रमाणपत्र दिया जायेगा ;

(ख) ये जांच किस प्रकार की और किस हद तक होती है और विशेष रूप से मारुति के प्रोटोटाइप की किस प्रकार की जांच की गयी ;

(ग) क्या अहमदनगर व्हिकल डिपो ने इस बात की भी जांच की थी कि प्रोटोटाइप में लगा इंजिन पूर्णतः मारुति फैक्ट्री में निर्मित हुआ है या अंशतः ;

(घ) इस पूछ-ताछ के उत्तर में क्या बताया गया है; और

(ङ) अहमदनगर व्हिकल डिपो ने मारुति के प्रोटोटाइप की जांच करके जो जो रिपोर्ट और प्रमाणपत्र दिया है उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) देश में विकसित की गई गाड़ियों के नये मेकों के आद्यरूपों का 30-9-70 से गाड़ी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर में निर्धारित परीक्षण किया जाता है।

(ख) ये परीक्षण सभी आद्यरूपों पर समान रूप से लागू होते हैं ? तकनीकी कार्य-परीक्षण में अधिकतम गति, त्वरण (एक्सिलरेशन), ईंधन की खपत, ब्रेकों की कार्यकुशलता, शीतल-करण-कार्यकुशलता और ग्रेडेबिलरी की जांच सम्मिलित है।

(ग) तथा (घ) गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान की परीक्षण रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की गई है।

(ङ) आद्यरूप निर्धारित परीक्षणों में सफल रहा।

**विदेशी सहयोग से इलैक्ट्रोनिक टाइप राइटरों का निर्माण**

7336. **श्री वयालार रवि** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के पास विद्युत टाइप राइटरों के निर्माण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दो प्राइवेट फर्मों को विदेशी इलैक्ट्रानिक टाइप राइटरों के आयात की और विदेशी सहयोग से उनके निर्माण की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) जी, हां। विद्युत टाइप-राइटरों के लिए (न कि इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के लिए)।

(ख) और (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० को अंततोगत्वा 4000 वर्ग नग विद्युत टाइप-राइटरों का उत्पादन करने के लिए दिसम्बर, 1973 में एक आशय पत्र जारी किया गया था। इसके पहले विद्युत टाइपराइटरों का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं स्वीकार की गई थीं :--

| पार्टी का नाम | उत्पादक वस्तु की क्षमता | आशय पत्र स्वीकार किए जाने की तिथि | विदेशी सहयोग स्वीकार किये जाने की तिथि | निर्यात दायित्व | टिप्पण |
|---|---|---|---|---|---|
| **टाइप राइटर्स :** | | | | | |
| श्री एम शेषाद्रि मद्रास (उत्तर प्रदेश, नैनी में एक नया एकक स्थापित करने के लिए) | (क) स्टैण्डर्ड 10,000 मशीन प्रतिवर्ष (ख) पोर्टेबल 5000 मशीन प्रतिवर्ष (ग) विद्युत मशीनें 600 प्रतिवर्ष | जुलाई, 1970 | दिसम्बर, 1973 | तीन वर्ष के पश्चात् से उत्पादन का 15 प्रतिशत | |
| श्री मोहन शाह बम्बई | विद्युत 24000 मशीन प्रतिवर्ष | जनवरी, 1971 | — | चारवर्षों के बाद से उत्पादन का 50 प्रतिशत | |

श्री मोहनशाह को जारी किया गया आशय पत्र पार्टी द्वारा की गई प्रगति संतोषजनक न होने के कारण जून, 1974 को रद्द कर दिया गया।

श्री शेषाद्रि का समेकित योजना क्रियावन्यन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

2. ऊपर दी गई योजनाओं के अलावा, भोपाल की मैसर्स ओमेगा लाक्स एण्ड टाइपराइटर्स लि० की निम्नलिखित टाइपराइटरों का उत्पादन करने संबंधी योजना मार्च, 1972 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत की गई हैं:—

| | मशीन प्रतिवर्ष |
|---|---|
| (क) पोर्टेबल | 16,000 |
| (ख) स्टैंडर्ड टाइपराइटर | 1,200 |
| (ग) स्टैंडर्ड टाइपराइटर (विद्युत् चालित) | 1,800 |
| योग | 19,000 |

कम्पनी ने सूचित किया है कि वह योजना को बिना किसी विदेशी सहयोग के कार्यान्वित करेगी। किन्तु अभी तक कंपनी ने उत्पादन शुरु नहीं किया है। टाइपराइटरों, (स्टैंडर्ड, पोर्टेबल और विद्युत) के उत्पादन पर विदेशी सहयोग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विदेशी इक्विटी सहभागिता तथा रायल्टी पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

**आगामी तीन वर्षों के दौरान विद्युत की कमी**

7337. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1975 से 1977 तक विद्युत की भारी कमी होगी जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विद्युत-प्रदाय की स्थिति भिन्न-भिन्न होगी। उत्तरी क्षेत्र में मानसून के सामान्य होने पर, ऊर्जा के संबंध में स्थिति के सुधरने की प्रत्याशा है यद्यपि पीकिंग क्षमता में फिर भी कमी बनी रहेगी। पश्चिमी क्षेत्र में. गुजरात में विद्युत प्रदाय की स्थिति ऊर्जा तथा पीकिंग क्षमता, दोनों के संबंध में संतोषजनक होगी। बहरहाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में कमी के बने रहने की संभावना है और निकटवर्ती प्रणालियों से विद्युत के अन्तरण द्वारा इन कमियों को यथासंभव कम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। दक्षिणी क्षेत्र में, केरल के पास अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध रहेगी, जिसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में प्रयोग में लाया जायेगा, क्योंकि ये राज्यों में पीकिंग क्षमता और ऊर्जा, दोनों ही प्रकार से कमी बनी रहेगी। पूर्वी क्षेत्र में इस समय कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है और पश्चिम बंगाल में पीकिंग क्षमता की कुछ कमी को छोड़कर, इसके इसी प्रकार बने रहने की प्रत्याक्षा है।

(ख) देश में विद्युत की कमी के मुख्य कारण, बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए चौथी योजना में उत्पादन क्षमता की वृद्धि में कमी होने के अलावा, मानसून का अभाव तथा कुछ ताप-विद्युत केन्द्रों में अपेक्षाकृत कम उत्पादन होना है।

(ग) (1) पर्याप्त रूप में अतिरिक्त पुर्जों का प्रबंध करके, उपयुक्त किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध करके, प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों के प्रशिक्षण, विद्युत प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन, लोडों की बारी-बारी से पूर्ति करके तथा उन्हें सूचीबद्ध करके, रख-रखाव प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और प्रचालन तथा रख-रखाव के सतत संचालन (मानीटरिंग) द्वारा वर्तमान ताप-विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना।

(2) उपस्कर और आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों की समय पर व्यवस्था करके तथा निर्माण की प्रगति के संचालन (मानीटरिंग) द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करना।

(3) निकटवर्ती राज्यों/प्रणालियों से सहायता का प्रबंध करना।

(4) वर्गीकृत प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध ऊर्जा के युक्तियुक्त वितरण की प्रणाली को लागू करना और दिखावटी कार्यों के लिए बिजली के प्रयोग पर रोक लगाना, ताकि इस प्रकार बचाई गई विद्युत को उत्पादनकारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

(5) पारेषण और वितरण में होने वाली विद्युत की हानि को कम करना।

**आतिथ्य स्वीकार करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों पर प्रतिबन्ध**

7338. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सरकारों का आतिथ्य स्वीकार करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन)** : (क) और (ख) विदेशी धन (विनियोग) नामक एक विधेयक 24-12-1973 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के समक्ष है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी संसदीय संस्थाएं, राजनैतिक संघ, शैक्षाणिक तथा स्वैच्छिक संगठन और राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक प्रजातंत्र के मूल्यों के अनुरूप कार्य करें, विशिष्ट श्रेणियों के संगठनों द्वारा विदेशी धन और विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने तथा उसके उपयोग को नियमित करने की व्यवस्था है।

**स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की वर्तमान शर्तों में संशोधन**

7339. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की वर्तमान शर्तों में संशोधन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सेवा-निवृत्ति के सभी लाभों के लिए 16 से 20 वर्ष तक की निरन्तर सेवा को पूरी (अर्हक) सेवा मानने का भी है और पेंशन या उपदान तदनुसार अदा किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्मिक प्रशासन के संबंध में दी गई रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश सरकार के विचाराधीन है :—

'(1) किसी सिविल कर्मचारी को पूरे 15 साल सेवा करने के बाद स्वेच्छा से निवृत्त होने की इजाजत दे देनी चाहिए और उसे समानुपातिक पेंशन और उपदान देना चाहिए।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनका अधित्रमण हुआ हो, पन्द्रह वर्ष की अवधि से पूर्व भी, कम से कम दस साल सेवा करने के बाद इन्हीं शर्तों के साथ निवृत्ति मिलने की इजाजत होनी चाहिए।'

## सी०आई०ए० की गतिविधियां

7340. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० आई० ए० की गतिविधियां तथा इसके विध्वंसक कार्य देश में बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इलाहाबाद तथा दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या के लगातार प्रयासों को देखते हुए भारत में सी० आई० ए० के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) सरकार के पास इस संकेत की कोई सूचना नहीं है कि देश में सी०आई०ए० की गतिविधियां वृद्धि पर हैं ? इस सुझाव की भी कोई सूचना नहीं है कि इलाहाबाद और दिल्ली में हुई हाल की घटनाओं से सी०आई०ए० संबंधित है।

सी०आई०ए० समेत विदेशी आसूचना ऐजेंसियों के बारे में निरन्तर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

## "स्पेस गारबेज"

7341. **श्री बनमाली बाबू** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष आयोग "स्पेस गारबेज" की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विदेशी सलाह ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**दो 'न्यूज रीडरों' द्वारा समाचार का प्रसारण**

7342. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने दो 'न्यूज रीडर' द्वारा समाचारों के प्रसारण की नवीन पद्धति आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से यह नवीन पद्धति आवश्यक हुई;

(ग) क्या टेलीविजन पर ऐसी ही पद्धति को इस बीच समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) नवीन पद्धति के प्रति श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस नवीन पद्धति से अधिक खर्च होगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) प्रयोग के रूप में, रात के नौ बजे वाला अंग्रेजी समाचार बुलेटिन गत चार महीनों से दो न्यूज रीडरों द्वारा पढ़ा जा रहा है।

(ख) उद्देश्य रेडियो पर समाचार पढ़ने के विभिन्न तरीकों के प्रति श्रोताओं की पसन्द का पता लगाना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) श्रोताओं के पत्रों से उनकी जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रकट हुई वह प्रतिकूल थी, परन्तु बाद के बम्बई, दिल्ली और मद्रास में श्रोता सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से यह पता लगता है कि जबकि श्रोताओं की राय अलग-अलग है, श्रोताओं का एक अच्छा प्रतिशत इस परिवर्तन के पक्ष में है। इस समय खर्चे में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु यदि परिवर्तन स्थायी कर दिया जाता है तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त खर्चा होगा क्योंकि कुछ और न्यूज रीडरों की जरूरत होगी।

**पाकिस्तानी घुसपैठ में वृद्धि**

7343. **श्री आर०एन० बर्मन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी घुसपैठ में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में काश्मीर के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को हाल ही में सतर्क किया था; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की घुसपैठ विशेषकर पश्चिम बंगाल में घुसपठ को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) से (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) किसी घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

**एम०ए०एम०सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के 'टाइम आफिस' में लगाए गए सी०आई०एस०एफ० के कार्मिक**

7344. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०आई०एस०एफ० के कार्मिकों को एम०ए०एम०सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के "टाइम आफिसों" में सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के बजाय 'टाइम

कीपिंग' टाइम कार्डों की जांच करने आदि जैसे कार्यों के लिये लगाया गया है जिससे कामगरों को काफी परेशानी हो रही है;

(ख) क्या इस से अधिनियम तथा संसद में दिये गए इस आश्वासन का उल्लंघन होता है कि इस बल को केवल "कुछ औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा" के लिये ही लगाया जायेगा; और

(ग) अधिनियम और आश्वासन के उल्लंघन के लिए तथा एम०ए०एम०सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के टाइम आफिस में सुरक्षा कार्मिकों को न लगाये जाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) सी०आई०एस०एफ० के कार्मिकों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उपक्रम के संरक्षण और सुरक्षा के लिये एम०ए०एम०सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के 'टाइम आफिस' में तैनात किया गया है। बल के सदस्यों का टाइम कीपिंग तथा टाइम कार्डों की जांच से कोई संबंध नहीं है, जोकि टाइम कीपर की जिम्मेदारियां हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**नेशनल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्टल एम्प्लाइज संघ की कानपुर शाखा का अभ्यावेदन**

7345. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स के संबंध में मदन किशोर समिति की सिफारिशें क्या हैं और प्रत्येक सिफारिश के संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(ख) श्रीलंका, बर्मा और ब्रिटेन के ऐसे ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों की तुलना में वे कैसी हैं;

(ग) क्या उन्हें इस संबंध में 18 फरवरी, 1975 को नेशनल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्टल एम्प्लाइज संघ की कानपुर शाखा की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें उठाई गई बातों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) मदन किशोर समिति की 146 सिफारिशों से संबंधित स्थिति के बारे में ब्यौरेवार विवरण-पत्र तैयार किया जा रहा है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) मदन किशोर समिति ने श्रीलंका, बर्मा और यू०के० में इसी प्रकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों के बारे में सूचना एकत्र की थी और वह सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दे दी गई है।

(ग) लगता है ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

**श्रीलंका, वर्मा और यू०के० में विभागेतर कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें**

**श्रीलंका :**

डाक-तार विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों को एम०पी०एम० की पदसंज्ञा दी गई है। ऐसा कर्मचारी उस इलाके में कम से कम 10 वर्ष से रह रहा हो और उनकी आयु 21 वर्ष और 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं। उन्हें छुट्टी मिल सकती है बशर्ते कि उनकी जिम्मेदारी पर किसी व्यक्ति को स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए लगाया गया हो और बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। उसे भत्ता, निर्वाह व्यय भत्ता और विशेष जीवन-निर्वाह भत्ता अदा किया जाता है। इस पद पर पेंशन नहीं मिलती लेकिन उपदान मिलता है और प्रत्येक एम०पी०एम० को निर्धारित जमानत की रकम अदा करनी पड़ती है।

**वर्मा :**

वर्मा में विभागेतर एजेंटों का प्रशासन के साथ न तो कोई इकरारनामा होता है और न ही इस नौकरी के लिये आयु की कोई निश्चित सीमा है। उनके पास जीवन-निर्वाह के कुछ स्वतन्त्र साधन होने चाहिएं या कुछ फालतू समय होना चाहिए जिसमें वे पर्याप्त धनार्जन कर सकें। उन्हें मकान किराया भत्ता, नगर भत्ता, उपदान, पेंशन आदि देय नहीं है। उन पर आचरण संबंधी वे ही नियम लागू होंगे जो नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

**यू०के०**

यू०के० में अंशकालिक कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश के लिए आयु 16 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है। वे भत्ते और वर्दी के साथ छुट्टी के हकदार हैं। लेकिन वे मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और परिवहन सुविधाएं पाने के हकदार नहीं हैं। भत्ता प्रदाताओं को छोड़ कर बाकी सभी अंशकालिक कर्मचारी उपदान, पेंशन, भविष्य निर्वाहनिधि आदि पाने के हकदार हैं। उन्हें घंटों के हिसाब से भुगतान किया जाता है और उन्हें सिविल कर्मचारी नहीं माना जाता।

**थाना कंचनपुर त्रिपुरा के अधीन शिवनगर मौजा के एक आदिवासी की हत्या**

7346 **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान त्रिपुरा राज्य के थाना कंचनपुर के अधीन शिवनगर मौजा के एक आदिवासी, धर्म चरण चकमा की 17 मार्च, 1975 को गैर-आदिवासियों के एक गिरोह द्वारा, जिसने अन्य व्यक्तियों को भी घातक चोट पहुंचायी थी, की गई हत्या के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या कंचनपुर थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा मृतक को 24 घंटे से अधिक समय तक डाक्टरी सहायता नहीं देने दी गई; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस अधिकारी और अभियुक्त हत्यारे के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शुक्रमणी चकमा ने 18 मार्च, 1975 के प्रातःकाल थाना कंचनपुर में यह आरोप लगाते हुए शिकायत लिखाई कि 17 मार्च, 1975 को कुछ लोगों ने श्री धर्मचरण चकमा के घर में

अतिक्रमण किया, श्री चकमा, उसके लड़के तथा भतीजे को बलपूर्वक बाहर घसीटा और तीनों व्यक्तियों को मारा। पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 147/447/365/325 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। उसी दिन अर्धरात्रि के पश्चात् लगभग 3.30 बजे श्री धर्म चरण चकमा तथा उसके लड़के को घायल अवस्था में थाने में लाया गया था। जो व्यक्ति उनको थाने में लाए थे उन्होंने शिकायत लिखाई थी कि श्री चकमा तथा उसके लड़के ने श्री सुखमय भौमिक के पशु चुराये थे और उनको चुराये गये पशुओं सहित पकड़ लिया गया और पशुओं के मालिक के घर में ले जाया गया था। तब पुलिस ने श्री चकमा तथा उसके लड़के के शरीर के घावों के संबंध में रिपोर्ट तैयार की और उनको सवेरे लगभग 8 बजे परीक्षण तथा चिकित्सा के लिए कंचनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा। श्री चकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाता हुआ रास्ते में मर गया, बाद में कचंनपुर थाने के प्रभारी अधिकारी ने शुक्रमणी चकमा द्वारा दर्ज कराए गय मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और जोड़ दी थी। मामले में सुखमय भौमिक समेत 21 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। 14 अभियुक्त जमानत पर छोड़े गये हैं तथा सात व्यक्ति अभी हिरासत में हैं।

**सोवियत टेलीविजन दल द्वारा बिहार विधान सभा की बैठक की फिल्म बनाना**

7347. **श्री एस०एन० मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत टेलीविजन दल द्वारा ली गई बिहार विधान सभा की बैठक की फिल्मों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में तथ्य क्या हैं और क्या फिल्म का कोई हिस्सा सरकार द्वारा जब्त किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि सोवियत कैमरामैन विधान सभा में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने सोवियत संघ अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिल्म जो सोवियत प्राधिकारियों द्वारा दे दी गई थी, से बिहार विधान सभा की बैठक का एक शाट निकाल दिया गया है और शेष फिल्म सोवियत रेडियो तथा टेलीविजन ब्यूरो के प्रमुख के दल को लौटा दी गई है।

(घ) इस बारे में एक विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए आगे कोई कार्रवाई जरूरी नहीं समझी जाती।

**विवरण**

सोवियत रेडियो और टेलीविजन ब्यूरो के प्रमुख, जो भारत सरकार द्वारा प्रत्यायित हैं, ने 2 दिसम्बर, 1974 को पत्र सूचना कार्यालय से निवेदन किया कि उन्हें बिहार पर उनकी फिल्म के एक अनुक्रम के रूप में बिहार विधान सभा के कुछ शाट लेने की सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने यह स्पष्ट किया

था कि वे सदन की कार्यवाहियों के कोई शाट नहीं लेना चाहते। यह निवेदन बिहार विधान सभा के सचिवालय के उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था जो उचित और ठीक समझी जाए, क्योंकि मामले पर वही सचिवालय निर्णय लेने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है। समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि टेलीविजन टीम को कुछ शाट लेने की इजाजत दी गई, परन्तु विधान सभा के चैम्बर में नहीं।

हमने फिल्म को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। फिल्म को देश से बाहर ले जाने की इजाजत तभी दी जायेगी जब हमें यह तसल्ली दी जायेगी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपतिजनक हो या बिहार विधान सभा की संसदीय परम्पराओं और परिपाटियों के विपरीत हो।

**कलकत्ता टेलीफोन विभाग**

7348. **श्री समर गुह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन विभाग के कार्य में कर्मचारियों की कमी के कारण रुकावटें आ रही हैं;

(ख) क्या सुपरवाइजरों, आटो एक्सचेंज सहायकों, टेलीफोन निरीक्षकों, तकनीशियनों और केबल जाएंटरों की क्रमश: 10,40,15,18 और 10 प्रतिशत कमी है;

(ग) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर ने बहुत से दोषपूर्ण टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण तथा टेलीफोन सप्लाई किये और कलकत्ता टेलीफोन विभाग को अतिरिक्त पुर्जे सप्लाई करने में विलम्ब किया जा रहा है; और

(घ) सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये हैं?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा):** (क) और (ख) कलकत्ता टेलीफोन में मोटे तौर पर तकनीकी कर्मचारियों की इतनी ही कमी है, जिसका कि उल्लेख किया गया है। वांछित संख्या में कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए लगातार विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारी पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने सभी एक्सचेंज प्रणालियों को जो उपस्कर और टेलीफोन सप्लाई किए हैं, उनका स्तर आमतौर पर संतोषजनक है। लगातार इस्तेमाल होने के बाद उनमें अक्सर खामियां और खराबियां आ ही जाती हैं। कलकत्ता में सिर्फ डाइरेक्ट प्रणाली के लिए अपेक्षित थोड़े से फालतू पुर्जों की सप्लाई में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से कह दिया गया है कि वे अच्छे किस्म के फालतू पुर्जे यथाशीघ्र सप्लाई करने की व्यवस्था करें।

**आकाशवाणी द्वारा वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ करना**

7349. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के बाकी केन्द्रों पर निकट भविष्य में वाणिज्यिक सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह):** (क) जी, हां। वाणिज्यिक सेवा का विस्तार विविध भारती के सभी केन्द्रों में किया जा रहा है।

(ख) आशा है कि वाणिज्यिक सेवा आठ और केन्द्रों अर्थात् पटना-रांची, भोपाल-इन्दौर, जयपुर, जोधपुर, त्रिवेन्द्रम तथा कटक से मई, 1975 से तथा बाद में वर्ष के अन्दर श्रीनगर और कालीकट से चालू हो जायेगी।

**वर्ष 1975–76 के लिए जनजातीय विकास के लिए उप-योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि देना**

7350. **श्री के० प्रधानी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय विकास के लिये उप-योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि सरकार द्वारा 1975-76 में रिलीज की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है?

**गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1975-76 वर्ष के लिए बजट में उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि 1974-75 वर्ष में 5 करोड़ रुपये की थी। 1974-75 वर्ष में आरम्भ किये जाने वाले स्वीकृत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं और तत्कालीन आदिवासी विकास खण्डों के कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए 13 करोड़ रुपये का तदर्थ आवंटन किया गया है। 1975-76 वर्ष के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के लिए उनसे स्थायी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अन्तिम आवंटन किया जायेगा।

**औद्योगिक इकाइयां**

7351. **श्री एस०आर० दामाणी:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन नई औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो वर्ष 1973 और 1974 में 50 लाख रु० से अधिक की लागत पर स्थापित की गईं और जिन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया है?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई०):** तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार 1973 और 1974 में विभिन्न उद्योगों के कार्यान्वित किए गए नए उपक्रमों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। परियोजनाओं की पूंजीगत लागत सम्बन्धी जानकारी नहीं रखी जाती।

**विवरण**

| | |
|---|---|
| 1. औद्योगिक मशीनें | 15 |
| 2. टूल्स | 10 |
| 3. उपकरण | 4 |
| 4. हल्की यान्त्रिक इन्जीनियरी | 56 |
| 5. कृषि उद्योग | 12 |
| 6. निर्माण उपकरण | 1 |
| 7. मोटर गाड़ी | 5 |

| | |
|---|---|
| 8. विद्युत् उपकरण | 11 |
| 9. इलेक्ट्रानिक्स और टेलीप्रिन्टर | 5 |
| 10. धातु कार्मिक उद्योग | 30 |
| 11. उर्वरक | 5 |
| 12. अल्काली और सम्बदध रसायन | 4 |
| 13. आरगेनिक एण्ड पेट्रोकेमिकल्स | 3 |
| 14. अल्कोहल | 4 |
| 15. प्लास्टिक | 5 |
| 16. विविध रसायन | 8 |
| 17. औद्योगिक गैसें | 7 |
| 18. इन्सेक्टीसाइड्स | — |
| 19. दवाइयाँ और औषधियां | 1 |
| 20. डाइयां और विस्फोटक | 5 |
| 21. सीमेंट | 3 |
| 22. सिरेमिक्स/रिफैक्टरीज | 4 |
| 23. काँच | 3 |
| 24. रबर | 2 |
| 25. कागज और लुगदी | 9 |
| 26. मानव निर्मित रेशे | 2 |
| 27. तेल | 12 |
| 28. साबुन तथा वसा वाले एसिड | 4 |
| 29. खाद्य | 19 |
| योग | 249 |

**Purchase of goods by Officers of Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi in Customer Account**

7352. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi has issued orders to the effect that the regular employees of the Bhavan can purchase cloth worth rupees one hundred in customer account :

(b) whether any of the officers of the Bhavan has purchased goods worth more than Rs. 100 in customer account;

(c) if so, the value of the goods and the name of the officer ; and

(d) whether Government propose to take any action in this matter ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma)**: (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Shri P.C. Jain, Manager of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi purchased goods worth Rs. 858.03 on credit from the Bhavan in October and November, 1974 and the amount was paid by him in two instalments on 12th November, 1974 and 13th March, 1975.

(d) Since the amount involved has already been paid no further action is considered necessary.

### उत्तरी बंगाल में अखबारी कागज का संयंत्र

7353. **श्री रान्जेन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरी बंगाल में 110 करोड़ रु० की लागत पर अखबारी कागज के संयंत्र के प्रस्ताव को त्याग दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री** (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रतिदिन 200 मी० टन अखबारी कागज की दैनिक क्षमता का एक उपक्रम स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को एक आशयपत्र जारी किया गया है।

### Generation of Thermal Power in Rajasthan

*7354. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether Government have started generating thermal power in Kota, Rajasthan; and

(b) if so, the progress thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### प्रतिभा–पलायन

7355. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन तथा अन्य कुशल कारीगर रोजगार के लिये तथा बाद में विदेशों में बसने के लिये उत्तरोत्तर रूप से देश छोड़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिये वर्गवार उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों को देश में रखने के लिये कोई योजना तैयार की है जिससे प्रतिभा-पलायन की बनी प्रवृति रोकी जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के कार्यान्वित संबंधी मुख्य बातें क्या ह और गत तीन वर्षों में इस बारे में कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) और (ख) कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अन्तर्गत राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग के अनुसार 2272 वैज्ञानिक, इंजीनियर,

प्रौद्योगिकीविद् तथा चिकित्सक कार्मिक गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किये गये थे। उनका श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| वैज्ञानिक | 833 |
| प्रौद्योगिकीविद् | 81 |
| इंजीनियर | 888 |
| चिकित्सक | 470 |
| | 2,272 |

(ग) और (घ) भारत सरकार समस्या से पूर्ण-रूपेण अवगत है। और देश में रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। संलग्न विवरण में उठाये गये कदमों एवं उससे प्राप्त सफलता का निर्देश है।

**विवरण**

**वैज्ञानिकों, इंजिनियरों और चिकित्सा कार्मिकों आदि के रोजगार संबंधी सुअवसरों को उन्नत करने के लिये किये गए उपाय**

(1) रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति मासिक बुलटिन प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की लगभग तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निःशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो सके।

(2) भर्ती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों की परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तरों में योग्य प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश की जाती है।

(3) सी० एस० आई० आर० प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृत व्यक्तियों की विचारार्थ सिफारिश भी करता है।

(4) सी० एस० आई० आर०, यू० जी० सी०, आई० सी० एम० आर०, आई० सी० ए० आर, आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(5) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसन्धान योजनाओं के लिये विभिन्न अधिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है। इस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

(6) सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों आदि को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है।

(7) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को जल्दी रोजगार में नियमित करने के लिये अधिसंख्यक पदों की योजना चल रही है।

(8) चौथी पंच वर्षीय योजना (1971-72—1973-74) में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये योजना आयोग ने एक सौ चौंतीस करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस आबंटित राशि में से करीब तिरानवे हजार रुपये लगभग 71 हजार व्यक्तियों को रोजगार पर लगाने में खर्च किये गये थे।

(9) चौथी योजना के दौरान राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा पचास करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। यहां आवंटन इस दृष्टिकोण से किया गया था।

राज्य सरकारें भी उतना ही योगदान देगी। लगभग 69 करोड़ रुपये की एक धनराशि 3.80 लाख कार्यों और 384 लाख व्यक्ति दिवसों के रोज़गार पर खर्च की गई थी।

(10) वर्ष 1973–74 में योजना आयोग ने स्व-रोज़गार उत्पन्न करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये के केन्द्रीय बजट के साथ "लाखों के लिये रोजगार कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया था। यह धनराशि बाद में घटा कर सत्तर करोड़ रुपये कर दी गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973–74 में चौवन करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्यों संघीय क्षेत्रों को दी गई थी, जिस में से पचास करोड़ रुपये 3.24 लाख व्यक्तियों को रोज़गार देने पर खर्च किय गये जैसा कि सूचित किया गया है।

(11) वर्ष 1974–75 में चालीस करोड़ रुपये के केन्द्रीय बजट आवंटन के साथ योजना आयोग द्वारा एक नवीन कार्यक्रम "रोजगार उन्नत कार्यक्रम के नाम से शुरू किया गया है। इसमें से अठ्ठाइस करोड़ रुपये की नई योजनाओं के लिये अलग रखे गये हैं जबकि बारह करोड़ रुपय "लाखों के लिये रोजगार कार्यक्रम" की निरन्तर चल रही पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिये दिये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जनवरी 1975 तक कुल 23 करोड़ रुपये 1.417 लाख व्यक्तियों की क्षमता के रोजगार के लिये राज्यों और संघीय क्षेत्रों को स्वीकृत किये गये।

(12) स्व-उद्योग चलाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(13) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिक विदों को अपने स्व-उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे नये कार्यों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक भी आवश्यकतानुसार कुल पूंजी प्रदान करते हैं।

(14) वैज्ञानिकों, इंजिनियरों, प्रौद्योगिकी विदों द्वारा गठित औद्योगिक सहकारी विशिष्ट योजना को सरकारी अनुदान प्राप्त करन का अधिकार है। इस अनुदान की राशि उद्योगपतियों द्वारा लगाई गई पूंजी से तीन गुनी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वे इस प्रकार हैं :– किराया उपयुक्त मामलों में, कुछ समय के लिए सैल्सटेक्स आदि की छूट देना, चुंगी, बिजली आदि विविध व्यवस्थाएं प्रदान करना।

(15) निजी और सहकारी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि को रोज़गार प्रदान करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के वेतन में चार सौ रुपये तक की राशि में पचास प्रतिशत की सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी और दो सौ पचास रुपये (वेतन) एक वर्ष की अवधि के लिये विज्ञान के स्नातकोत्तरों को रोजगार पर लगाने के लिये जो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोज़गार प्रदान कर सके, को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(16) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी वेतनमान और कार्यगत स्थितियां, शैक्षिक क्षेत्र में अपने उच्च योग्यता प्राप्त विद्वानों को आकर्षित करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं।

(17) संघीय लोक सेवा आयोग और अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोगों से उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिये उन प्रत्याशियों को जिनका नाम नेशनल रजिस्टर में दर्ज है, को व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रत्याशी मानने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। भारत के पदों के लिए विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक और विदों का साक्षात्कार करने की भी व्यवस्था कर दी है।

(18) वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के पदों पर भारत के लिए चयन किए हुए प्रत्याशियों को जिनका चयन विदेशों में हुआ है यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए यदि वे तीन वर्ष तक सेवा करने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करें, स्वीकृति प्रदान की।

**आदिवासी क्षेत्रों में ऋण प्रतिदान अधिनियम का प्रवर्तन**

7356. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऋण प्रतिदान अधिनियम की क्रियान्विति के परिणाम स्वरूप धनबाद गिरिडीह तथा हजारीबाग जिलों में आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति के बारे में सूचनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आदिवासियों द्वारा इस संबंध में सरकार से कोई मांग की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) केन्द्र सरकार को सूचना मिली है कि बिहार ऋण मुक्ति अध्यादेश की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप कुछ आदिवासियों ने अनधिकृत ढंग से प्रतिभूत सम्पति पर अधिकार करना आरम्भ किया है। रिपोर्ट मिली है कि इस के प्रतिशोध में गैर आदिवासी साहूकारों ने आदिवासियों को ऋण सुविधाएं देना बन्द कर दिया है।

(ख) तथा (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है।

**आकाशवाणी द्वारा एक समाचार ब्यूरो की स्थापना**

7357. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी का विचार समाचार सेवाओं पर निर्भर रहने को बजाय जनता को सही और प्रमाणिक समाचार देने के लिए प्रत्येक राज्य तथा जिले में समाचार सेवा की व्यवस्था करके एक समाचार ब्यूरो गठित करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : आकाशवाणी देश के अन्दर समाचारों को कवर करने के लिए दिल्ली राज्यों की राजधानियों एवं जिलो में तैनात अपने संवाददाताओं के दलों तथा समाचार एजेन्सियों पर निर्भर करती है । यदि स्रोतों ने इजाजत दी तो देश के विभिन्न भागों में समाचार पत्रों को विस्तृत रूप से कवर करने के लिये और अधिक संवाददाता रखने का प्रस्ताव है।

**टेलीफोन विकास दर**

7358. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग ने क्या-क्या टेलीफोन विकास दर सुनिश्चित की थी; और

(ख) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक विकास दरें कितनी-कितनी रहीं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं में टेलीफोन के विकास की कोई विशेष दरें सुनिश्चित नहीं की थीं। फिर भी, सामान और वित्तीय साधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए डाक-तार विभाग की क्रमिक पंचवर्षीय दूरसंचार योजनाओं के दौरान टेलीफोनों के विकास की नियोजित दर (मिली-जुली) लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक रही है और जिसका कि अनुमोदन योजना आयोग ने किया है।

(ख) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान टेलीफोनों के विकास की वास्तविक दरें इस प्रकार रहीं हैं :

| | |
|---|---|
| 1. पहली योजना | 10.5 प्रतिशत (मिली-जुली) |
| 2. दूसरी योजना | 10.7 प्रतिशत ( " ") |
| 3. तीसरी योजना | 13.1 प्रतिशत ( " ") |
| 4. योजना रहित अवधि (1966—69) | 7.8 प्रतिशत ( " ") |
| 5. चौथी योजना | 8.7 प्रतिशत ( " ") |

**बम्बई-दिल्ली-मद्रास के बीच ट्रंक सेवायें**

7359. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली, मद्रास में ट्रंक स्वचालित केन्द्रों से जुड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रयोक्ता ट्रंक डायलिंग पद्धति की प्रथम क्रमावस्था को प्रायोगिक आधार पर लागू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इन पर प्रयोग कब किया जायेगा और प्रयोग की अवधि क्या है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) : बम्बई, दिल्ली और मद्रास के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों से जुड़े हुए नगरों के बीच निम्नलिखित तारीखों को रियायती शुल्क दर अवधियों के दौरान उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा प्रायोगिक आधार पर चालू की गई हैं :—

| | |
|---|---|
| (i) दिल्ली-बम्बई | 15 मार्च, 1975 |
| (ii) बम्बई-मद्रास | 22 मार्च, 1975 |
| (iii) दिल्ली-मद्रास | 31 मार्च, 1975 |

ऐसा प्रस्ताव है कि इन मार्गों का तब तक प्रेषण जारी रखा जाय जब तक कि यातायात संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध न हो जायें और यातायात की जरूरत के मुताबिक सर्किटों की संख्या में वृद्धि न कर दी जाए।

**क्षेत्र प्रचार अधिकारियों और क्षेत्र प्रदर्शनी अधिकारियों के वेतनमानों में असमानता**

7360. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व क्षेत्र प्रचार अधिकारियों और क्षेत्र प्रदर्शनी अधिकारियों के वेतनमान क्या थे ;

(ख) तीसरे वेतन आयोग ने क्या-क्या वेतनमानों की सिफारिश की।

(ग) क्या क्षेत्र प्रदर्शन अधिकारियों के वेतनमान में कोई असमानता होने की बात सरकार की जानकारी में लाई गई है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी 270-10-290-15-410-द०रो०-15-485 रुपये। क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी : 350-20-450-25-575 रुपये।

(ख) वेतन आयोग ने क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-3 में शामिल करने की सिफारिश की है। इस ग्रेड का वेतनमान 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये अधिसूचित कर दिया गया है।

क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी के पद के लिये 650-30-740-35-880-द०रो०-40-960 रु० के वेतनमान की सिफारिश की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

**कोयला खान प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई**

7361. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे कोयला सप्लाई न करने तथा विचौलियों के माध्यम से इसकी सप्लाई करने के क्या कारण हैं ;

(ख) कोयला खान प्राधिकरणों से कोयला प्राप्त कर रहे उन विचौलियों वैयक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं और उन्हें कमीशन के रूप में कितनी वार्षिक आय होती है ;

(ग) इन विचौलियों द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये क्रयादेशों की तुलना में घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या बागरा सेन्ट्रल रेलवे पर खपरैल के काम के लिये सप्लाई किये गये कोयले की किस्म की जांच करने के लिये कोयला खान प्राधिकरण अपना प्रतिनिधि भेजेगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वरी प्रसाद)** : (क) मुख्य उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई के लिए कोयला खान प्राधिकरण अपनी नीति के अनुसार न तो बिचौलियों को रखता है और न ही किसी एजेन्सी को किसी प्रकार का कमीशन देता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**डाक-टिकटों का जारी किया जाना**

7362. **श्रीमती पार्वती तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाइकम सत्याग्रह, जिसे इस वर्ष अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, की स्वर्णजयन्ती के सम्मान में 1975 में एक विशेष स्मृति डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो टिकट कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि वाइकम सत्याग्रह की स्मृति में तारीख 20 अप्रैल को वाइकम डाकघर में एक विशेष कैंसिलेशन का प्रयोग किया गया था।

**अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को सुविधाएं**

7363. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को इस समय क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ; और

(ख) तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**Workers in Arthur Butler Co., Muzaffarpur**

7364. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether two thousand workers used to work in the Arthur Butler Company, Muzaffarpur, prior to its take over by Government, whereas their number has been reduced to mere three hundred now ;

(b) if so, the reasons therefor.

(c) whether this company does not work to its capacity which is one of the reasons for the loss being incurred by it ;

(d) whether the officers of this company are given fat amounts by way of pay and allowances ; and

(e) if not, the monthly break-up of the expenditure incurred on workers and officers separately ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George)**: (a) & (b) The strength of workers in Arthur Butler prior to its take over was 667. The present strength is 315. There are possibilities of further recruitment of workers consequent upon the factory increasing its production.

(c) Because of the long period of its closure, the factory has not yet been fully rehabilitated. The primary reason for the losses has been the unremunerative wagon orders taken in the past.

(d) No, Sir. The officer who have been taken back on employment in the company after its take over have not been given any additional emoluments over what they were getting before.

(e) The information is as follows :

| | January, 75 | February '75 | March '75 |
|---|---|---|---|
| | Rs. | Rs. | Rs. |
| (i) Workers . | 42,000 | 55,000 | 57,000 |
| (ii) Officers | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

**रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली पर भीड़भाड़**

7365. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि उद्योग भवन और रेल भवन के बीच रफ़ी मार्ग पर बहुत भीड़भाड़ रहने लगी है ;

(ख) क्या इससे सड़क प्रयोक्ताओं के लिये खतरा बन गया है ; और

(ग) इस सड़क से भीड़भाड़ समाप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) रफ़ी मार्ग पर वाहन यातायात में कई गुणा वृद्धि हो गई है क्योंकि उसके आस पास बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय स्थित हैं। शिखर कालीन अवधि में कार्यालय जाने वालों के लिये दिल्ली परिवहन निगम भी अतिरिक्त बस सेवा चलाता है जिससे भीड़भाड़ में वृद्धि हो जाती है। इस मार्ग को दक्षिण दिल्ली आने जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है।

(ख) 1974 वर्ष के दौरान इस मार्ग पर कुल 24 दुर्घटनाएं हुई थीं। इनमें से 7 मामलों में चोटें लगी थीं जबकि शेष 17 मामलों में कोई घायल नहीं हुआ था। चालू वर्ष के दौरान केवल चार दुर्घटनायें हुई हैं और केवल दो दुर्घटनाओं में अन्तर्गस्त व्यक्ति घायल हुए थे। 1-1-1974 से अब तक कोई घातक दुर्घटना नहीं घटी है।

(ग) रफ़ी मार्ग पर बस पट्टिका के निर्माण के लिये योजना तैयार की गई है। दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारी भी एक नया बस टर्मिनल बनाने के लिए डूप्ले रोड--मोतीलाल नेहरू मार्ग के समीप भूमिखंड के अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन होने पर इस मार्ग पर भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी।

**केरल में रबड़ पर आधारित एकक**

7366. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को देखते हुए कि केरल राज्य बड़ी मात्रा में रबड़ का उत्पादन करता है क्या वहां रबड़ पर आधारित एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : केलर राज्य में रबड़ की विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए नए उपक्रमों की स्थापना करने हेतु अब तक 5 आशय-पत्र दिये गये हैं ? जिनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| पार्टी का नाम | आशय-पत्र जारी करने की तिथि | स्थान | उत्पादन की वस्तु |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. मैं० केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० त्रिवेंद्रम | 24-8-1972 | केरल राज्य | (1) रेयर और नाइलोन से मजबूत की गई रबर कन्वेयर बेल्टिग<br>(2) स्टील कार्ड की रबड़ कन्वेयर बेल्टिग ।<br>(3) रबड़ ट्रांसमीटर बेल्टिग ।<br>(4) पंखा और बी० बेल्ट्स । |
| 2. मैं० केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, त्रिवेंद्रम | 5-4-1973 | केरल राज्य | रबड़ थ्रेड । |
| 3. मैं० केरल स्टेट कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन लि० | 26-6-1974 | केरल राज्य | मोटर गाडियों के टायर, ट्यूब और फ्लेयस |
| 4. मैं० रूबी रबड़ वर्क्स प्रा० लि० (अब मैं० अपोलो टायर्स (लि०) कोचीन | 25-11-1970 | चालाकुडी जिला त्रिचूर (केरल) | मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब |
| 5. श्री जी० बी० चाण्डी मैं० हेवी कारपोरेशन, कोचीन | 30-8-1974 | कोचीन | धातु में मोड़ी हुई रबड़ के उत्पाद और रबड़ की लाइनिंग और मुड़े हुए एवं एक्सट्रेड वस्तुएं |

**जनजातीय क्षेत्रों का विकास**

7367. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि जनजातिय क्षेत्रों के विकास को सुदृढ़ करने और उसे गति देने और वित्तीय दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों की उप-योजना में सहायता करने के लिये जनजातीय क्षेत्रों में बैंकों तथा सहाकारिताओं जैसी वित्तीय संस्थाएं खोली जायेंगी ;

(ख) उनके मंत्रालय के इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में कोई नई नीति अपनाई है ?

**गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री**

**(श्री ओम् मेहता)** : (क) से (ग) : भारत सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए शाख तथा विपणन के आवश्यक प्रबंधों के प्रश्न पर विचार किया था । समिति ने एक समान शाखा तथा विपणन ढांचे की सिफारिश की जो आदिवासियों की आवश्यकतानुसार सभी महत्वपूर्ण सेवायें जैसे उत्पादन शाखा की व्यवस्था, कृषि तथा वनों के लघु उत्पादन के विपणन के लिये प्रबंध की व्यवस्था करेगा । एकीकृत ढांचा आदिवासियों के उपभोग तथा सामाजिक प्रयोजन की आवश्यकताओं के लिए भी व्यवस्था करेगा । इन सिफारिशों को उप-योजना क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, और राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

**नालगोंडा, आन्ध्रप्रदेश में अरण्डी उद्योग समूह**

7369. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा में अरण्डी उद्योग समूह की स्थापना करने के लिए मैसर्स इण्डियन आक्सीजन कम्पनी के आवेदन पत्र की उस राज्य ने सिफारिश की थी और उक्त उद्योग को आवश्यक मूलाधार सम्बन्धी सहायता देने का भी आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग की मुख्य बातें क्या हैं और यह मामला कब से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ा है;

(ग) क्या देश का 60 प्रतिशत उत्पादन केवल आन्ध्र प्रदेश में ही होता है और नालगोंडा जिला में यहां कारखाने की स्थापना की जानी है एक प्रमुख अरण्डी उत्पादक जिला है; और

(घ) सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करने और अरण्डी उत्पादन को प्रोत्साहन देने में इस उद्योग के महत्व तथा तेलगांना के अधिसूचित पिछड़े जिले का विकास करने को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) मैं० इण्डियन आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ने आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में एक नये एकक की अरण्डी का तेल, अरण्डी के तेल से बनी वस्तुएं जैसे हाईड्रोजिनेटेड केस्टर आयल फेटी एसिड, डिहाइड्रेटेड केस्टर आफ फेटी एसिड, डीमर एसिड, पौलीमाइड्स केस्टर केक और ग्लेसरीन बनाने के लिए स्थापना करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 3-6-1974 को आवेदन किया है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, देश में अधिक अरण्डी पैदा करने वाला राज्य है और नालगोंडा जिले को अरण्डी पैदा करने वाला प्रमुख जिला बताया जाता है ।

(घ) सरकार मैं० इंडियन आक्सीजन लि० के आवेदन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

**विशाखापत्तनम में क्लिन्कर ग्राइंडिंग यूनिट**

7370. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहरी पत्तन परियोजना की स्थापना के अलावा प्राकृतिक पत्तन जैसी उत्तम निर्यात सुविधाओं और विशाल उद्योग समूह के साथ तेजी से विकसित हो रहे केन्द्र के रूप में उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आन्ध्र प्रदेश, सरकार ने विशाखापत्तनम में एक क्लिन्कर यूनिट स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या मैसर्स आन्ध्र सीमेंट कम्पनी विजयवाड़ा की ग्राइंडिंग मिल का विशाखापत्तनम में तत्काल उपयोग करना सम्भव नहीं है, जिसे राज्य से बाहर अन्य किसी स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) :** (क) से (ग) जनवरी 1975 में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में सीमेंट कारपोरेशन अथवा भारत सरकार द्वारा स्वयं एक ग्राइंडिंग (पिसाई) मिल लगाने के लिये एक निवेदन किया गया था । राज्य सरकार को बताया गया था कि सीमेंट कारपोरेशन अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की मिल स्थापित करना सम्भव नहीं है । फिर भी आन्ध्र प्रदेश सरकार को पूछा गया कि यदि आन्ध्र प्रदेश के किसी सीमेंट एकक का विशाखापटनम में विभिन्न स्थापना स्थलों स्प्लिट( लोकेसन) के आधार पर ग्राइंडिंग एकक लगाने का प्रस्ताव हो तो एक ठोस प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजा जाये । अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

**श्री सेलम पनबिजली परियोजना, आंध्र प्रदेश के लिए कुवैत से ऋण संबंधी सहायता**

7371. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीसेलम परियोजना, आंध्र प्रदेश के लिए कुवैत सरकार द्वारा ऋण संबंधी सहायता देने के बारे में किसी प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) और (ख) आंध्र प्रदेश की श्रीसेलम जल-विद्युत् परियोजना सहित, कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तव्यस्वथा करने के उद्देश्य से अरब आर्थिक विकास की कुवैत निधि से भारत को सहायता देने का अनुरोध किया गया है । प्रस्ताव निधि के विचाराधीन है ।

**पंजाब सर्किल के नाम में परिवर्तन**

7372. **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि इस सर्किल में अनेक राज्य आ जाते हैं, पंजाब सर्किल का नाम बदल कर नार्थ वैस्टर्न सर्किल रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किस तारीख तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) और (ख) तारीख 1-4-75 से पंजाब सर्किल का नाम फिर से उत्तर पश्चिमी सर्किल कर दिया गया है ।

**हिमाचल प्रदेश में डाकघरों में नाम पट्टिकाएं और नोटिस बोर्ड उर्दू में लिखे जाना**

7373. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है और इस प्रकार उर्दू को राज्य की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले डाकघरों के प्लेटों और सभी सरकारी नोटिस बोर्डों पर अधिकारियों के नामों और पदनामों की तथा डाकघरों आदि की नाम पट्टिकायें उर्दू में भी लिखी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है जहां इस प्रयोजन के लिये उर्दू का प्रयोग किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उर्दू के प्रति, विशेषरूप से जब यह हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई जाती है, भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) उर्दू को हिमाचल प्रदेश की राजभाषा के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है ।

(ख) से (घ) तक प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विस्फोटक सामग्री की उत्पादन क्षमता**

7374. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :

**श्री के० मालन्ना** :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विस्फोटक सामग्री की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) क्या इस मांग को पूरा करने के लिये विस्फोटक सामग्री का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कोयला उद्योग के लिये आवश्यक विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने के लिये दो नये सरकारी एककों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) इस समय देश में औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन करीब 43,000 मी० टन प्रति वर्ष है ।

(ख) विस्फोटकों का प्रबर्द्धमान उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है तथा विस्फोटकों का आयात करने का कोई भी विचार नहीं है ।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही जिनके विरुद्ध कम माल होने की रिपोर्ट की गई थी**

7375. **श्री शशि भूषण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली के उन कर्मचारियों के नाम और उनका अन्य ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध कम माल होने की सूचना दी गई थी;

(ख) कितनी मात्रा; माल कम पाया गया तथा यह कमी किस अवधि में पायी गयी; और

(ग) क्या कम हुए सामान का मूल्य उनसे वसूल करने के अलावा सारे मामले में कोई जांच की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) :** (क) और (ख) : अगस्त, 1973 से जनवरी, 1975 की अवधि के लिए उन कर्मचारियों के नामों की दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है जिनके विरुद्ध 100 रुपये से अधिक के मूल्य का कम माल होने की रिपोर्ट है । इसके अलावा, दो कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार कम माल होने और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण भी संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिए संख्या एल० टी० 9509/75] ।

(ग) जब कभी कम हुए माल का मूल्य बहुत होता है तो उसकी जांच की जाती है और कम हुए सामान का मूल्य वसूल करने के अलावा कम हुए माल के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है । जिन मामलों में सामान में हुई कमियां कोई महत्वपूर्ण स्वरूप की नहीं होती उन में केवल कम हुए सामान का मूल्य ही वसूल किया जाता है ।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के लेखों का अंतिम रूप से तैयार किया जाना**

7376. **श्री शशि भूषण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली किस वर्ष तक के अन्तिम लेखे तैयार कर लिये गये हैं और डेलीगेटों में वितरित कर दिये हैं;

(ख) लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(ग) 30 जून, 1974 तक के समिति के लेखे को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने और डेलीगेटों में वितरित किये जाने की सम्भावना हैं ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) :** (क) सहकारी वर्ष 1971-72 तक के समिति के लेखों को अन्तिम रूप दे कर पेश कर दिया गया है तथा स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) लेखों को अन्तिम रूप देने और उनको परीक्षा करने में सदा ही काफी समय लग जाता है और अन्तिम रूप देकर लेखों को प्रस्तुत करने में पहले जो विलम्ब हुए हैं उनका कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सकता । अब लेखों को समय पर परीक्षा किए जाने और उन्हें प्रस्तुत किए जाने में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) 30 जून, 1974 तक की अवधि के लेखों को लेखा परीक्षा के लिए अन्तिम रूप दे दिया गया है । सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा हाल ही में लेखा परीक्षा को नामांकित कर दिया गया है । लेखा परीक्षा-रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लेखे आम सभा (जनरल बोर्ड) के सामने रख दिए जाएंगे ।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० के शेयरधारियों को लाभांश का भुगतान**

7377. **श्री शशि भूषण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली की कुल शेयर पूंजी कितनी है और उसमें सरकार का हिस्सा कितना है ;

(ख) कितनी बार लाभांश घोषित किया गया और शेयरधारियों को वितरित किया गया है और किस दर पर किया गया;

(ग) क्या पिछले कई साल से लाभांश घोषित नहीं किया गया है और सदस्यों को नहीं दिया गया है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान, जबकि लाभांश घोषित नहीं किया गया है, निदेशकों और समिति के अधिकारियों के यात्रा-व्यय, खानपान व्यय और निवास-व्यय पर कितनी धनराशि खर्च की गई और कर्मचारियों को कितना बोनस दिया गया ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) :** (क) 31-3-1975 को 10,77,233 रुपये, जिसमें 4,66,644 रुपये का सरकार का शेयर भी शामिल है ।

(ख) 1963-64 तथा 1964-65 के वर्षों में शेयरों पर लाभांश केवल $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिया गया था ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

समिति के उप नियमों (बाईलाज) के अनुसार लाभांश केवल तभी घोषित किया जाता है जबकि शुद्ध लाभ का एक विशेष प्रतिशत कुछ विशेष मदों के लिए विनियोजित करने के पश्चात् कोई शुद्ध लाभ प्राप्त होता है । 1965-66 से 1969-70 तक समिति प्रति वर्ष भारी हानियां उठाती रही । यद्यपि, समिति ने 1969-70 से लाभ कमाना आरम्भ कर दिया है, फिर भी जमा हो गई हानि को पूरा कर लेने तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता ।

(घ) उस अवधि में जबकि लाभांश घोषित नहीं किया गया है, अर्थात् 1965–66 से 1974–75 के दौरान निदेशकों अथवा समिति के अधिकारियों के खान-पान तथा आवास पर कोई खर्च नहीं किया गया । उपर्युक्त अवधि में निदेशकों और अधिकारियों के यात्रा तथा वाहन व्यय पर, जब कभी वे जब्त

किए माल को उपलब्ध करने के लिए बाहर स्टेशनों के दौरे पर गए, खर्च की गई राशि निम्नलिखित है :—

| निदेशकों पर खर्च की गई राशि | समिति के अधिकारियों पर खर्च की गई राशि |
|---|---|
| 6,904 रुपये | 1,18,687 रुपये |

1965–66 से 1973–74 की अवधि के दौरान, कर्मचारियों को भुगतान किया गया बोनस 2,64,302 रुपये है, जो बोनस अधिनियम, 1965 की शर्तों के अनुसार 1965–66 से 1970–71 तक 4 प्रतिशत तथा 1971–72 से 1973–74 तक 8.33 प्रतिशत की न्यूनतम कानूनी दर पर है ।

**सिगरेट और बिस्कुट उद्योगों में उत्पादन**

7378. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट और बिस्कुट उद्योग पर विदेशी क्षेत्र का प्रभुत्व है, उक्त उद्योग में पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये उत्पादन का मद-वार और ब्रान्डवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उपरोक्त वस्तुओं के निर्माता 'नयी वस्तु' के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के खण्ड 3(2) (घ घ) का उल्लंघन कर रहे हैं; यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारणों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या औद्योगिक लाइसेंसों को प्राप्त किये बिना ही इन कम्पनियों ने अपने उत्पादों को "ब्राण्ड नाम" और "पेटेण्ट ट्रेड मार्क" के अन्तर्गत पंजीकृत करा लिया है और यदि हां, तो इस प्रकार कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनका उत्पादन कितना है और कितनी मात्रा में, विदेशी मुद्रा देश के बाहर भेजी जाती है ; क्या इन वस्तुओं के निर्माण के लिए भारत में तकनीकी जानकारी उपलब्धता है या नहीं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में विदेशी क्षेत्र के शेयर वाले सिगरेट और बिस्कुट उद्योग का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | सिगरेट | (दस लाख नगों में) | बिस्कुट | (मी० टन में) |
|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | विदेशी शेयर | उत्पादन | विदेशी शेयर |
| 1972 | 62,014 | 48,291 | 69,620 | 23,370 |
| 1973 | 64,362 | 51,626. | 68,277 | 31,039 |
| 1974 | 62,550 | 48,922 | 63,187 | 26,191 |

सरकार उत्पादन के ब्रांडवार आंकड़े नहीं रखती है।

इस समय सिगरेट उद्योग में विदेशी बहुलांश वाली तीन कम्पनियों के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 10 के अधीन जारी किये गये हैं । इस क्षेत्र में इन कम्पनियों को कोई नये लाइसेंस नहीं दिये गये हैं ।

मैं० ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी के बिस्कुट बनाने वाले तीन एकक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। उनके पास बम्बई और कलकत्ता के एककों के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 10 के अधीन जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं। मद्रास स्थित एकक को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया था। इस क्षेत्र में इस कम्पनी को कोई नये लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

इन उद्योगों के लिए अधिकांश तकनीकी जानकारी भारत में उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा किये गये धन प्रेषण के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| | 1971 | 1972 | 1974 |
|---|---|---|---|
| | (रु० लाख में) | | |
| 1. मैं० आई० टी० सी० लि० | 76.90 | 227.34 | कुछ नहीं |
| 2. मैं० बजीर सुलतान टबेको कं० लि० हैदराबाद। | 9.91 | 39.22 | 9.75 |
| 3. मैं० गोदरे फिलिप्स (इंडिया) लि० बम्बई . . | 29.21 | 12.95 | 14.44 |
| 4. मैं० ब्रिटेनिया बिस्कुट कं० . . . | 17.83 | 16.91 | 17.90 |

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के नये सदस्यों का नाम दर्ज करना**

7379. **श्री सतपाल कपूर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली ने वर्ष 1974-75 में नये सदस्यों का नाम दर्ज करना बन्द कर दिया है, यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1974 को इस समिति की कुल सदस्य संख्या क्या थी और 1 जनवरी, 1975 से 31 मार्च, 1975 के दौरान समिति द्वारा दर्ज किये गये नये सदस्यों को कुल संख्या क्या है;

(ग) यदि किसी सदस्य का नाम दर्ज नहीं किया गया था तो इसके क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है; और

(घ) क्या इस समिति के उप-नियम में कोई ऐसा खंड है कि सदस्यों की कोई विशिष्ट संख्या हो जाने के बाद इससे आगे सदस्य नहीं बनाये जायेंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नये सदस्य कब से बनाने शुरू किये जायेंगे ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता)** : (क) समिति ने पहली जनवरी, 1975 से तीन महीने के लिये नए सदस्यों का नाम दर्ज करना स्थगित कर दिया था।

(ख) दिनांक 31-12-1974 की समिति को कुल सदस्य संख्या 55,346 थी। इसके अतिरिक्त 11 सदस्यों का नाम जिन्होंने पहले आवेदन किया था और दिनांक 23 दिसम्बर, 1974 को एक चैक भेजा था, जनवरी, 1975 में दर्ज कर लिया गया था। पहली जनवरी से 31 मार्च, 1975 की अवधि के दौरान किसी भी नए सदस्य का नाम दर्ज नहीं किया गया था।

(ग) चूंकि हाल के वर्षों में सदस्यों की संख्या काफी बढ़ गई थी इसलिये प्रबंधक वर्ग की यह इच्छा हुई कि स्थिति का समेकन और उसकी समीक्षा की जाए जिससे कि और नए सदस्यों को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाये जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें बढ़े हुए सदस्यों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को, विशेषकर वस्तुओं की दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए, पूरा करने का सामर्थ्य है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

नए सदस्यों का नाम दर्ज करने के प्रश्न पर समिति के प्रबंधक वर्ग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

**Government Advertisement to Newspapers in English and Hindi**

7380. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the., Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of advertisements sent to various newspapers by the various Government departments, offices, corporation, etc; during last year ;

(b) the number out of them in English and in Hindi, separately ; and

(c) the reasons for not sending in Hindi the advertisements sent in English and the further action Government have decided to take in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) During 1974-75, 10,059 advertisements were released by the Directorate of Advertising and Visual Publicity on behalf of various Government departments, autonomous bodies etc.

(b) The break up of advertisements is as follows :

| | |
|---|---|
| (i) Hindi . | 420 |
| (ii) English . . | 1090 |
| (iii) Hindi & English . . | 1843 |
| (iv) Hindi & Regional languages . | 308 |
| (v) English & regional languages . . . | 2802 |
| (vi) Hindi, Eng. & regional languages . | 3147 |
| (vii) Regional languages | 449 |
| Total . | 10,059 |

(c) Advertisements are released according to the nature of readership required for each advertisement. Accordingly, whenever required, English advertisements are sent in Hindi as well as in other languages. Only whenever advertisements are required to be released exclusively in non-Hindi areas, Hindi advertisements are not sent. So also where advertisements are aimed at readers knowing Hindi or regional languages, English advertisements are not sent.

**Use of Hindi in Offices under the Ministry of Communications**

7381. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether officers of his Ministry, while on inspection of the offices under them also see that all the work in Hindi is carried out in these offices according to the Government's policy in this regard ;

(b) the number of officers who carried out such inspections during last year and the number of the offices inspected ;

(c) the position, in general, as revealed in the inspection reports ; and

(d) the steps taken to improve the position in the case of offices where Hindi is not being used even now ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma)** : (a) Instructions have been issued to officers that while inspecting offices under them, they should also see whether Government's instructions relating to the use of Hindi are being followed.

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) All offices under the administrative control of the Ministry have been instructed to comply with Government's instructions relating to the use of Hindi.

**Provision of Public Telephones in East Nimar District Madhya Pradesh**

+7382. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of towns and villages of East Nimar district of Madhya Pradesh which have been provided with public telephones and the number of places which demanded this facility ; and

(d) the action taken by Government so far to meet their demand ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma)** : (a) 19 places in East Nimar District have been provided with public telephone service–7 by exchanges and 12 by long distance Public Call Offices. Demand for telephone facilities at 7 more places have been received.

(b) Proposals for providing telephone facilities at 5 places are under examination. Proposals for two places could not be approved as the same were unremunerative and the loss involved could not be condoned.

**Small-Scale Industries Registered in M.P.**

7383. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state the number of small scale industries registered in Madhya Pradesh during the last three years ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma)**: Number of registered small scale units in Madhya Pradesh, as reported by the State

Industries Department, during the last three years is as under:—

| Year | No. of registered small scale units (cumulative) |
|---|---|
| 1972 | 22,972 |
| 1973 | 29,375 |
| 1974 | 33,235 (Provisional) |

(The above figures include proposed units, units which might have closed down subsequent to registration, etc.)

**Post Offices in Madhya Pradesh with Saving Bank Facilities**

+7384. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices functioning in Madhya Pradesh at present where saving bank account facilities are available; and

(b) how the figure of such post offices in Madhya Pradesh compares with that of the post offices functioning in the neighbouring State ?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma)** : (a) 6361

(b) The number of Post Offices in neighbouring States in which Savings Bank facilities are available are noted against each :—

| | |
|---|---|
| Madhya Pradesh State | 6361 |
| U.P. State | 14580 |
| Rajasthan State | 7580 |
| Gujarat State | 7203 |
| Maharashtra State | 9424 |
| Bihar State | 8991 |
| Orissa State | 5999 |
| Andhra State | 13964 |

**Investment in Small Industries, M.P.**

7385. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) industry-wise and district-wise number of small scale industries set up in Madhya Pradesh during the last three years; and

(b) the total capital investment made during this period and the extent to which the production increased therein ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma)**: (a) and (b) Comprehensive information on small scale industries in Madhya Pradesh will be available after the results of the census of small scale units are finalised and tabulated. However district-wise break up of small scale units registered in Madhya Pradesh giving fixed capital investment is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. L.T.-9510/75].**

**विदेशी सहयोग से इलैक्ट्रिक टाइपराइटरों का उत्पादन**

7386. **श्री बयालार रवि:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रिक टाइपराइटरों के उत्पादन के लाइसेंसों के लिए कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने विदेशी सहयोग वाले हैं, और

(ख) कितने लाइसेंस जारी किए गए और किन किन कंपनियों अथवा फर्मों को जारी किए गए और कितने आवेदनपत्र अस्वीकृत किए गए तथा किन कारणों से अस्वीकृत किए गए ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य)** : (क) और (ख) बिजली के टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों से आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे :--

(1) श्री मोहन शाह (24000 मशीनें प्रतिवर्ष)

(2) श्री एस० शेषाद्रि (1600 मशीनें प्रतिवर्ष)

(3) मै० हिन्दुस्तान टैलीप्रिन्टर्स, मद्रास (4000 मशीनें प्रतिवर्ष)

(4) मै० ओमेगा एण्ड टाइपराइटर्स लि०, भोपाल (40,000 मशीनें प्रतिवर्ष)

ऊपर दिए गए (1), से (3) के लिए आशयपत्र जारी किए जा चुके हैं । मै० ओमेगा एण्ड टाइपराइटर्स लि०, भोपाल का बिना विदेशी सहयोग के 1800 विद्युत टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयन किया जा चुका था । चूंकि कंपनी ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया था, अत: उनका 40,000 विद्युत टाइपराइटरों का निर्माण करने की वार्षिक क्षमता का औद्योगिक लाइसेंस का आवेदन सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था । इस प्रस्ताव में विदेशी सहयोग करने का विचार नहीं था ।

श्री शाह को जारी किया गया आशयपत्र रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है । श्री शेषाद्रि के विदेशी सहयोग प्रस्ताव के लिए दिसम्बर, 1973 में स्वीकृति दी गई थी । किन्तु अभी तक उन्हें कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है क्योंकि पूंजीगत माल के आयात के लिए उनके आवेदन की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है । मै० हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स की योजना में विदेशी सहयोग का प्रस्ताव नहीं है । उनके पूंजीगत माल के आयात के आवेदनपत्र पर अनापत्ति मिलते ही औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा ।

**क्षमताओं को बढ़ाने और नये एकक खोलने के लिये फिलिप्स कम्पनी को दिये गये लाइसेंस**

7387. **श्री बयालार रवि** : क्या **इलैक्ट्रानिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलिप्स कम्पनी द्वारा निर्मित की जा रही इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं की संख्या क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में, प्रत्येक मामले का ब्यौरा देते हुए, क्षमताओं को बढ़ाये और नये एककों को खोलने के लिए इस कम्पनी को दिये गये लाइसेंसों की संख्या क्या है ?

**प्रधान मंत्री प्रमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकस मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी)** :

(क) इलेक्ट्रोनिकों के क्षेत्र में फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं :—

(1) इलैक्ट्रानिक संघटक जैसे सिरेमिक संघनित्र (कंडेन्सर), परिवर्तनशील संघनित्र, विभवमापी (पोटेंशियोमीटर), ध्वनि-विस्तारक (लाउडस्पीकर), विद्युत अपघटनी संघनित्र (इलेक्ट्रोलिटिक कंडेन्सर) कुंडली (क्वाइल) आदि ।

(2) रेडियो सेट ।

(3) रिकार्ड प्लेयर ।

(4) जन संबोधन उपस्कर ।

(5) इलेक्ट्रानिक मापन एवं कार्योत्तर सेवा उपकरण ।

(ख) फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को गत तीन वर्षों में प्रदान किए गये औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र :—

| वर्ष | औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र संख्या तथा तारीख | मद | मात्रा | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | —— | शून्य | —— | —— |
| 1973-74 | —— | शून्य | —— | —— |
| 1974-75 | **औद्योगिक लाइसेंस** : | | | |
| | 1. सी०आई०एल० 297 (74), दिनांक 18-9-1974 । | परिवर्तनशील गुम्फित संघनित्र (वैरिएबल गैंग कंडेन्सर) | 22,50,000 नग | शत प्रतिशत निर्यात (विस्तार) |
| | 2. सी०आई०एल० 366(74), दिनांक 30-11-1974 । | टेप रिकार्डर | 20,000 नग | 40 प्रतिशत निर्यात (नयी मद) |
| | आशय-पत्र | | | |
| | 1. एल०आई० 38(75), दिनांक 27-1-75 । | अंत: संचार उपकरण | 12,000 नग | 90 प्रतिशत निर्यात (नयी मद) |

**मध्य प्रदेश के संगरोली कोयला क्षेत्र में एक अत्याधिक शक्तिशाली तापीय बिजली घर की स्थापना करना**

7388. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के संगरौली कोयला क्षेत्र के मुहाने पर एक अत्यधिक शक्तिशाली तापीय बिजली घर की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे विलम्ब का क्या कारण है, जबकि बिजली की अत्यधिक कमी है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) देश में सुपर ताप-विद्युत् केन्द्र स्थापित करने तथा उनकी तकनीकी, वित्तीय और स्थिति संबंधी पहलुओं समेत, सारा मामला विचाराधीन है ।

**पांचवीं योजना में लद्दाख जिले में विद्युत उत्पादन के लिये धनराशी**

7389. **श्री कुशक बाकुला** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में लद्दाख जिले में विद्युत् उत्पादन के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है ?

**उर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री : (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : पांचवीं पंचवर्षीय योजना इस समय प्रारूप की अवस्था में है और क्षेत्रों के लिए विनिधानों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

**स्ताकना विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिये निर्धारित की गई धनराशि**

7390. **श्री कुशक बाकुला** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्ताकना विद्युत् परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई विशेष धनराशि निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धश्वर प्रसाद)** : (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर के लिए 1975–76 की वार्षिक योजना में लद्दाख क्षेत्र के लिए 2.72 करोड़ रुपये का परिव्यय पृथक रूप से निर्धारित किया गया है । इसमें स्ताकना परियोजना के लिए 1.11 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है, जो पृथक निर्धारित किया गया है और जिसके सिविल कार्यों के लिए इस्तेमाल होने की प्रत्याशा है ।

**भारत में रेडारों का उत्पादन और प्रयोग**

7391. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रयोग किये जाने वाले रेडारों की भिन्न-भिन्न किस्में क्या हैं और इन रेडारों के परिचालन क्षेत्र कौन से हैं ;

(ख) इन रेडारों में कौन से रेडार (एक) देश ही में निर्मित्त किये गये (दो) भारत में जोड़े गये, और (तीन) विदेशों से आयात किये गये और उन देशों के नाम क्या हैं जिन से इनका आयात किया गया; और

(ग) रेडारों के मामले में आत्म-निर्भर बनने की भारत की क्या संभावना है ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मत्री, इलैक्टानिकस मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान मंत्री और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री मति इन्दिरा गांधी)**: (क) रेडारों की आवश्यकता रक्षा सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न असैनिक अभिकरणों को भी होती है । रक्षा-संबंधी रेडार कुछ इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त किये जाते हैं, जैसे निगरानी करना, लक्ष्य अनुसंधान तथा उसका अनुगमन करना, अग्नि-शमन,

समुद्री-निगरानी और नौवहन प्रक्षेपास्त्रों का पता लगाना और उनका नियंत्रण करना आदि। असैनिक रेडारों की आवश्यकता, वायुयान यातायात नियंत्रण के लिये नागर विमानन विभाग को, चक्रवात विषयक चेतावनी देने और तूफानों का पता लगाने के लिये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग संगठन को, उपग्रह प्रक्षेपक वाहनों का पता लगाने के लिये भारतीय अन्तरिक्ष और अनुसंधान संगठन को, नौवहन संबंधी प्रयोजनों के लिये व्यापारिक नौसेना को होती है ।

(ख) थल सेना के लिये अग्नि नियंत्रण रेडार, नौसेना के लिये रेडार और लीएण्डर वर्ग के फ़्रीगेट, मौसम विभाग के लिये चक्रवात को चेतावनी देने वाले रेडार, जहाजों के लिये नौवहन संबंधी रेडार, वायुसेना तथा नागर विमानन विभाग के लिये कुछ विशिष्ट प्रकार के हवाई यातायात नियंत्रण रेडार, वायु सेना को 'हवाई रक्षा भू पर्यावरण प्रणाली' के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के रेडार, देश में ही निर्मित्त किये जा रहे हैं । देश में बनाये जा रहे रेडारों का निर्माण कुल मिलाकर विदेशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर होता है इस तकनीकी जानकारी की सहायता से कई मामलों में रेडारों का देश में ही सौदेश्य उत्पादन किया जा सका है । जिन मामलों में सीमित मात्रा में जटिल प्रणालियों की आवश्यकता होती है उनमें उत्पादन अनिवार्यतः संयोजन-प्रक्रिया तक सीमित है । महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में देश के अन्दर निर्मित्त क्षमता के आधार पर आयातित डिजाइनों के स्थान पर स्वदेशी डिजाइन तैयार करना और उनके निर्माण की दिशा में प्रगति करना संभव हो सका है । कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं :

हवाई यातायात पर नजर रखने के लिये द्वितीयक निगरानी रेडार का निर्माण जिसे रक्षा इलैक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा निर्मित डिजाइन के आधार पर भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया है । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिये चक्रवात को चेतावनी देने वाले रेडार का निर्माण जिसे भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित तथा निर्मित किया गया; श्री हरिकोटा राकेट रेंज के लिये 'कस्टम-मेड' रेडारों का निर्माण जिन्हें भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने संयुक्तरूप से विकसित किया है ।

कई किस्म के निगरानी-रेडारों, नौवहन-रेडार, पता लगाने वाले रेडारों, चक्रवात को चेतावनी देने वाले रेडारों, और हवाई यातायात का नियंत्रण करने वाले रेडारों का गत दो वर्षों में कई देशों से आयात किया गया है जैसे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ़्रॉस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इनमें से अधिकतर रेडारों को कई वर्ष पूर्व प्रचालित किया गया था, तथा उन्हें अब भी प्रयोग में इसलिये लाया जा रहा है क्योंकि आने वाले अनेक वर्षों तक इनका सदूपयोग किया जा सकेगा।

(ग) रक्षा और असैनिक दोनों अभिकरणों को विभिन्न व्यापक आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत सरकार ने जून, 1974 में इलैक्ट्रानिकी आयोग के अधीन एक राष्ट्रीय रेडार परिषद का गठन किया है । राष्ट्रीय रेडार परिषद रेडार संबंधी इस समय दीर्घ एवं अल्पकालीन, दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रौद्योगिकी विकास एवं उत्पादन संबंधी एकीकृत योजना को तैयार करने में व्यस्त है । इस कार्यवाही का उद्देश्य विभिन्न अभिकरणों की आवश्यकताओं को अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर पूरा करने में समर्थ होना है । देश की विभिन्न संस्थाओं (भारत-इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, इलैक्ट्रानिकी तथा रेडार विकास संस्थापन, रक्षा इलैक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र आदि) में इस क्षेत्र में डिजाइन एवं विकास की पर्याप्त क्षमता पहले से ही विद्यमान है जिसे अपेक्षित दिशाओं में आगे विकसित किया जा सकता है ।

**राज्यों में लोक आयुक्त के कार्यालयों की स्थापना**

7392. **श्री भागीरथ भंवर :**
**श्री राम हेडाऊ :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्ति सुनिश्चित करने के लिये लोक आयुक्तों के कार्यालयों को शीघ्र स्थापना करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस संबंध में इस प्रकार के कोई भी निदेश जारी नहीं किये गये हैं । परन्तु इस क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्यों में व्यवहार्य सीमा तक विधान के समान पैटर्न रखने की आवश्यकता पर बल देने की दृष्टि से वर्ष 1968 में राज्य सरकारों के नोटिस में लोकपाल तथा लोकायुक्त बिल लाया गया था, ताकि नागरिकों के दृष्टिकोण से भ्रांति से बचा जा सके ।

(ख) महाराष्ट्र, बिहार तथा राजस्थान सरकारों ने आवश्यक विधान अधिनियमित किये हैं और पदाधिकारियों को नियुक्त किया है । बिहार सरकार ने एक लोकायुक्त नियुक्त किया है, महाराष्ट्र तथा राजस्थान सरकारों ने लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त नियुक्त किये हैं । तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पब्लिक मैन (आपराधिक कदाचार) अधिनियम, 1973 का अधिनियमन, किया है और जांच आयुक्त को नियुक्ति की है । कुछ अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे प्राधिकरणों की स्थापना के लिये आवश्यक विधान बना रही है अथवा बना चुकी है ।

(ग) इस स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और स्थिति का सामना करने के लिये संबंधित एजेंसियों तथा सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यक समझे जाने वाले सुधारात्मक उपाय किये जाते रहते हैं ।

**बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड**

7393. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के जालान घराने के प्रबन्ध के अधीन वर्तमान एकक बम्बई गैस कम्पनी लि० की स्थिति खराब है ;

(ख) क्या सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में सरकार को ऐसी कोई याचिका मिली है, जिसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन जांच पड़ताल करने के लिये कहा गया था; और

(ग) यदि हां तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) से (ग) प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कम्पनी के कर्मचारी संघ की ओर से अक्तूबर, 1973

और जनवरी, 1974 में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इन अभ्यावेदनों में कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया गया था । राज्य सरकार और कम्पनी कार्य विभाग की जानकारी में इन्हें ला दिया गया है और वे उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं ।

**केरल में टायर परियोजना**

7394. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 करोड़ रुपये की लागत से एक नई टायर परियोजना शीघ्र ही केरल में स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) और (ख) केरल राज्य में मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने के लिये एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने हेतु दो आशय पत्र दिये गये हैं जिनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| पार्टी का नाम | आशय पत्र देने की तिथि | स्थान | वार्षिक क्षमता संख्या | पूंजीगत लागत |
|---|---|---|---|---|
| | | | | करोड़ रु० |
| मै० रुबी रबड़ वर्क्स (अब मै० अपोलो टायर्स लि० कोचीन) | 25-11-70 | चालाकुडी जिला त्रिचूर | मोटर गाड़ियों के टायर 4.00 लाख, मोटर गाड़ियों के ट्यूब— 4 लाख, कैमल बैक 3000 टन । | 2,550 |
| मै० केरल स्टेट को-आपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन लि० कोचीन | 26-6-74 | केरल राज्य | मोटर गाड़ियों के टायर 3.00 लाख, मोटर गाड़ियों के ट्यूब 3.00 लाख, फलैक्स 2.00 लाख | 901 |

मै० अपोलो टायर्स लि० ने निम्न प्रकार प्रगति की है ।

1. उन्होंने केरल के त्रिचूर जिले में चालाकुडी नामक स्थान पर जमीन खरीद ली है ।
2. उन्होंने डिलीवरी में अधिक समय लगाने वाले उपकरणों के लिये क्रयादेश दे दिये हैं ।
3. उन्होंने आयात किये जाने वाले उपकरणों के अधिकांश हिस्से के लिये आशय पत्रों को अन्तिम रूप दे दिया है और पत्र जारी कर दिये हैं ।
4. कम्पनी के मै० जनरल टायर आफ यू० एस० ए० के साथ 26-7-73 को तकनीकी सहयोग करार हो गया है ।
5. उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 6.00 लाख रु० खर्च किये हैं ।
6. कुछ भारतीय वित्तीय संस्थान कम्पनी को रुपये में ऋण देने को सिद्धांत रूप में राजी हो गये हैं ।

मै० केरल स्टेट कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फैडरेशन लि० ने अपने आशय पत्र को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति अभी सूचित नहीं की है ।

**योजना आयोग की गतिविधियां**

7395. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ऐसी गतिविधियों के बारे में निर्णय लिया है जिसमें उसे भाग नहीं लेना चाहिये और उनकी सूची बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो अपनी वर्तमान गतिविधियों में से इसने कौन सी गतिविधियों को त्यागने का निर्णय लिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) इस प्रकार के किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**अमृतसर में सार्वजनिक टेलीफोन और डाकघर**

7396. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में सार्वजनिक टेलीफोनों की खण्ड-वार संख्या कितनी है, और

(ख) कितने स्थानों पर डाकघर खोलने की मांगें अनिर्णीत पड़ी हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) अमृतसर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की ब्लाकवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

| क्रम संख्या | ब्लाक का नाम | सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अजनाला | 5 |
| 2. | भीखीविंड | 3 |
| 3. | चोगांव | 3 |
| 4. | चोला साहब | 2 |
| 5. | गोइंदवाल | 1 |
| 6. | जंडियाला | 3 |
| 7. | कसेल | 5 |
| 8. | खादूर साहब | 4 |
| 9. | मजीठा | 2 |
| 10. | नौशेरा पांवन | 2 |
| 11. | पट्टी | 4 |
| 12. | राया | 6 |
| 13. | तरन तारन | 3 |
| 14 | नरसिक्का | 1 |
| 15. | वल्टोहा | 3 |
| 16. | वरका | 2 |
| | योग | 49 (उनचास) |

(ख) 14 (चौदह)

**पंजाब में जिला योजनाओं का लागू किया जाना**

7397. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य के सभी जिलों में पृथक जिला योजनायें तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको किस प्रकार लागू किया जायेगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**गत दो वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत की विकास दर**

7398. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत की औसत विकास दर कितनी रही है; और

(ख) परिवहन, गृह तथा कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा खपत के क्षेत्र-बार वितरण का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) ऊर्जा खपत की दर में पिछले वर्षों की अपेक्षा 1973-74 के दौरान लगभग 2.59 प्रतिशत की तथा 1974-75 के दौरान लगभग 3.60 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है ।

(ख) 1973-74 के दौरान कुल खपत के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा खपत का सैक्टर के अनसार विभाजन नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| घरेलू | 9.4 |
| परिवहन | 3.2 |
| कृषि-संबंधी | 12.6 |

**बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में भारतीय द्वीप**

7399. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में, अलग-अलग कितने भारतीय द्वीप हैं तथा इन द्वीपों में कितने व्यक्ति रह रहे हैं ; और

(ख) ऐसे द्वीपों की संख्या कितनी है जहां कोई नहीं रह रहा है तथा उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)**: (क) बंगाल की खाड़ी में 667 द्वीप तथा चट्टानें हैं और अरब सागर में 508 द्वीप और चट्टानें हैं । 1971 की जनगणना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की जनसंख्या 2.37 लाख थी और अरब सागर की 45,360 ।(41 द्वीपों के बारे में अलग से जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है) ।

(ख) 1972 में 418 द्वीपों (18 सुदूर के द्वीपों को छोड़कर ) में आबादी नहीं थी । द्वीपों/चट्टानों की सुरक्षा पुलिस और नौ सेना की गश्त] द्वारा सुनिश्चित की जाती है ।

**कोयले से तेल तथा रसायनों अथवा कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों से संश्लिष्ट अशोधित तेल के उत्पादन में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई प्रगति**

7400. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए संश्लिष्ट अशोधित तेल के उत्पादन के लिए विदेशी जानकारी आयात करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के कोयले से तेल तथा रसायनों अथवा कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों से संश्लिष्ट अशोधित तेल के उत्पादन में कितनी प्रगति की है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की है जो अध्ययन करके अन्य देशों में तकनीक की वर्तमान स्थिति और उसका कोयले के तेल निकालने के लिए उपयोग किये जाने के संबंध में जानकारी का पता लगायेगा । यह दल विविध प्रक्रमों के लिये उपयुक्त तकनीकी जानकारी की खोज कर उसका मूल्यांकन करेगा और आगे के कार्य चलाने के लिऐ सुझाव देगा ।

(ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जियेलगोरा ने कोयले से हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा तेल निकालने के लिये आरंभिक संयंत्र की स्थापना हेतु विदेशी उपस्करों को मंगाने के लिये आदेश दिया है । इन उपस्करों को देश में ही निर्मित करने हेतु समानान्तर प्रयत्न भी किये जा रहे हैं तथा उससे संबंधित साज सामान के लिये अभिकल्प और संरचना कार्य चल रहा है । संस्थान ने कृषि-व्यर्थ जैसे धान के छिलके से संश्लिष्ट तेल बनाने के लिये कुछ परीक्षण किए है । इस पर और अधिक कार्य किया जा रहा है ।

**Cases of abduction of girls**

7401. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases involving abduction of girls in each State from 1972 to 1974, year-wise;

(b) whether Government have failed to check such incidents; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) :** (a) to (c ) The required information is being obtained from all State Governments/Union Territories and will be laid on the Table of the Lok Sabha on receipt.

**माताटीला से मध्य प्रदेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट दर**

7402. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री माताटीला से मध्य प्रदेश को सप्लाई की जाने वाली प्रति यूनिट बिजली की दर के बारे में 19 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने एक समय वर्ष के अन्त तक मध्य के प्रदेश द्वारा प्रति यूनिट 8.5 पैसे पर किये गए भुगतान को प्रति यूनिट 6.5 पैसे के आधार पर समायोजित करना स्वीकार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश ने दिए गए आश्वासन के अनुसार बर्ष के अन्त तक कभी ऐसा समायोजन किया है; और

(ग) क्या तत्कालीन सिंचाई और विद्युत् मंत्री डा० के० एल० राव ने केन्द्रीय जोनल परिषद् की आठवीं बैठक में अपनी यह राय व्यक्त की थी कि यदि मध्य प्रदेश दूसरे स्तर की बिजली का पूरा उपयोग नहीं करता है तो दर प्रति यूनिट 6.5 पैसे रहनी चाहिए?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1965 में दृढ़ तथा द्वितीयक ऊर्जा की सप्लाई के लिए 6.5 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर वर्ष के अन्त में अदायगियों को समायोजित करना स्वीकार किया था और यह शर्त लगाई थी कि इस बीच बिलों की अदायगियां 8.5 पैसे प्रति यूनिट पर होनी चाहिएं । बहरहाल, समायोजन इस आधार पर नहीं किया गया कि मध्य प्रदेश ने द्वितीयक ऊर्जा प्राप्त नहीं की।

(ग) मध्य क्षेत्रीय परिषद की आठवीं बैठक तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव ने इच्छा व्यक्त की थी कि मध्य प्रदेश को माताटीला से प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की विद्युत् प्राप्त करनी चाहिए। बहरहाल, यदि मध्य प्रदेश पूरी मात्रा में द्वितीयक न भी प्राप्त करे, तो उन्होंने यह सुझाव दिया था कि दर 6.5 पैसे प्रति यूनिट रहना चाहिए।

**गुजरात में उद्योग**

7403. **श्री एच० के० एल० भगत**: : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने संसद के गत सत्र के बाद से गुजरात में उद्योग के क्षेत्र में तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उद्योगों को राहत देने के बारे में क्या कार्यवाही की है?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य)**: दिसम्बर, 1974 से मार्च, 1975 की अवधि में 17 औद्योगिक लाइसेंस और 31 आशय पत्र गुजरात राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए थे:

2. जहां तक गुजरात सरकार द्वारा किए गए सहायतार्थ अभ्युपायों का संबंध है 1-1-75 और 5-4-1975 की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार हैं:

| | 1-1-75 | 5-4-75 |
|---|---|---|
| 1. अभावग्रस्त घोषित किए गए ग्रामों की संख्या | 8,974 | 12,679 |
| 2. सहायता कार्यों की संख्या . . . | 2,610 | 5,152 |
| 3. सहायता कार्यों पर लगाए गए कर्मचारियों की संख्या | 3,73,818 | 8,25,000 |
| 4. मुफ्त सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या . | 26,685 | 52,725 |
| 5. उन ग्रामों की संख्या जिन्हें टैंकरों और बैल गाड़ियों द्वारा पानी की सप्लाई की गई . . . . | 141 | 306 |

3. सूखा ग्रस्त क्षेत्र के उद्योगों को प्रदान की गई सहायता सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना**

7404. **श्री एच०के०एल० भगत** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के एक वर्ग को अभी तक उनके फरवरी के महीने का वेतन नहीं मिला है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या**

7405. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1974 को दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1975-76 में और अधिक टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) 31 दिसम्बर, 1974 को दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में 1,05,196 टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे थे ।

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में 9,200 नई लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है ।

**उत्तरी क्षेत्र में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना**

7406. **श्री झारखंडे राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तथा विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा का संकट है; और

(ख) ऊर्जा संकट और वर्ष 1975–76 के लिए ऊर्जा को बजट प्राथमिकता दी गई गारंटी को देखते हुए उत्तरी क्षेत्र में कौन-कौन सी नई विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) उत्तरी क्षेत्र में, जबकि राजस्थान तथा दिल्ली में विद्युत प्रदाय की स्थिति संतोषजनक है, पंजाब हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी है । पूर्वी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय स्थिति सामान्य रही । पश्चिमी क्षेत्र में कुछ थोड़ी कमी है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में, केरल को छोड़कर, अन्य राज्यों को कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में 1975-76 के दौरान निम्नलिखित नयी परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है :—

| क्रम सं० | राज्य का नाम | परियोजना का नाम | क्षमता- मैगा वाट |
|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | (1) रामगंगा यूनिट स० एक और दो | 120 |
| | | (2) यमुना चरण चार (कलहल) यूनिट-तीन | 10 |
| | | (3) यमुना चरण दो (चिब्रौ) यूनिट चार | 60 |
| | | (4) पंकी ताप केन्द्र यूनिट एक | 110 |
| | | (5) हरदुआगंज चरण छः यूनिट एक | 55 |
| | | (6) ओबरा यूनिट तीन | 100 |
| 2. | जम्मू और काश्मीर | (1) चेनानी - यूनिट पांच | 4.6 |
| 3. | पंजाब | गुरुनानक ताप-विद्युत केन्द्र , यूनिट दो | 110 |
| 4. | हरियाणा | फरीदाबाद तापविद्युत केन्द्र यूनिट दो | 55 |

**गृह मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी**

7407. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने अस्थायी पद थे जो गत तीन वर्षों से चले आ रहे तथा अनिश्चित काल तक ऐसे ही चलते रहेंगे ; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :**

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में अस्थायी पदों का स्थायी घोषित किया जाना**

7408. **श्री पी०एम० सईद :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1974 को उनके मंत्रालय में और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने अस्थायी पद थे, जो पिछले तीन साल से अस्तित्व में थे और जिनके अनिश्चित काल तक चलते रहने की सम्भावना है; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) :** (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।.

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी पदों का स्थायी किया जाना**

7409. **श्री पी०एम० सईद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1974 को उनके मंत्रालय में और उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने अस्थायी पद थे जो पिछले तीन साल से अस्तित्व में थे और जिनके अनिश्चित काल तक चलते रहने की सम्भावना है; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :** (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**योजना मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अस्थायी पदों को स्थायी बनाया जाना**

7410. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1974 को योजना मंत्रालय में और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने अस्थायी पद थे, जो पिछले तीन साल से अस्तित्व में थे और जिनके अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना है; और

(ख) इन पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं; जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जून, 1974 को योजना आयोग में विद्यमान प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के उन पदों की संख्या, जो पिछले तीन साल से अस्तित्व में थे और जिनके अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है संलग्न विवरण में दी गई है। सांख्यकीय विभाग और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय योजना मंत्रालय के भाग हैं। इन कार्यालयों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) (1) जहां तक श्रेणी-1 पदों का संबंध है, इनमें से अधिकांश सामान्यतया प्रतिनियुक्ति या अनुबन्ध के आधार पर कुछ समय के लिए भरे जाते हैं, अतः इन्हें स्थायी पदों पर बदलने की कोई खास तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

(2) जहां तक श्रेणी-2 श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों का सम्बन्ध है, अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न पर वर्ष में एक बार विचार किया जाता है। विद्यमान नियमों के अनुसार, जो पद तीन वर्षों से अधिक अवधि से चल रहे हैं, उनमें से अधिक से अधिक 80 प्रतिशत पदों को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। तद्नुसार कतिपय पद अस्थायी रूप से चलते रहते हैं।

**विवरण**

**30 जून, 1974 को योजना आयोग में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल अस्थायी पदों की कुल संख्या जो पिछले तीन सालों से अस्तित्व में थे, निम्न प्रकार है :–**

| पदों का वर्ग | पदों की संख्या |
|---|---|
| श्रेणी 1 | 140 |
| श्रेणी 2 | 22 |
| श्रेणी 3 | 55 |
| श्रेणी 4 | 10 |
| जोड़ : | 227 |

**प्रेमनगर, नई दिल्ली में एक झुग्गी में बम विस्फोट की जांच**

7411. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेम नगर, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली में एक झुग्गी में बम विस्फोट के संबंध में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या विस्फोट से संबंधित सभी व्यक्तियों को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है अथवा पुलिस को अब भी कुछ व्यक्तियों की तलाश है और यदि हां, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) क्या उक्त विस्फोट के संबंध में जांच कार्य पूरा हो गया, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ख) चार व्यक्ति फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) जांच पड़ताल जारी है।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों की भर्ती**

7412. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली ने वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान तथा 31 मार्च, 1975 तक कुल कितने नए कर्मचारियों को भर्ती किया है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों की सिफारिश उक्त समिति तथा गृह मंत्रालय के विभिन्न निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा की गई ; और

(ग) उक्त समिति में प्रतिनियुक्ति पर आए कुल अधिकारियों की संख्या कितनी है, तथा उनको वापिस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) सहकारी वर्ष 1972-73 से 1974-75 (31 मार्च, 1975 तक) के दौरान समिति द्वारा भर्ती किए गए नये कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|
| 1972-73 | 38 |
| 1973-74 | 78 |
| 1974-75 (मार्च 31, 1975 तक) | 62 |

(ख) समिति के विभिन्न पदों पर भर्ती, प्रबन्धक वर्ग द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर की जाती है। समिति अथवा गृह मंत्रालय के विभिन्न निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों की सिफारिशों को कोई महत्व नहीं दिया जाता।

(ग) इस समय समिति में प्रतिनियुक्ति पर छह अधिकारी हैं। जब भी उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधियां समाप्त हो जाएंगी और समिति के प्रबन्धक वर्ग द्वारा उन्हें उनके मूल विभागों को लौटाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाएगा, उन्हें उनके मूल विभागों को लौटा दिया जाएगा।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिए गए उपहार**

7413. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड ने अपने निदेशकों तथा समिति के अन्य उच्च अधिकारियों को कलेंडर वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान कुल कितने मूल्य के तथा क्या-क्या वस्तुएं उपहार स्वरूप दी थी तथा ऐसे उपहार उन्हें दिए जाने के क्या विशेष कारण थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समिति के कर्मचारियों को कितने मूल्य के तथा क्या-क्या वस्तुएं उपहार स्वरूप दी गई थीं; और

(ग) समिति के निदेशकों तथा उच्च अधिकारियों को उपहार देने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :**

| | | रु० |
|---|---|---|
| (क) | 1972 ब्रीफ केसें . . | 1750.00 |
| | 1973 स्टेनलेस स्टील की हाफ प्लेटें . . | 3950.00 |
| | 1974 स्टेनलेस स्टील के गिलास तथा हाफ प्लेटें . | 4500.00 |

आम सभा की बैठकों के पहले दिन, निदेशकों तथा वरिष्ठ कर्मचारियों सहित प्रतिनिधियों (डेलीगेटों) को यादगार स्वरूप वस्तुएं देने की प्रथा रही है।

| | | रु० |
|---|---|---|
| (ख) | 1972 सूखे मेवों के पैकेट तथा हिन्दालियम हाफ प्लेटें . | 3300.00 |
| | 1973 बच्चों के लिए मिठाइयां, पटाखे तथा हाफ प्लेटें (हिन्दालियम) | 6308.00 |
| | 1974 मिठाइयों के पैकेट तथा देगचियां (हिन्दालियम) | 7000.00 |

प्रचलित प्रथा के अनुसार समिति के कर्मचारियों को दिवाली की पूर्व संध्या पर मिठाइयां तथा उपहार दिए गए थे।

(ग) ये निर्णय प्रशासन बोर्ड के स्तर पर किये गए थे।

**Requirement of Machine Tools**

7414. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the value of machine tools requirement in the country and the type of tools required and the extent of which the requirement of tools is met by H.M.T.; and

(b) whether machine tools are still imported and if so, the value of the machine tools imported during the years 1973, 1974 and 1975 ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George)** (a) In the calendar year 1974 sales of machine tools in the country have been of the order of Rs. 116 crores. It is estimated that for 1975-76 sales of machine tools in the country together with export would be of the value of Rs. 127 crores. In 1974 HMT manufactured Rs. 31.28 crores of machine tools and it is expected that in 1975-76 they will manufacture Rs. 40 crores worth of machine tools. As per standard classification there are 29 major types of machine tools.

(b) Yes, Please. Figures of imports are given below :

| | |
|---|---|
| 1973 | Rs. 20.87 crores. |
| 1974 | Rs. 33.00 crores (estimated) |

**List of Standard Classification of Machine Tool Types**

1. Automatics.
2. Bending and Forming
3. Boring.
4. Broaching.
5. Capstands and Turrets.
6. Die Casting & Metallurgical Equipment-NES.
7. Drawing.
8. Drilling.
9. Forging.
10. Furnaces Electric, Electric Welding. Cutting and Heating Apparatus.
11. Gas Operated Appliances—Welding, Cutting etc. (Excluding Hand Types).
12. Gear Cutting, Generating and Finishing.
13. Grinding.
14. Industrial and Laboratory Furnaces and Ovens-Non-Electric.
15. Lapping, Honing and Polishing.
16. Lathes.
17. Machinery for Forming Foundry Moulds of Sand.
18. Metal Forming Machinery (NES).
19. Metal Working Machines (Others).
20. Milling.
21. Planers.
22. Plastic Working Machinery.
23. Presses.
24. Punching, Shearing and Sheet Metal Machinery.
25. Riveting (Excluding Portable Hand).
26. Sawing, Filing and Cut Off machines.
27. Shaping.
28. Slotting other than for Gears.
29. Threading and Screwing.

**Crimes in Delhi**

7415. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of crimes, such as theft, corruption and rape committed in Delhi during the last three years, separately and year-wise and the causes thereof; and

(b) whether Government have taken steps to check the aforesaid crimes and if so, the broad outlines thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)** : (a) The case of theft, corruption and rape registered in Delhi during the years 1972, 1973 and 1974 are given below :—

| | Theft | Corruption | Rape |
|---|---|---|---|
| 1972 . | 18,719 | 25 | 37 |
| 1973 . | 19,748 | 24 | 64 |
| 1974 . | 20,402 | 34 | 68 |

The above crime figures are explained by the increase in population and the rapid urbanization of rural areas. There is also a huge floating population in the city which materially contributes to law and order problems and also inter-state criminal activities because of proximity of borders of other States. Much of the normal functioning of the Police in regard to the prevention of crime, detention and investigation of cases is also hampered by the heavy commitments of the Delhi Police for the countless demonstrations, processions etc., especially during the Parliament session. The generally difficult economic conditions through which the country has been passing has also contributed to the crime figures.

(b) Some of the important measures taken to check the crime in Delhi are given below :—

(1) Motor-cycles fitted with wireless were given to districts for patrolling in vulnerable areas. Special preventive patrolling is also enforced.

(2) Selected number of foot patrolmen were equipped with wireless to facilitate Patrol better coordination between the patrol staff and the district control rooms. Patrolling is also intensified particularly in the lonely spots from where cases of robbery and thefts are reported.

(3) A concerted drive against the bad characters was launched.

(4) Patrolling is done regularly by the Police Control Room vehicles in the respective areas round the clock.

(5) Under the Bombay Police Act, proceedings for externment out of the Union Territory of Delhi are initiated against notorious bad characters of the city.

(6) The Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police, Delhi and other senior officers make frequent inspections of police stations and police posts and impart instructions regarding control of crime etc.

(7) The Delhi Police Dog Squad supplement, the police patrolling particularly during the night in certain areas.

(8) On pay days heavy preventive partolling is enforced near banks and commercial areas to prevent incidents of robberies and dacoities.

(9) Mounted police patrolling is done in vulnerable areas from dust to night.

(10) An anti-vice squad functions in the Crime Branch to deal with the subject on social offence i.e. the suppression of immoral traffic in women and girls.

(11) The strength and mobility of the police force is reviewed from time to time and strengthened as and when felt necessary.

**थाना नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत डाक कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान**

7416. **श्री माऊसाहेब धामनकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्डोजबाग और वागले एस्टेट थाना नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में रहने वाले डाक कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन देने के बावजूद उन्हें थाना सिटी के बराबर भत्तों की अदायगी नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) सैंडोज़बाग थाना नगरपालिका के क्षेत्र में नहीं आता, जबकि वागले एस्टेट थाना नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ख) और (ग) वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट उप डाकघर के डाक कर्मचारी बम्बई की दरों से मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता पा रहे हैं; और सैंडोज़बाग डाकघर के डाक कर्मचारी बम्बई की दर से नगर भत्ता पा रहे हैं। इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

**भारत और सोवियत संघ के बीच रेडियो सम्पर्क**

7418. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ एक नये प्रकार का रेडियो सम्पर्क स्थापित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है;

(ग) प्रस्तावित सम्पर्क की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यह रेडियो सम्पर्क किस हद तक भारत के लिए लाभप्रद रहेगा ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) और (ख) भारत और रूस के बीच ट्रोपोस्केटर दूर-संचार सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सम्पर्क संकेत संचरण की नई पद्धति पर प्रचालित होगा, जिसे तकनीकी भाषा में 'डब्बल लाइफ-एज डिफ्रेक्शन' कहते हैं। इस सम्पर्क को स्थापित करने के बारे में तकनीकी व आर्थिक और परियात विषयक संभाव्यता की जांच करने के लिए आवश्यक तकनीकी अध्ययन किये जा रहे हैं।

दोनों देशों की सरकारों द्वारा इस योजना को अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के बाद उपस्कर प्राप्त करने और उन्हें लगाने के बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ) भारत और रूस के बीच मौजूदा दूर-संचार सम्पर्क उच्च आवृत्ति रेडियो प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। इन सम्पर्कों की क्षमता सीमित होती है और इसका स्तर तथा विश्वसनीयता जलवायु की परिस्थितियों, समय दिन अथवा रात, ऋतुओं जैसी बातों पर आधारित है। ट्रोपोस्केटर सम्पर्क भारत और रूस के बीच उच्चस्तर और विश्वसनीयता वाले अनेक दूर-संचार परिपथ उपलब्ध करेगा और इससे चौबीसों घण्टे कुशल सेवा प्राप्त होगी।

**उद्योगों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें**

7419. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

**चौधरी राम प्रकाश :**

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चयनात्मक आधार पर विभिन्न उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच करने हेतु एक विशेष समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चुने हुए उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्तियों पर प्रत्येक महीने निगरानी रखने का है;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(घ) क्या उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक भी 29 मार्च, 1975 को नई दिल्ली में हुई थी ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :** (क) से (ग) विभिन्न उद्योगों की चयनात्मक आधार पर ऋण की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक ऋण आयोजन दल की स्थापना पहले ही की जा चुकी है । चुने हुए उद्योगों की मासिक उत्पादन प्रवृत्तियों पर पहले ही से नजर रखी जा रही है।

(घ) जी, हां।

**राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उद्यमियों को ऋण दिया जाना**

7420. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा दिसम्बर, 1974 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में, राज्य-वार मशीनें खरीदने के लिए उद्यमियों को दिए गए ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऋणों के भुगतान में अनियमितता बरतने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो दोषी राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य पर कितनी राशि बकाया है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को ऋण नहीं दिये जाते हैं। निगम, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लघु एककों को किराया-खरीद पर मशीनें देता है। मशीनरी देने सम्बन्धी स्थिति और चूक करने वाले संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

| | राज्यवार दी गई मशीनरी (मूल्य लाख रुपये में) | राज्यवार चूकें (मूल्य लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | |
| तमिल नाडु | 927.21 | 65.31 |
| आंध्र प्रदेश | 365.21 | 37.79 |
| केरल | 353.82 | 32.25 |
| कर्नाटक | 635.94 | 54.08 |
| पाण्डिचेरी | 18.52 | 2.72 |
| योग | 2298.70 | 192.15 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | |
| महाराष्ट्र | 1217.72 | 81.15 |
| गुजरात | 756.63 | 52.19 |
| मध्य प्रदेश | 245.06 | 52.42 |
| गोआ | 55.77 | 2.5 |
| योग | 2275.18 | 188.32 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | |
| पश्चिम बंगाल | 609.64 | 100.10 |
| बिहार | 147.81 | 17.72 |
| आसाम | 84.17 | 17.03 |
| उड़ीसा | 53.24 | 13.95 |
| मणिपुर | 3.72 | -- |
| त्रिपुरा | 0.46 | -- |
| मेघालय | 0.43 | -- |
| नागालैण्ड | 3.25 | -- |
| योग | 902.72 | 148.80 |

| | (मूल्य लाख रुपये में) | (मूल्य लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| देहली . | 577.13 | 31.96 |
| उत्तर प्रदेश | 864.09 | 30.53 |
| पंजाब . . | 342.62 | 22.00 |
| जम्मू और काश्मीर | 64.60 | 11.07 |
| राजस्थान | 211.26 | 6.53 |
| हिमाचल प्रदेश | 27.07 | 1.08 |
| हरियाणा | 363.08 | 52.43 |
| योग | 2449.87 | 155.60 |
| कुल योग . . . . . | 7926.47 | 684.87 |

**उड़ीसा द्वारा वर्ष 1975-76 के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त सहायता की मांग**

7422. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से आगामी वर्ष के लिए राज्य की वार्षिक योजना व्यय में संसाधनों की समस्त कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1975-76 के लिए राज्य की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय, स्वीकृत योजना परिव्यय तथा राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्शों के दौरान विश्लेषित संसाधनों के बीच 15.96 करोड़ रुपये का अन्तर पाया गया था। अतः यह तय किया गया था कि वर्ष 1975-76 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार इस अन्तर को पूरा करने के लिए संसाधनों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करेगी।

**उज्जैन जिले में खचरौड टाऊन में पुलिस द्वारा एक हरिजन परिवार की पिटाई**

7423. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 मार्च, 1975 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि 29 मार्च, 1975 को उज्जैन जिले के खचरौड टाऊन में एक सब-इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ने एक हरिजन परिवार को जिसमें हरिजन सेवक संघ का एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता, उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्री और पुत्र भी सम्मिलित थे, निर्दयतापूर्वक पिटाई की और बाद में उन्हें हरिजनों के विरुद्ध नारे लगाते हुए पुलिसमैनों के साथ टाउन में घुमाया; और

(ख) यदि हां, तो पुलिस के इस अत्याचारपूर्ण बर्ताव के तथ्य क्या हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा संकटग्रस्त हरिजन परिवार को आवश्यक राहत और सुरक्षा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) सरकार ने टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 31 मार्च, 1975 में कथित घटना के बारे में प्रकाशित एक समाचार देखा है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

**'जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता' में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी**

7424. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता' में वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान अलग-अलग ग्रेड-वार, श्रेणी-वार तथा वर्ग-वार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक ग्रेड श्रेणी तथा वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ग) वर्ष, 1972, 1973 तथा 1974 में, अलग-अलग प्रत्येक श्रेणी तथा ग्रेड में कितनी-कितनी पदोन्नतियां हुई और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों की पदोन्नतियां हुई ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) और (ख) वर्ष 1974 में जेसप एण्ड कम्पनी में 10,982 कर्मचारी थे। इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या सम्मिलित है, जो निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (1) श्रेणी 1 | 2 |
| (2) श्रेणी 2 | 10 |
| (3) श्रेणी 3 | 15 |
| (4) श्रेणी 4 | 800 |
| (5) मेहतर | 118 |
| | 945 |

(ग) 1974 में श्रेणी 4 के 150 कर्मचारी अर्ध कुशल श्रेणी से कुशल श्रेणी में पदोन्नत किये गये थे इनमें 15 कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवा संबंधी सुरक्षा के बारे में संकल्प पर की गई कार्यवाही**

7425. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सरकारी कर्मचारी समन्वय परिषद् कलकत्ता, द्वारा 27 तथा 28 अप्रैल, 1974 को

दुर्गापुर में आयोजित अपने सम्मेलन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सम्बन्धी सुरक्षा के बारे में पास किये गये संकल्पों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संकल्पों में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) संकल्पों के मुख्य मुद्दों तथा उन पर की गई कार्रवाई/टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9511/75]।**

**एकाधिकार-गृहों द्वारा चमड़े की वस्तुएं बनाने के लिए एककों की स्थापना**

7426. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से एकाधिकार गृहों तथा बड़े-बड़े व्यापार-गृहों ने तैयार चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए एककों की स्थापना के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे एककों की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले बड़े-बड़े व्यापार गृहों की संख्या कितनी है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) से (ग) मै० मुरुगप्पा एण्ड संस, मद्रास ने तमिलनाडु में घड़ी के चमड़े के फीतों, घड़ियों के सिन्थेटिक फीतों और तैयार चमड़े के तैयार सामानों का उत्पादन करने के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जून 1974 में एक आवेदन दिया था। बाद में कम्पनी द्वारा आवेदन वापस ले लिया गया था।

**कलकत्ता टेलीफोन विभाग में सहायक इंजीनियर**

7427. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966, 1967 और 1968 से अलग-अलग कलकत्ता टेलीफोन विभाग में सहायक इंजीनियर के रूप में लगातार कार्य कर रहे तथा कलकत्ता में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनका अन्तरण किन सिद्धांतों के अन्तर्गत होता है और क्या इन सिद्धांतों का प्रत्येक मामले में पालन किया जा रहा है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) कलकत्ता टेलीफोन के अन्तर्गत 1966, 1967 और 1968 से जो सहायक इंजीनियर तैनात किए गए हैं और काम कर रहे हैं, उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं :—

1966

सर्वश्री एन०आर० मुखर्जी
एस०के० मोइत्रा
सुनीत कुमार बैनर्जी
डी०डी० बैनर्जी
एस०एस० मुखर्जी
एन०बी० मित्र
बी०सी० मुखर्जी
विमलेन्दु मुखर्जी
एम०एस० मंडल
आई०बी० राय
एच०डी० साहा

1967

सर्वश्री एस०सी० चक्रवर्ती
बी०एल० गांगुली
जे०सी० विश्वास
पी०के० घोष
एस०एन० मोइत्रा
एस०एम० दे
टी०पी० दत्त शर्मा

1968

सर्वश्री श्रीनिवासमूर्ति
जे० मजूमदार
मणि मोहन मंडल
ए०पी० कुचल्यान
एस०पी० सेनगुप्त
ए० भट्टाचार्य
एस०पी० बैनर्जी
एच०एम० शेट्टी
ए०के० पाल
एन०एन० विश्वास

(ख) सेवा की जरूरतों के अनुसार और प्रशासनिक आधार पर तबादले के आदेश दिए जाते हैं।

**मराठी दैनिक "तरुण भारत" की वितरण संख्या**

7428. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगाम से प्रकाशित होने वाले मराठी दैनिक "तरुण भारत" की वितरण संख्या की जांच की गई है;

(ख) क्या उक्त समाचारपत्र के प्रबन्धकों द्वारा जितनी संख्या में वितरण का दावा किया गया है उनकी पुष्टि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पत्र को अखबारी कागज का पूरा तथा नियमित कोटा कब दिया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा आंकी गई खपत संख्या समाचार पत्र द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(ग) आंकी गई खपत संख्या के आधार पर अखबारी कागज का कोटा निकाला जा रहा है तथा देय शेष कोटा उपलब्ध किया जा रहा है

**विदेशी पूंजीपतियों के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में अवरोध**

7429. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कांग्रेस कार्यकारी समिति के उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें विदेशी पूंजीवादी शक्तियों पर देश में अस्थिरता पैदा करने और देश के आर्थिक कार्यक्रमों के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-सी शक्तियां जिम्मेदार हैं; और

(ग) उनकी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :** (क) से (ग) सरकार ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के हाल के संकल्प के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें राष्ट्र को आंतरिक तथा बाहरी खतरों और देश में राजनतिक हिंसा वद्धि का उल्लेख है।

हमारे राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कड़ी सतर्कता बरती जाती है।

**गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थायी कर्मचारी**

7430. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उससे सम्बद्ध तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के श्रेणी-एक श्रेणी-दो, श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के पदों पर कितने कर्मचारी थे;

(ख) उस तारीख को उनमें से कितने कर्मचारियों ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा उससे सम्बद्ध एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारी**

7431. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा उससे सम्बद्ध एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को. श्रेणी-एक, श्रेणी-दो, श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या थी;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी उक्त तारीख तक तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे; और

(ग) उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

**संचार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारी**

7432. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में तथा उससे सम्बद्ध एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-एक, श्रेणी-दो, श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के पदों पर 30 जून, 1974 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी उक्त तारीख तक तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे, और

(ग) उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकार दयाल शर्मा)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी**

7433. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 30 जून, 1974 को श्रेणी-एक, श्रेणी-दो, श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने अस्थायी कर्मचारी थे;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी उक्त तिथि तक तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे; और

(ग) उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित कर्मचारियों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण है?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**राज्यों में कृषि और औद्योगिक उत्पादन का मूल्य**

7434. **श्री गजाधर माझी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) कृषि उत्पादन का राज्यवार सकल मूल्य तथा चालू मूल्यों पर संगठित उद्योगों के उत्पादन का राज्यवार मूल्य को दर्शाते हुए दो विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी०-9512/75]।

(ख) पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

**काली नदी पनबिजली परियोजना**

7435. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व योजना मंत्री श्री डी० पी० धर ने यह वायदा किया था कि केन्द्रीय सरकार कर्नाटक की काली नदी पनबिजली परियोजना की देख-रेख करेगी।

(ख) क्या वित्तीय अभाव के कारण यह परियोजना अनिश्चितता की स्थिति में है और राज्य सरकार इसके लिये संसाधन जुटाने में असमर्थ है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी जिससे इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) से (ग) कालीनदी जल-विद्युत परियोजना कर्नाटक की राज्य योजना में शामिल है और इसके कार्यान्वयन के लिए धन, राज्य योजना के अन्तर्गत ही जुटाना होगा। कर्नाटक को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को राज्य योजना से बाहर वित्तपोषित करेगी। चालू वर्ष के दौरान काली नदी परियोजना को आवंटित की जाने वाली धनराशि के बारे में राज्य सरकार की सिफारिश मान ली गई है और तदनुसार राज्य योजना में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

**गुजरात में चुनाव**

7436. **श्री नूरुल हुडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य के अन्दर और बाहर राष्ट्रपति शासन समाप्त करने और विधान सभा के चुनाव शीघ्र करवाने की जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) क्या एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार गुजरात में शीघ्र चुनाव करवाने की तिथि की घोषणा करेगी ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :** (क) से (ग) सरकार ने घोषणा की है कि गुजरात विधान सभा के चुनाव मानसून शुरू होने से पहले किये जायेंगे। चुनाव आयोग ने 8 और 11 जून, 1975 को चुनाव कराने की तारीखें निर्धारित की हैं।

**दिल्ली तथा अन्य नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था**

7437. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों, उपनगरों के बीच आरम्भ की गई डायल घुमाकर सीध टेलीफोन करने की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा उनके कोड नम्बर क्या क्या हैं;

(ख) वित्त वर्ष 1975-76 के दौरान दिल्ली तथा अन्य नगरों, उपनगरों, के बीच आरम्भ की जाने वाली डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा उनके कोड नम्बर क्या क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली तथा अन्य सभी राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव कुछ समय से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है और इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किये जाने की आशा है ।

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान दिल्ली से दूसरे स्थानों के लिए निम्नलिखित उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्ग खोले गए :

| मार्ग | कोड संख्या | |
|---|---|---|
| | दिल्ली से | दूसरे स्थानों से |
| 1. दिल्ली—सोनीपत | 9226 | 911 |
| 2. दिल्ली—मद्रास | 044 | 011 |
| 3. सहारनपुर—दिल्ली (एक तरफ से) | — | 911 |

दिल्ली से बम्बई और मद्रास के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों के जरिए, पूना सूरत, नागपुर बंगलूर कोयम्बटूर और मदुरे के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा एक प्रायोगिक आधार पर उस अवधि में चालू की गई है, जब कार्यभार कम रहता है।

(ख) वर्ष 1975-76 के लिए जिन मार्गों पर प्वाइंट-टु-प्वाइंट उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने की योजना है उनकी सूची नीचे दे दी गई है। इनके लिए डायलिंग कोड मार्ग चालू होने के समय तय किए जाएंगे।

1. दिल्ली—अलवर
2. दिल्ली—पानीपत
3. दिल्ली—करनाल
4. दिल्ली—देहरादून
5. दिल्ली—भोपाल
6. छेहरटा—दिल्ली
7. दिल्ली—रोहतक

8. दिल्ली--सहारनपुर (एक तरफा)

9. दिल्ली--कलकत्ता (रियायती अवधि के दौरान एक तरफ से)

10. दिल्ली--एर्नाकुलम (रियायती अवधि के दौरान)

(ग) राज्यों की राजधानियों को सीधी डायलिंग के लिए दिल्ली से उत्तरोत्तर जोड़ने के बारे में निर्णय ले लिया गया है। अभी तक अहमदाबाद (जो गांधी नगर को राजधानी बनाए जाने से पहले गुजरात की राजधानी था) बम्बई, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना शिमला और श्रीनगर को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए दिल्ली से जोड़ा जा चुका है। दूसरे राज्यों की राजधानियों को पांचवीं और छठी योजना के दौरान उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए दिल्ली से उत्तरोत्तर जोड़ने का प्रस्ताव है।

## दिल्ली में टेलीफोन के लिये प्रतीक्षा सूची

7438. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 31 मार्च, 1975 को, विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों से विभिन्न श्रेणियों के लिये प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों की टेलीफोन एक्सचेंज-वार तथा श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी थी;

(ख) 31 दिसम्बर, 1960 तक पंजीकृत हुए सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का सुनिश्चिय करने के लिये क्या विशिष्ट प्रयास किये गये हैं क्योंकि ये लोग 15 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) 15 वर्ष से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे सभी व्यक्तियों को संभवत: कितने समय तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जायेंगे ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है।

(ख) और (ग) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के किसी भी एक्सचेंज में ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1960 तक दर्ज कोई भी अर्जी इस समय बकाया नहीं है। सामान्य श्रेणी में अर्थात् जिसमें अपना टेलीफोन योजना (ओ०वाई०टी०) की रकम जमा नहीं करानी पड़ती, टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध क्षमता में से निम्नलिखित बंटवारे के आधार पर ओ०वाई०टी० 70 प्रतिशत, विशेष श्रेणी 15 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी 15 प्रतिशत दिए जाते हैं। इस प्रकार सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देना ओ०वाई०टी० श्रेणी में दिए गए टेलीफोन की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए सामान्य श्रेणी में दर्ज आवेदकों को कब टेलीफोन दिए जा सकेंगे, इसकी निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। फिर भी, दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के कुल छब्बीस एक्सचेंजों में से सिर्फ सात ऐसे एक्सचेंज हैं, जहां सामान्य श्रेणी में 31-12-60 तक दर्ज अर्जियां इस समय बकाया हैं।

**विवरण**

31-3-1975 को दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए श्रेणीवार प्रतीक्षा-सूची।

| एक्सचेंज | | ओ०वाई०टी० | सामान्य | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| 21 | शाहदरा | 1599 | 4283 | 1012 |
| 22 . | तीस हजारी | 4833 | 13104 | 2556 |
| 26 और 27 | दिल्ली गेट | 2997 | 10708 | 2507 |
| 31 | जनपथ | कोई नहीं | — | — |
| 37 | सचिवालय | कोई नहीं | — | — |
| 38 . | राजपथ | 344 | 191 | 60 |
| 39 . | कैंटोनमेंट | 1006 | 2950 | 608 |
| 4 . . | कनाट प्लेस | 1156 | 668 | 156 |
| 51 . | ईदगाह | 1639 | 4025 | 374 |
| 56 और 58 . . | करोलबाग | 4217 | 12535 | 3824 |
| 62, 61 और 7 . | जोरबाग | 5148 | 6994 | 2773 |
| 63 | ओखला | 1877 | 1760 | 644 |
| 67 . | चाणक्यपुरी | 105 | 939 | 268 |
| 81 . | फरीदाबाद | कोई नहीं | 1175 | 108 |
| 85 . | गाजियाबाद | 708 | 1646 | 624 |
| 82 | बदरपुर | कोई नहीं | 111 | 51 |
| 83 | बहादुरगढ़ | 6 | 275 | 106 |
| 86 | नजफगढ़ | 17 | 85 | 14 |
| 87 . | नांगलोई | 5 | 123 | 27 |
| 88 . . | बल्लभगढ़ | 196 | 509 | 170 |
| 89 . | नरेला | 5 | 224 | 71 |
| बी०डी०एल० . | बादली | 77 | 209 | 60 |
| | | 25,935 | 62,514 | 16,013 |

**नांगल-तलवाड़ा टेलीफोन लाईन**

7439. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने नांगल तथा तलवाड़ा के बीच, बरास्ता उरा तथा ग्राब, हिमाचल प्रदेश, एक सीधी टेलीफोन (ट्रंक) लाईन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाईन को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह लाइन संभवतः कब तक स्थापित कर दी जायेगी ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा)** : (क) से (घ) भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड ने नांगल और तलवाड़ा के बीच एक सीधे स्पीच ट्रंक सर्किट के लिए अनुरोध किया है। इस लाइन की व्यवस्था करने के लिए मार्ग के कुछ सेक्शन का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। परियोजना का तखमीना तैयार हो जाने पर किराया और गारन्टी की शर्तें पार्टी को सूचित कर दी जाएंगी। पार्टी द्वारा किराया और गारन्टी की शर्तें मंजूर करने के बाद और साज-सामान उपलब्ध होने पर निर्माण-कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आशा है कि किराया और गारन्टी की शर्तें मंजूर हो जाने के बाद यह काम लगभग 18 महीने में पूरा हो जाएगा।

**आदिवासी व्यक्तियों के विकास के लिये 1975-76 में धनराशि**

7440. **श्री टुना उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में आदिवासी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये वर्ष 1975-76 में राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान पश्चिम बंगाल में उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अलाट की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया था, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) देश में अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित धनराशि निर्धारित की गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

| | |
|---|---|
| केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम | 4.00 |
| राज्य क्षेत्र कार्यक्रम | 15.00 |
| उप योजना . | 20.00 |
| जोड़ | 39.00 |

उपरोक्त आंकड़ों के राज्य-वार वितरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर अनुमानित व्यय इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

| | |
|---|---|
| केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम | 23.37 |
| राज्य क्षेत्र कार्यक्रम | 31.17 |
| उप योजना . | 25.00 |
| जोड़ | 79.54 |

(ग) आशा है कि समस्त धनराशि का उपयोग किया जा चुका होगा प्रगति रिपोर्ट जून, 1975 के अन्त तक आने की आशा है।

**पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संतलडीह थर्मल स्टेशन और पुरुलिया-हावड़ा ट्रांस्मीशन लाइन के लिए मांगी गई सहायता**

7441. **श्री टुना उरांव : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने संतलडीह थर्मल स्टेशन के 120 मैगावाट क्षमता के दूसरे बिजली एकक तथा 132 क०ए० पुरुलिया हावड़ा ट्रांसमीशन लाइन के निर्माण कार्यों को मई के अन्त तक पूरा करने के लिए केन्द्र से 5 करोड़ रुपया देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ग) संतालडीह ताप-विद्युत केन्द्र के दूसरे यूनिट को पूर्ण करने के लिए धन की व्यवस्था 1975-76 की वार्षिक योजना में की जा रही है। इस यूनिट के मई के अन्त तक अथवा जून के प्रारम्भ में चालू हो जाने की प्रत्याशा है। पुरुलिया-हावड़ा पारेषण लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसी कोई लाइन निर्माणाधीन नहीं है। बहरहाल संतालडीह-हावड़ा लाइन चालू हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने फरवरी, 1975 में इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था, परन्तु संसाधनों की तंगी के कारण अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

**प्रेस सूचना कार्यालय कलकत्ता द्वारा आयोजित प्रैस सम्मेलन तथा प्रैस-दौरे**

7442. **श्री टुना उरांव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना कार्यालय, कलकत्ता प्रैस सम्मेलन तथा प्रैस-दौरों का आयोजन करता है जिसमें छोटे समाचार-पत्रों विशेषकर जिला-स्तर के समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता;

(ख) प्रैस सूचना कार्यालय द्वारा वर्ष 1974 के दौरान किस-किस तारीख को कितने प्रैस सम्मेलन तथा प्रैस-दौरे आयोजित किये गये तथा उक्त प्रेस सम्मेलन तथा प्रैस दौरों में भाग लेने वाले पत्र पत्रिकाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी गतिविधियों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के पत्र-पत्रिकाओं को भी शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) पत्र सूचना कार्यालय, कलकत्ता द्वारा आयोजित प्रैस सम्मेलनों तथा आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्तियों की मानक सूची दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9513/75**]। प्रैस सम्मेलनों में वास्तव में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती। प्रैस सम्मेलन के लिए निमंत्रण कलकत्ता के तथा उसके आस-पास के छोटे पत्रों सहित समाचार-पत्रों को भेजे जाते हैं। क्योंकि प्रायः प्रेस सम्मेलन थोड़े समय के नोटिस पर आयोजित किया जाता है, इसलिए और निहित दूरी के कारण जिलों के छोटे समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों के लिए आम-तौर पर इन सम्मेलनों में भाग लेना संभव नहीं होता।

कलकत्ता कार्यालय द्वारा 1974 के दौरान कोई प्रेस दौरा आयोजित नहीं किया गया।

**राज्यों में औद्योगिक विकास**

7443. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि कुछ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उनके राज्यों में औद्योगिक विकास के बारे में असंतोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) :** (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सी० पी० आई० ब्रिगेड**

7444. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सी० पी० आई० ब्रिगेड नामक पैरा-मिलिटरी ब्रिग्रेड कार्य रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ब्रिग्रेड के उद्देश्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**रायल्टी के वितरण पर वैज्ञानिकों में असंतोष**

7445. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट नये अविष्कारों के लिये वैज्ञानिकों में रायल्टी के वितरण के तरीके पर भारतीय वैज्ञानिकों में असंतोष है, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) रायल्टी के वितरण की वर्तमान प्रणाली के प्रति वैज्ञानिकों में असंतोष के बारे में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अथवा सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पांचवीं योजना में कोयला खानों के विस्तार/पुर्ननिर्माण तथा पुनर्गठन संबंधी कार्यक्रम**

7446. **श्री बसन्त साठे :** क्या **ऊर्जा** मंत्री पांचवी योजना में कोयले के उत्पादन के बारे में 5 मार्च 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2192 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित कोयला खानों के विस्तार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उपकरणों की अनुमानित लागत कितनी है और यदि इसके कुछ भाग का आयात होना है तो कितना आयात होना है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) पांचवी योजना के दौरान कोयला खानों के विस्तार, पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) वर्तमान खानों में, जहां 1973-74 के दौरान लगभग 780 लाख टन उत्पादन था, उसे खानों की क्षमता के पूर्ण उपयोग और विस्तार द्वारा 1978-79 तक बढ़ाकर 1150 लाख टन करने का कार्यक्रम है। साथ ही 200 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन नई खानें खोल कर और उनके विकास द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(2) कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल लिमटिड दोनों ने ही छोटी छोटी खानों को मिलाकर तथा खानों के समुचित समूह बनाकर राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का पुनर्गठन किया है। इसके फलस्वरूप कोयला खान प्राधिकरण लि० के अधीन चालू खानों की संख्या 711 से घटकर 297 और भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन 214 से घटकर 86 रह गई है।

(3) झरिया कोयला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला खानों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है। इस संबंध में भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा पोलैंड के विशेषज्ञों को मदद से साध्यता रिपोर्ट का एक सौदा तैयार किया गया है।

(4) कोयला खान प्राधिकरण को पुनर्गठित तथा नई खानों के लिए कम्पनी द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञता प्राप्त संगठन अर्थात् केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान रांची द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा अन्य तकनीकी अध्ययन किए जा रहे है।

(5) पुनर्गठित खानों को सेवा के लिए युक्तियुक्त सतही परिवहन व्यवस्था की जा रही ह जिसमें रेक संचलन के लिए लदान का केन्द्रीयकरण भी सम्मिलित है।

(6) उपकरणों का मानकीकरण किया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें देश में ही तैयार किया जा रहा है।]

(7) संयंत्र और मशीनरी की प्राप्ति के लिए अग्रिम कार्यवाही की गई है।

(ख) पांचवी योजना के मसौदे में अपेक्षित उपकरणों का मुल्य 400 करोड़ रुपए आंका गिया था। किंतु पांचवी योजना का मसौदा तैयार होने के बाद मशीनरी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जससे लागत के काफी अधिक बढ़ जाने की आशा है। संयंत्र और मशीनरी में समान्यतः आयातित कलपुर्जों का प्रतिशत भूमिगत खानों के प्रसंग में लगभग 15 से 18 प्रतिशत और "खानों प्रसंग में 22 से 30 प्रतिशत होने की आशा है।

**खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम द्वारा कोयला खनन उद्योग के लिये मशीनों का निर्माण**

7447. **श्री बसन्त साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खनन उद्योग के लिए मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण कार्य में खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम को किस प्रकार शमिल करने का विचार है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : कोयला खनन उद्योग के साथ माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को, शामिल करने का सुनिश्चय इसके द्वारा कोल

माइन्स आथारटी और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो कोयला खनन मशीनों और उपकरणों के प्रमुख उपयोक्ता है, के साथ किए जाने वाले घनिष्ट सम्पर्क से किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 31-3-1975 तक माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को कोल माइनिंग अथारिटी से 55.73 करोड़ रु० के मूल्य के क्रयादेश मिले थे ।

**वैगन निर्माण उद्योग में मंदी**

7448. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल वैगनों के क्रयादेशों में अनियोजित गिरावट के कारण पश्चिम बंगाल के मुख्य वैगन निर्माताओं के समाने मन्दी की नयी स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) मैसर्स ब्रेथवेटस् बर्न एण्ड कम्पनी, जैसप्स टेक्समैको और इण्डियन स्टैंडर्ड वेगन कम्पनी के खातों में 31 मार्च, 1975 को कितने वेगन क्रयादेश बकाया थे; और

(ग) इससे पश्चिम बंगाल के सहायक इंजीनियरी एककों पर कितना प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्रेथवेट . . . 3873 संख्या (4 पहियों वाले)

बर्न एंड कम्पनी . 2895 संख्या वही

जैसप्स 795 संख्या वही

टेक्सामैकों . . . . 3848 संख्या वही

आई एस डब्ल्यू . . 2764 संख्या वही

(ग) चूंकी खरीदे गये हिस्से पुर्जे एक वैगन के मूल्य के लगभग 40 प्रतिशत तक के होते हैं इसलिए वैगनों के उत्पादन में कोई कमी करने से ऐसे हिस्से पुर्जे बनाने वाले सहायक उद्योगों पर प्रभाव पड़ने की आशा है ।

**बर्न, ब्रेथवेट एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में रिक्त पद**

7449. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री मैसर्स ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जैसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के बारे में 26 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 513 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्न, ब्रेथवेट एण्ड जैसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड में कुछ उच्च एग्जीक्यूटिव पद बहुत समय से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी के शेयरों के किसी भाग को मैसर्स रिचार्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड को बेचा जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूसरे हुगली पुल के निर्माण कार्य में इसके भाग से कम्पनी को कितनी आय होने की संभावना है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : (क) तथा (ख) कम्पनी के सचिव के पद को छोडकर उच्च प्रबंध संवर्ग में कोई भी रिक्ति नही है। रिक्ति को भरने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) चूंकी संविदा की शर्तों में संशोधन करने के बारे म अब कुछ बातचीत चल रही है इसलिए प्रत्याशित आय की सही माला बताना सम्भव नहीं है।

## गारो लोगों की कठिनाइयां और उनकी मांगें

7450. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय से लगे हये आसाम के ग्वालपाड़ा और कामरूप जिलों के 316 ग्रामों में बसे गारो लोगों की कठिनाइयों और उनकी मांगों की जांच करने के लिए गत वर्ष सरकार ने वायदा किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि कोई जांच नहीं की गई और कोई कार्यवाही नहीं की गई, यदि हां, तो इस अकर्मण्यता के क्या करण हैं; और

(ग) क्या गारो नेशनल जोनल काउंसिल आफ एक्शन ने संबद्ध क्षेत्रों को मेघालय में मिलाने की अपनी मांग को अब पुनः दोहराया है और इस संबंध में आन्दोलन करने की धमकी दी है, और यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : (क) और (ख) इस विषय पर जांच की गई है।

(ग) 15 मार्च, 1975 को गारो नेशनल जोनल काउंसिल आफ ऐक्शन, असम द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है। सरकार का मत है कि असम व मेघालय की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है। भाषा जात अल्प संख्यकों को दिए गए संरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन ही ऐसी शिकायते दूर करने का अधिक उपयुक्त रास्ता होगा। असम के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि असम के भाषाजात अल्प-संख्यकों के अधिकारों का पूर्णरूप से संरक्षण किया जायगा और इन मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार असम सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

## Raids on unauthorised arms and ammunition factories

7451. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of unauthorised arms and ammunition factories detected by police in Country-wise raids conducted during the period from June, 1974 to March, 1975;

(b) the State-wise number of persons arrested; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)** : (a) to (i) The requisite information is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the House on receipt.

**New Telephones proposed to be installed in 1975-76**

†7453. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of new telephones proposed to be installed during the year 1975-76?

**The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :** The number of telephones proposed to be installed during 1975-76 is 1,20,000 approximately.

**Purchase of material by Textile Mills under Madhya Pradesh Textile Corporation**

7454. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state the names of the firms from which cotton, chemicals, machine spare parts and other materials were purchased by (1) Heera Mill, Ujjain, (2) Swadeshi Mill, Indore,- (3) Indore United Malwa Mill, Indore, (4) Kalyan Mill, Indore, (5) B.N.C. Mill, Rajnandgaon and New Bhopal Textile Mill, Bhopal of the Madhya Pradesh Textile Corporation in 1972, 1973, 1974 and upto March, 1975 and the dates on which these articles were purchased and the rates thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya):** The required information is being collected and will be laid on the Table of the House

**Striking by Electric Employees throughout the country**

†7455. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in an Indore daily, the Nai Duniya, dated the 11th March, 1975 wherein an indication of country-wise strike by about six lakhs electric workers throughout the country has been given; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps taken by Government in this regard ?

**The Minister of Energy (Shri K.C. Pant) :** (a) & (b) Government have seen the Press report. Government are not aware of any such decision regarding a country-wide strike by the electricity workers.

**Refugees from Burma camping in Jama Masjid Area of Delhi**

7456. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 250 refugees from Burma have crossed into India;

(b) whether they are camping in the Jama Masjid area of Delhi at present; and

(c) whether cards identifying them as citizens of Burma have been found with them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):** (a) to (c) About 39 families of Muslims consisting of 262 individuals, including women and children who are reported to have come from Burma through Bangladesh, were staying in Jama Masjid Area from about 14-3-1975. Some of them were in possession of Identity Cards which they claimed to have been issued by the Burmese Government. It is reported that most of these refugees have since left Delhi.

**चौथी योजना के दौरान कर्नाटक में पन-बिजली परियोजनाओं को मंजूरी**

7457. **श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजनाके दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कर्नाटक के लिये मंजूर की गई पन-बिजली परियोजनाओं संबंधी योजनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक परियोजना-वार कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई तथा खर्च की गई ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनायें निर्धारित समय में पूरी नहीं की जा सकीं तथा उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** (क) चौथी योजना के दौरान कर्नाटक के लिए केन्द्रीय सैक्टर में कोई जल-विद्युत परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**संचार मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम**

7458. **श्री के० लकप्पा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उनके मंत्रालय की देख-रेख में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में कितना-कितना पूंजी निवेश हुआ है;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में हुए कुल पूंजी निवेश में इस पूंजी निवेश का प्रतिशत कितना है; और

(ग) इसके लिये पांचवीं योजना के दौरान कितने अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई है ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) और (ख) संचार मंत्रालय के अधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, यथा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०), बंगलौर और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड (एच० टी० एल०), मद्रास । आई० टी० आई० बहु-एकक उपक्रम है जो विविध प्रकार के दूरसंचार उपस्कर बनाता है और बंगलौर, नैनी (उ० प्र०) तथा श्रीनगर में इसके कारखाने हैं । रायबरेली, उत्तर प्रदेश और पालघाट, केरल में दो नये कारखाने निर्माणाधीन हैं । एच० टी० एल० एकल उपक्रम है और टेलीप्रिंटर, आनुषंगिक उपस्कर तथा विद्युत टाइपराइटर बनाता है ।

इन दोनों उपक्रमों की साम्य पूंजी में सरकार का निवेश इस प्रकार है :—

| | कुल चुकता पूंजी | केन्द्रीय सरकार के हिस्से | राज्य सरकार के हिस्से | विदेशी हिस्से |
|---|---|---|---|---|
| | लाख रु० | लाख रु० | लाख रु० | लाख रु० |
| आई० टी० आई० | 500 | 388 | 31 | 81 |
| एच० टी० एल० | 123 | 123 | — | — |

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आई० टी० आई० और एच० टी० एल० में कुल निवेश 6.23 करोड़ रुपये का है जो कि स्पष्टतः भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र में कुल निवेश का बहुत थोड़ा प्रतिशत है ।

(ग) अभी तक पांचवीं योजना के दौरान इन उपक्रमों की साम्य पूंजी में और निवेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । फिर भी, आई० टी० आई० में विदेशी कम्पनियों द्वारा धारित हिस्सों को खरीदने का निश्चय किया गया है ।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परिवीक्षाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम**

7459. **श्री के० लकप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों का ब्यौरा क्या है जिनकी इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परिवीक्षा की जा रही है तथा प्रत्येक उद्यम में कितनी धनराशि लगाई गई है ;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में लगी कुल पूंजी की यह कितने प्रतिशत है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी अतिरिक्त पूंजी लगाने की व्यवस्था की गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

| उद्यम का नाम | प्रदत्त हिस्सा पूंजी |
|---|---|
| राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि० (एन आर डी सी) | 47 लाख रुपये |
| सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०, नई दिल्ली (सी इ एल) | 50 लाख रुपये |
| (ख) 0.00014% | (प्रदत्त हिस्सा पूंजी के रूप में) |
| (ग) एन आर डी सी | 9.75 करोड़ रुपये (हिस्सा पूंजी ऋण) |
| सी इ एल | 3.75 करोड़ रुपये (हिस्सा पूंजी ऋण) |

**कर्नाटक द्वारा कालन्दी चरण एक परियोजना को क्रियान्विति के लिए मांगी गई अतिरिक्त धनराशि**

7460. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने कालन्दी चरण एक परियोजना की क्रियान्विति के लिये वस्तुतः कितनी अतिरिक्त धनराशि मांगी थी;

(ख) जीवन बीमा निगम ने मसूर विद्युत निगम को स्वीकृत पांच करोड़ रुपये की राशि में से अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या उक्त परियोजना की क्रियान्विति के लिये मैसूर विद्युत निगम को समय पर राशि उपलब्ध कराने में कोई विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**मनीपुर उत्तरी जिले के चावेनू गांव में भूमिगत नागा-सेना की 10वीं बटालियन के मुख्यालय को नष्ट करना**

7461. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 मार्च, 1975 को सुरक्षा सेनाओं ने मनीपुर उत्तरी जिले के चावेनू गांव में भूमिगत नागा-सेना की 10वीं बटालियन के मुख्यालय को नष्ट करके वहां से एक विदेशी मशीन-गन, एक राकेट-लान्चर, मोर्टार माइन्स तथा हथगोले बरामद किये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा अन्य सामग्री भी बरामद हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां की बनी हुई हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (एफ० एच० मोहसिन)** : **(क) से (ग)** मणिपुर राज्य के उत्तरी जिले में चावेनू क्षेत्र में छापा मारते समय सुरक्षा बलों ने नागा सेना की तथाकथित 10वीं बटालियन से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किये हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. एम० एम० जी० | 1 |
| 2. 2 इंच मोर्टार | 1 |
| 3. 7.62 एम० एम० एम० एल० राइफल | 1 |
| 4. 2 इंच मोर्टार बम | 6 |
| 5. हथगोले | 2 |
| 6. प्लास्टिक माइन | 1 |
| 7. एम० एम० जी० बैल्टिड राऊंड्स | 50 |
| 8. एम० एम० जी० लूज राउंड्स | 431 |
| 9. 9 एम० एम० राउंड्स | 193 |
| 10. 7.62 एस० एल० राइफल राउंड्स | 18 |
| 11. कुछ दस्तावेज जिनका अध्ययन किया जा रहा है। | |

उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर एम० एम० जी० का निर्माणकर्ता मैडसन है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। शेष हथियार व गोलाबारूद देश के बने हैं।

सुरक्षा बलों ने उपरोक्त छापे में अनेक दस्तावेज भी बरामद किये हैं, जिनकी परीक्षा की जा रही है।

**राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा कोयला विकास प्राधिकरण के अधीन कोयला खानों की लेखा-परीक्षा संबंधी प्रक्रियायें**

7462. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा कोयला विकास प्राधिकरण के अधीन कोयला खानों की लेखा परीक्षा संबंधी प्रक्रियाएं क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री, (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :** कोयला खान प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लेखाओं की परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, कम्पनी अधिनियम के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से की जाती है।

**सूर्य की किरणों को वाणिज्यिक बिजली में बदलने के लिए पालक का उपयोग**

7463. **श्री राजदेव सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे सौर वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी है कि जापानी अनुसंधानकर्ताओं ने गत अक्तूबर में दावा किया है कि उन्होंने सूर्य की किरणों को वाणिज्यिक बिजली में बदलने के लिये पालक के उपयोग का उपाय ढूंढ निकाला है;

(ख) क्या जापान के रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ मिनिस्ट्री आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का विश्वास है कि यह तकनीक 'सिलिकोन सोलर बैटरीज' का उपयोग करने की वर्तमान तकनीक से सस्ती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में हमारे देश के सौर वैज्ञानिकों का क्या विचार है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :** (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**जयपुर उद्योग लिमिटेड**

7465. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के 18क के उपबन्ध के अन्तर्गत सरकार आलोक उद्योग ग्रुप को जयपुर उद्योग लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है क्योंकि कारखाने की वित्तीय स्थिति सामान्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्राइवेट सीमेंट कारखानों द्वारा सीमेंट की बिक्री**

7466. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट सीमेंट कारखानों को खुले बाजार में अपना सीमेंट बेचने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो अपने सीमेंट का कितना प्रतिशत सीमेंट वे बेच सकते हैं तथा किस दर पर ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) और (ख) सीमेंट के मूल्य और वितरण का नियंत्रण सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की शर्तों और खुदरा वितरण को विनियमित करने संबंधी राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये विभिन्न कानूनी आदेशों के द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त सामान मूल्य निर्धारित करती है किन्तु सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खण्ड 10 के अन्तर्गत सीमेंट के थोक और खुदरा मूल्य राज्य सरकारें निश्चित करती हैं। देश में उत्पादित सीमेंट की कल मात्रा कुछ विशेष किस्मों को छोड़कर इस प्रकार के वितरण/मूल्य नियंत्रण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

**आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों से लड़कियों का अपहरण तथा उनको बम्बई में बेचा जाना**

7467. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों से लड़कियों का अपहरण करने के बाद उन्हें बम्बई के वेश्यालयों को बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ह ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) गत चार वर्षों में ऐसे 3 मामले महाराष्ट्र पुलिस के ध्यान में आये हैं और प्रत्येक मामले में उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की गई थी।

(ख) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस दोनों आवश्यक सतर्कता बरत रहे हैं।

**कूच-बिहार गोलीकांड के बारे में मुखर्जी आयोग का प्रतिवेदन**

7468. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 4 मार्च, 1975 के 'हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड' में समाचार है, मुखर्जी आयोग ने कूच-बिहार गोलीकाण्ड के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को दिये अपने प्रतिवेदन में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तीव्र आलोचना की है जिसने, आयोग के अनुसार, बहुत ही गलत ढंग से वर्ताव किया और वह उस अप्रिय घटना का मुख्य कारण बन गई जो कूच-बिहार टाउन में 27 अगस्त, 1974 को घटी थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आयोग के निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) क्या संसद् सदस्यों को रिपोर्ट परिचालित की जायेगी ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (घ) तक पश्चिम बंगाल सरकार से जिसने यह आयोग नियुक्त किया था, सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**Orders with Heavy Engineering Corporation**

7469. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state the type of machines being manufactured in the Heavy Engineering Corporation and the value of orders with the Corporation for supply within the country and to the foreign countries at present ?

**The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George)**: The following types of machines are being manufactured by HEC :

Steel Plant equipment including blast furnaces, rolling stock for steel plants, slag ladle cars, crushers, heavy cranes, excavators, drilling rigs, cement plant equipment, heavy machine tools including central lathes, radial drilling machines, horizontal boring machines etc. As on 1-4-1975, the value of orders for supply of equipment within the country was Rs. 272 crores and that for supply to foreign countries Rs. 0.74 lakhs.

**Recognised News Agencies and Facilities given to them**

7470. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the news agencies recognised in the country at present and the facilities given to them by Government;

(b) whether Government propose to evolve a uniform set-up for these agencies; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) Government has no system of recognising news agencies. Under certain conditions, correspondents of news agencies and newspapers are given accreditation by Government. Accredited correspondents are given facilities for easy access to news and its speedy transmission.

(b) & (c) These are privately owned institutions and Government has no proposal under consideration to evolve a uniform set-up for all the agencies.

**हरियाणा में औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन**

7471. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में हड़तालों और तालाबन्दी के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : तकनीकी विकास के महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार साइकिल की रिमें बनाने वाला एक एकक 1974 में श्रमिकों की हड़ताल के कारण बंद हो गया था। इसके बन्द होने की अवधि में उत्पादन की लगभग 33,000 रु० की हानि अनुमानित है। हड़ताल या तालाबन्दी की कोई अन्य सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

**प्राचीन अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिये "सैल"**

7472. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राचीन भारत की अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए किसी सैल की स्थापना की है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** जी, नहीं।

**औद्योगिक उत्पादन में मंदी**

7473. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक उत्पादन में गतिबद्धता है जिस के परिणामस्वरूप मन्दी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :** (क) और (ख) यद्यपि सम्पूर्ण रूप से वर्ष 1974-75 के औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग उद्योगों के आंशिक आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1974-75 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की संभावना है। अतः इन आंकड़ों से औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध का पता नहीं चलता है जिसके फलस्वरूप मंदी आई हो। सरकार औद्योगिक स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और औद्योगिक उत्पादन गति और बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

**परमाणु परिक्षण के भूतत्वीय परिणाम**

7474. **श्री वनमाली बाबू: क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोखरण परमाणु परीक्षण के परिणामस्वरूप विदित हुई मुख्य भूतत्वीय विशेषतायें क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे परीक्षण देश के भिन्न-भिन्न भागों में वहां की भूतत्वीय विशेषताओं का पता लगाने के लिये भी किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो भावी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) अपेक्षित सूचना संसद् के पुस्तकालय में रखे गये मोनोग्राफ में दी गई है।

(ख) तथा (ग) इस प्रश्न पर, चालू अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद तथा यह निश्चित हो जाने पर कि ऐसे परीक्षण करना आवश्यक है, विचार किया जायेगा।

**नियन्त्रित कपड़े का मूल्य**

7475. **श्री राम हेडाऊ:** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कपड़ों के खुदरा डिपुओं के बारे में 19 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3965 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन केन्द्रों द्वारा बेची जाने वाली सरकारी प्रबन्ध वाली कपड़ा मिलों द्वारा निर्मित नियंत्रित कपड़े की भिन्न-भिन्न किस्म के मूल्यों को एक समान रखा जायेगा या भिन्न-भिन्न परिवहन शुल्कों को ध्यान में रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य):** (क) नियंत्रित (कन्ट्रोल का) कपड़ा, वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। इन मूल्यों का आधार समान होना है और परिवहन प्रभार के अनुसार ये अलग अलग नहीं होते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**गुजरात के भड़ौच जिले में बरामद की गई देशी पिस्तौलें**

7476. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भड़ौच जिले के विभिन्न भागों में लोगों से अनेक देसी पिस्तौले बरामद की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):** (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अब तक 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। गृह मंत्रालय इस समस्या से अवगत है और उसके द्वारा वैध हथियारों का निर्माण रोकने के लिये समय-समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है।

**पश्चिम बंगाल सूती कपड़ा कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन**

7477. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सूती कपड़ा कर्मचारी संघ ने उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन के तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की कपड़ा मिलों के प्रशासन के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु महासंघ के प्रतिनिधियों ने राज्य मंत्री के साथ हुए साक्षात्कार में पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय-कृत कपड़ा मिलों के प्रबंधकों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उन्हें विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में लाने का सुझाव दिया गया था ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को 13 मार्च, 1975 को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है। इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उपयुक्त अभ्युपाय किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके कार्यों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### फूलपुर उर्वरक परियोजना संबंधी श्वेत पत्र

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : मैं फूलपुर उर्वरक परियोजना संबंधी श्वेत-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[गृह मंत्रालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 9495/75]**

### हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर और सांभर साल्ट्स लिमिटेड के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य)** : मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर और (2) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 9496/75]**

### सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सं० नि० 437 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9498/75]**

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 26 मार्च, 1975 को सभा पटल पर रखे गये थे।

**नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण संबंधी अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन**

**उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक की अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड के कार्य-कलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण संबंधी अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9497/75]**

**बम्बई मोटरगाड़ी कर (गुजरात संशोधन) नियम, 1974 तथा कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1971–72 के वार्षिक लेखे**

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटरगाड़ी कर अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बम्बई मोटरगाड़ी कर (गुजरात संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 अगस्त, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एच०/जी० 74/188 एम०टी०ए०-1271-32361-ई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिय संख्या एल०टी० 9499/75]**

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 9500/75]**

**दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत आदेश। गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 15 अप्रैल, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू-13021/17/75-दिल्ली में प्रकाशित आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें दिनांक 24 मार्च, 1975 के आदेश संख्या यू-13021/17/75-दिल्ली (i) में कतिपय संशोधन किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9501/75]**

**हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता की समीक्षा एवं वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन और खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1975**

**इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

**[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9502/75]**

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 396 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गय । देखिये संख्या एल टी० 9503/75]**

**गुजरात नगरीय क्षेत्र में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आदेश**

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिषेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक प्रति :—

(1) जूनागढ़ जिले में वेरावल ताल्लुक वेरावल के श्री परुषोत्तम हरिभाई झवेरी के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-2373/123875-पांच

(2) सूरत जिले में चौरियासी ताल्लुक वडोड के श्री गेमलसिंह मोहनसिंह के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-3074/83155–पांच

(3) सूरत के श्री वीरमसिंह मोहनसिंह सोलंकी के मामले में दिनांक 18-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-3074/93085–पांच

(4) पुष्पक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, नवसारी के मामले में दिनांक 20-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-2075/9005–पांच

(5) बोल्ड कोयन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले दिनांक 20-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-1473/89023–पांच ।

(6) अहमदाबाद जिले में दासक्रोइ ताल्लुक गनिपुर के श्री सोमाभाई हरजीभाई पटेल के मामले में दिनांक 20-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-1474/113311–पांच ।

(7) नरौदा गणेश कोआपरेरिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 20-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-1474/51625–पांच ।

(8) प्रस्तावित फखारी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, दाहोद, जिला पंचमहल के मामले में दिनांक 21-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-2772/एम/22889–पांच ।

(9) रुपल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, भावनगर के मामले में दिनांक 21-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-1875/17188-पांच ।

(10) सूरत जिले में ताल्लुक पलसाना अन्तरोली के श्री हरिभाई गोविंदभाई हरिजन के मामले में दिनांक 21-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी 3074/93663–पांच ।

(11) अहमदाबाद के श्री रजनीकान्त रमणलाल शाह तथा अन्यों के मामले में दिनांक 21-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी 1474/12735–पांच ।

(12) श्री जयनाग नाथ कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित) अमरेली के मामले में दिनांक 25-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-1574/75830–पांच ।

(13) पैराडाइज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आनन्द के मामले में दिनांक 25-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-2474/139437–पांच ।

(14) मैसर्स सर्वोदय आयरन इंडस्ट्रीज, गोधरा के प्रोपोरेट श्री अजीज ओनाली लोखण्ड-वाला के मामले में दिनांक 21-3-75 का आदेश संख्या लड/वी सी टी/डब्ल्यू एस 1653।

(15) एरजक एण्ड कम्पनी बखारिया बाजार, बेरावल, जिला जूनागढ़ के मामले में दिनांक 13-3-75 का आदेश संख्या लैंड/2 सी/522 ।

(16) जिला बड़ौच अंकलेश्वर के श्री अहमद भाई हाजी इब्राहीमभाई खिन्नीवाला के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या एल० एन० डी० /वी सी टी/एस आर-46।

(17) बड़ौच मुस्लिम पटेल एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, बड़ौच के मामले में दिनांक 14-3-75 के आदेश संख्या एल० एन डी/वी सी टी/एस आर/70/डब्ल्यू एस।

(18) बड़ौच जिले में अंकलेश्वर ताल्लुक के कोषामादी ग्राम के श्री मुहम्मद हसन जी कोया के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश/एल एन डी/वी सी टी/एस आर-43।

(19) बड़ौच जिले में अंकलेश्वर ताल्लुक के पीरामान ग्राम के श्री इस्माइल हसनजी मुल्ला के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या एल० एन० डी० /वी सी टी/एस आर-66।

(20) धुआभाई बल्लभभाई प्रजापति, ढोलका जिला, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/141/7/(3)।

(21) मानवदर के मेसर्स पटेल, गोविन्दलाल गोकलदास एण्ड कम्पनी के मामले में दिनांक 21-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/214/7(3)।

(22) कैरा जिले में नडियाड ताल्लुक दभन के श्री चुन्नीभाई शंकरभाई पटेल के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–37।

(23) कना ताल्लुक आनन्द, जिला कैरा की गना एजूकेशन्स सोसायटी के चैयरमैन के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर।

(24) तालुक नाडियाड, जिला कैरा पलाना के श्री घनश्यामभाई कुवेरभाई पटेल के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी-वी सी टी-एस आर 37।

(25) जिला कैरा में तालुक बोरसाद, बोरसाद के मेसर्स मेगाजी भाई एण्ड कांजीभाई पटेल के साझीदार श्री वीराजीभाई कांजीभाई के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी-वी सी टी-एस आर-9।

(26) जिला कैरा में नाडियाड तालुक पिज के श्री विट्ठलभाई मगनभाई पटेल के मामल में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर-14।

(27) जिला कैरा में तालुक थासारा, मलाई के श्री कालीदास मगनभाई पटेल के मामलें में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर-155।

(28) जिला कैरा में ताल्लुक आनन्द के ईमीस एलकान (इण्डिया) लिमिटेड, वल्लभ विद्यानगर के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी-वी सी टी-एस आर-38।

(29) जिला कैरा में तालुक गेम्बे, भारतपुर के श्री घनश्यामभाई अम्बालाल पटेल और शकरपुर के प्रभुलाल गोकलदास पटेल के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी-वी सी टी-एस आर-124।

(30) जिला कैरा में तालुक नाडियाड, दमन के श्री रावजीभाई आशाभाई पटेल के मामले में दिनांक 29-3-75 का आदेश संख्या टी एन सी-वी सी टी-एस आर।

(31) हरि-ओम इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सर्विसेस सोसाइटी, सूरत के चीफ प्रोमोटर दिनेश चन्द्र छोटालाल चाहवाला और महादेवराव भीमराव निकम के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-एस आर-85/74।

(32) प्रेसीडेंट श्री जयन्तीलाल जी० बाखरिया, सेठ दलीचन्द वीरचन्द शरीफ अशकताश्रम अस्पताल, सूरत के मामले में दिनांक 14-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-एस आर-83/74।

(33) बड़ौदा रेयन कारपोरेशन, सूरत के सचिव के मामले में दिनांक 25-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-एस आर-286/74।

(34) सूरत के श्री नोशीर जमशेदजी घेयारा और मानक जमशेदजी घेयारा के मामले में दिनांक 27-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-एस आर-101/74।

(35) एलम्बिक ग्लास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बड़ौदा के मामले में दिनांक 26-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-एस आर-19/73।

(36) मेसर्स पटेल ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, जोरावरनगर जिला सुरेन्द्र नगर के साझीदार श्री अर्जन लखमशी पटेल के मामले में दिनांक 15-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी/डब्ल्यू एम-872/75।

(37) प्रीति मशीन टूल्स कारपोरेशन, सुरेन्द्रनगर के साझीदार श्री नत्थूभाई ए० मेहता के मामले में दिनांक 15-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-डब्ल्यू एस/424।

(38) मेसर्स इनडिक्टरो सेरेमिक्स, सुरेन्द्रनगर के साझीदार श्री जी० के० सेठ, के मामले में दिनांक 24-3-75 का आदेश संख्या वी सी टी-डब्ल्यू एस-928।

(ख) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9504/75]

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1974–75 के पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा वर्ष 1975–76 के बजट प्राक्कलन**

**श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1974-75 के पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा वर्ष 1975-76 के बजट प्राक्कलन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9505/75]

---

# गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

### 55वां प्रतिवेदन

**श्री जी० जी० स्वैल** (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 55वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

---

# लोक लेखा समिति

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

(149वां तथा 151वां प्रतिवेदन)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के बारे में बंगला देश के शरणार्थियों पर 149 वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) में दिये गए पैराग्राफों पर समिति के 125वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाही के बारे में 151 वां प्रतिवेदन।

---

# सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 62वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति के बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

---

# याचिका समिति

## COMMITTEE ON PETITIONS

**21वां प्रतिवेदन**

**श्री जगन्नाथ राव** (छतरपुर) : मैं याचिका समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में याचिका**

## PETITION RE. GRIEVANCES OF RAILWAY EMPLOYEES

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : I beg to present the petition signed by Shri George Fernandes in respect of five complaints of Railway employees.

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कानपुर में फैक्टरियों में 11 मिलें बंद पड़ी हैं और 50,000 कर्मचारी बेकार हैं। दो मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : कृपया इसे अस्वीकार किये जाने के कारण बताएं।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे लिये कारण बताने आवश्यक नहीं हैं।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अधीन नोटिस अस्वीकार हो गया है। अब क्या मैं स्थगन प्रस्ताव रखूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप कभी सन्तुष्ट नहीं होंगे।

**(व्यवधान)**

**Shri Madhu Limaye** : This is a question of 50,000 workers.....

**Mr. Speaker** : Today only constitutional Amendment Bill is to be taken up.

## संविधान (38वां संशोधन) विधेयक
## CONSTITUTION (THIRTY EIGHTH AMENDMENT) BILL

**अध्यक्ष महोदय** : यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतएव इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।

मेरा सुझाव है कि संविधान (38वां संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर प्रथम मत विभाजन आज 3.30 बजे हो और विधेयक को पारित करने के लिए मत विभाजन 4.00 बजे हो।

संविधान (37वां संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर प्रथम मत-विभाजन 5.30 बजे होगा तथा विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन 6.00 बजे होगा।

**विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में संविधान की प्रथम अनुसूची में शीर्षक "I राज्य" में "सिक्किम प्रविष्टि तथा सिक्किम राज्य सम्बन्धी नये अनुच्छेद 371 च को जोड़ने का प्रावधान है।" विधेयक में बाद में होने वाले संवैधानिक संशोधनों के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

आजादी से पहले सिक्किम भारतीय रियासतों में से एक था। सिक्किम के महाराजा 1921 से ही चेम्बर आफ प्रिंसेस के सदस्य थे और उन्हें 15 तोपों की सलामी दी जाती थी।

1947 में सिक्किम के नेताओं ने भारत में प्रजातंत्र के उदय के फलस्वरूप भारत में विलय तथा निर्वाचित जिम्मेदार सरकार के लिए आन्दोलन किया। अन्य राज्यों के लिये जो व्यवस्था की गई थी, वही वहां के लिये भी की गई है। महाराजा का पद इस आशा से कायम रखा गया है कि जिम्मेदार सरकार बनाने तथा भारत के साथ निकट सम्पर्क सम्बन्धी जन आकांक्षाएं समय व्यतीत होने के साथ-साथ पूरी हो जाएंगी।

हम आशा रखते थे कि इन परिस्थितियों में सिक्किम के लोग जिम्मेदार सरकार सम्बन्धी अपनी आकांक्षाएं पूरी करेंगे और सिक्किम सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्रगति करेगा। लेकिन बाद की घटनाओं ने हमारी यह सारी आशाएं धूल में मिला दी हैं। सिक्किम के लोगों तथा वहां के शासक के बीच की दूरी बढ़ती गई। निरंकुश तथा भ्रष्ट शासन प्रणाली के विरुद्ध लोगों की

निराशा तथा रोष, अप्रैल, 1973 में उस समय पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब एक लोकप्रिय आन्दोलन उभरा। इस आन्दोलन के फलस्वरूप कानून तथा अर्थव्यवस्था पूर्णतया अस्तव्यस्त हो गई और शासक तथा जनता ने भारत से सहायता के लिये अनुरोध किया।

1973 के बाद हुई घटनाओं के बारे में सभा को जानकारी होगी। सिक्किम सरकार अधिनियम 1974 में सिक्किम के लिए संवैधानिक ढांचे की व्यवस्था की गई है ? जब किसी विधान सभा ने भारत के राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में और अधिक भाग लेने का अनुरोध किया तो संसद ने संविधान 35वां संशोधन पारित किया। जिसमें सिक्किम भारत में मिलने तथा संसद में इसको प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई।

हमें आशा थी कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था से लोकप्रिय सरकार बनेगी। सितम्बर, 1974 में मुख्य मंत्री ने खुले तौर पर कहा कि 'चोग्याल को जाना चाहिए।' उन्हें भय था कि चोग्याल के संवैधानिक प्रमुख बने रहने से लोगों की आशाओं का पूरा होना संभव नहीं है।

चोग्याल के मंत्री-परिषद ने संघर्ष के अतिरिक्त सिक्किम में आतंकवाद भी फैलाया। मुख्य मंत्री की हत्या के असफल प्रयास सिक्किम विधान सभा के सदस्य को छुरा मारना, शस्त्रों की बरामदगी तथा सिक्किम के नेताओं की हत्या के प्रयत्नों से तनाव और अधिक बढ़ा।

इस पृष्ठभूमि में 10 अप्रैल, 1974 को सिक्किम विधान सभा की बैठक हुई। यह समझते हुए कि चोग्याल की गतिविधियों से 8 मई 1973 का समझौता तथा सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 का उल्लंघन हुआ है, विधान सभा ने घोषणा की कि चोग्याल के पद को समाप्त किया जाये और सिक्किम भारत का अंग बने। इस प्रस्ताव पर जनता का निर्णय लेने का निश्चय हुआ।

इस निश्चय के अनुसार 14 अप्रैल को सिक्किम में विशेष चुनाव हुए। जिसके परिणाम 15 अप्रैल को घोषित हुए। 97,000 मतों में से 59,637 पक्ष में तथा 1496 विपक्ष में पड़े।

15 अप्रैल की शाम सिक्किम के मुख्य मंत्री ने परिणाम भारत सरकार को भेजे तथा इस पर तुरन्त निर्णय लेने का अनुरोध किया।

16 और 17 अप्रैल को मंत्री-परिषद सहित सिक्किम के वरिष्ठ नेता दिल्ली आये और भारत सरकार से सिक्किम की जनता के सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय के कार्यान्वित करने के लिए कहा।

जब संवैधानिक तंत्र टूट गया है, जब संवैधानिक प्रमुख का निर्वाचित सरकार से टकराव हो गया है और जब स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम सिक्किम की, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें।

विधेयक में सिक्किम के लोगों की आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। सिक्किम के लोगों ने संकल्प किया है कि चोग्याल का पद समाप्त हो गया है और अब सिक्किम भारत का ही एक अंग होगा।

मुझे विधेयक में उल्लिखित बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि संशोधित अनुच्छेद जो यहां खंड 3 के रूप में है। इसके द्वारा हम अनुच्छेद 371-ङ के पश्चात् अनुच्छेद 371च जोड़ रहे हैं इसमें निहित बातों पर वाद-विवाद के दौरान चर्चा होगी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री समर मुखर्जी** (हावड़ा) : 7 महीनों की अवधि के दौरान सिक्किम की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए एक और संविधान संशोधन विधेयक सभा के समक्ष पेश किया गया है। पिछली बार जब संविधान (35 वां) संशोधन विधेयक सभा में पेश किया गया था तो हमने कुछ आधारों पर उसका विरोध किया था । अब और उस समय में इतना अंतर है कि चोग्याल का पद समाप्त हो गया है ।

पिछली बार हमने सरकार की अत्यधिक आलोचना की थी कि वह चोग्याल के पद को बनाये रखने में सहायता दे रही है। चोग्याल का सम्बन्ध अमरीका से था और वह अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए सिक्किम की जनता तथा भारत सरकार के हितों के विरुद्ध जा रहा था। पिछले संविधान संशोधन विधेयक से भारत सरकार ने सिक्किम की जनता की इच्छाओं को पूर्ण मान्यता नहीं दी थी क्योंकि वहां की जनता की मांग थी कि चोग्याल का पद समाप्त किया जाये। मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने चोग्याल निर्वाचित विधान सभा और सरकार के बीच सामंजस्य करने का पूरा प्रयास किया। क्योंकि वहां की जनता की हार्दिक इच्छा तो यह थी कि चोग्याल का पद समाप्त किया जाये। अतः सरकार की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि वह जनता की लोकतांत्रिक राय को मान्यता नहीं दे रही है। पिछली बार चोग्याल को संविधान का मुखिया बनाया गया था । किन्तु वह शक्ति वहां के निर्वाचित निकाय को नहीं दी गई । बल्कि निर्वाचित विधान सभा के ऊपर एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और उसे पूर्ण अधिकार दे दिया गया गया। इससे पता चलता है कि भारत सरकार की लोकतंत्र के प्रति कोई रुचि नहीं है। यह सारा कार्य या समझौता गैर लोकतांत्रिक था और इसमें पूर्णतया नौकरशाही का शासन था । हमारा यही विरोध था। निस्संदेह हम चोग्याल के पद को समाप्त करने का स्वागत करते हैं। किन्तु यह बात हम दोहरा देना चाहते हैं कि भारत और सिक्किम के सम्बन्धों की बात आसान नहीं है। इस संशोधन से आप सिक्किम को भारत का अंग बनाना चाहते हैं और यह एक गंभीर बात है जिस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

यह सही है कि स्वतंत्रता से पूर्व सिक्किम एक राज्य समझा जाता था और सिक्किम चैम्बर आफ प्रिंसिज का सदस्य था। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने सिक्किम को हड़पने का एक प्रयास किया था किन्तु उस समय पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया। एक प्रसिद्ध पत्रकार, श्री कुलदीप नायर ने लिखा है कि पंडित नेहरू का दृष्टिकोण कुछ और ही था । उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि किसी बड़े देश द्वारा इस छोटे से राज्य को नहीं हड़पना चाहिए। यह एक मूलभूत प्रश्न है। आरम्भ से ही सिक्किम को भारत में मिलाने का प्रयास किया गया।

1950 के समझौते के अनुसार भारत सरकार को रक्षा, विदेशी मामलों और संचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी । यदि अब यह संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो

क्या स्थिति होगी ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । सिक्किम में वर्ष 1917 में एक भूमि अधिनियम पारित हुआ था । किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्थानीय लोगों से भूमि लेने की अनुमति नहीं है । किन्तु इस अधिनियम के पारित होने से वह भूमि अधिनियम स्वयं ही समाप्त हो जायेगा और बड़े-बड़े व्यापारी स्थानीय लोगों से भूमि खरीद लेंगे और इस तरह वे लोग भूमिहीन हो जायेंगे ।

भारत पर बड़े व्यापारियों एकाधिकारियों, पूंजीपतियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों आदि-आदि का प्रभुत्व है इसलिए वे चाहते हैं कि हम उनकी भूमि पर भी अधिकार कर लें। इसीलिए वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि सिक्किम भारत का अंग हो। इस तरह भारत के लोग उनका शोषण करेंगे और फिर उनके मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि भारत उनका मित्र नहीं अपितु शोषक है। उनमें भारत विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जायेंगी ।

संविधान में राज्यपालों को विशेष शक्तियां दी हुई हैं । स तरह की शक्तियां भारत के किसी भी राज्यपाल को उपलब्ध नहीं है । शांति स्थापित करने का कार्य राज्यपाल की मुख्य जिम्मेदारी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्वाचित विधान सभा को कानून और व्यवस्था बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे रूप में राज्यपाल ही दूसरा कार्यकारी अधिकारी होगा ।

सरकार को इस विधेयक के पारित करने से निकलने वाले परिणामों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए । इसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के अन्दर भय और आशंका की भावना उत्पन्न हो जायेगी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। जिस जल्दबाजी में यह विधेयक पेश किया गया है उससे सिद्ध होता है कि भारत सरकार को भी इस बात का भय है कि भविष्य में सिक्किम की जनता भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध करने लगेगी । अतः हमारा दल इस संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है किन्तु हम चोग्याल के पद को समाप्त करने का स्वागत करते हैं और सरकार से हमारा यही आग्रह है कि सिक्किम की जनता को पूरे अधिकार दिए जायें।

**श्री के० हनुमन्तया** (बंगलौर) : मेरे विचार से एशिया के लोगों द्वारा आजादी तथा लोकतंत्र प्राप्त करने सम्बन्धी आन्दोलन का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। सामन्तवाद, साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने के प्रयास लगभग 50 वर्ष पूर्व आरम्भ हो गए थे और इसकी प्राप्ति में काफी समय लग गया । स्वयं हमने भारत में यह तरीका अपनाया और आजादी प्राप्त की। इससे पड़ोसी देशों को भी आजादी प्राप्त करने तथा लोकतंत्रीय ढंग से अपना राज्य चलाने की प्रेरणा मिली। सिक्किम के लोगों के मन में भी इस भावना ने घर किया । भारत सरकार ने उनके विरुद्ध कोई काम नहीं किया है और हमारा यह इरादा भी नहीं है कि उनकी एक इंच भूमि हड़पी जाये । हम तो उनकी इन भावनाओं का स्वागत कर रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद का वातावरण उपलब्ध हो और वे यह महसूस कर सकें कि भारत के साथ रह कर उन्हें यह सब सुविधाएं मिलेंगी । यह कहना सर्वथा अनुचित है कि सरकार ने सिक्किम को विलय करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

पहले हमने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया। यह दर्जा बहुत समय तक चलता रहा। हमने दो दशकों तक प्रतीक्षा की किन्तु अपनी ओर से किसी तरह की पहल नहीं की। चोग्याल जब कठिनाई में पड़ा तो उसने स्वयं भारत सरकार को सिक्किम का प्रशासन सम्भालने, वहां शांति कायम करने के लिए बुलाया। तत्पश्चात् वहां चुनाव हुए और राष्ट्रवादी दलों को पूर्ण बहुमत मिला।

यदि हम इसे विलय करने के इतने ही इच्छुक होते तो सहराज्य का दर्जा दिए जाने की बजाय हम सीधे ही संशोधित (संशोधन) विधेयक पारित कर लेते। चोग्याल ने जब बदलती परिस्थितियों से जानबूझकर आंखें मूंदीं तो सिक्किम के लोगों को चोग्याल के पद को समाप्त करने की दलील देनी पड़ी।

चोग्याल ने बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रति आंखें मूंदते हुए समय की नजाकत को न समझा। यही कारण है कि सिक्किम को चोग्याल का पद समाप्त करने की कार्यवाही करनी पड़ी। सिक्किम में मत गणना हुई जिसके फलस्वरूप यह निर्णय किया गया कि सिक्किम में भी चोग्याल का पद समाप्त कर, सिक्किम को भारत का अंग बनाया जाये। अतः स्पष्ट है कि सिक्किम का भारत के साथ पूर्ण विलय, सिक्किम के लोगों की प्रबल इच्छा का ही परिणाम है और यह कार्य पूर्ण संविधानिक ढंग से धीरे-धीरे हुआ है। हम सिक्किम के लोगों का अपने भारत परिवार में स्वागत करते हैं। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मेरे जिन मित्रों ने इस सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां उठाई हैं उनमें वास्तव में इतना भी बल नहीं है कि उनका खंडन करने के लिए तर्क दिये जायें। इसी प्रकार अभी मैं चीन के रवैये के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसकी पूर्ण प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट होनी है। अभी तक तो चीन की नीति अन्य देशों की तुलना में बहुत अलग-अलग रही है। अब चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर ली है, संभवतः अब विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने पर उसकी नीति में परिवर्तन आ जाये।

भारत में सम्मिलित होने पर सिक्किम के लोगों को समान दर्जा दिया गया है। उनके प्रतिनिधि हमारी संसद में होंगे जहां वह अपने लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। जब सिक्किम को भारत के अन्य राज्यों की तरह ही दर्जा दिया जा रहा है तो निश्चय ही उसके हित भी अन्य राज्यों की तरह ही सुरक्षित रहेंगे।

सिक्किम सम्बन्धी विधेयक बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है तथा मैं उसका स्वागत करता हूं। इस विधेयक की एकमात्र विशेष बात यह है कि इसके अन्तर्गत वहां के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु यह भी सिक्किम विधान सभा द्वारा पारित संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए ही किया गया। इसका उद्देश्य सिक्किम तथा सिक्किम की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास ही है।

यह एक सुनहरा और ऐतिहासिक क्षण है। हम सब को एक मत तथा एक आवाज से सिक्किम के लोगों का स्वागत करना चाहिए जो भारतीय लोकतंत्र का अंग बनने जा रहे हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक घड़ी है जबकि सिक्किम जैसी सुन्दर घाटी के लोग हमारे भारतीय परिवार का अंग बनने जा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि सब कुछ हो जाने के उपरान्त अब चोग्याल के पद का क्या होगा? संभवतः कल को चोग्याल भी एक संसद-सदस्य के रूप में हमारे ही साथ आ बैठे। परन्तु आज चोग्याल के साथ क्या हो रहा है, क्या उन्हें घर में नजरबन्द किया हुआ है या उनके गंगटोक में विचरण करने पर पावंदी है, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हां, इतना जरूर है कि जो कुछ भी किया जा रहा होगा चोग्याल के व्यक्तिगत हित के लिए ही किया जा रहा होगा।

मंत्री महोदय ने सिक्किम की जो ऐतिहासिक पृष्ठभमि प्रस्तुत की है वह तभी से आरम्भ की गई है जबकि सिक्किम को अन्य राज्यों के समान रियासत का दर्जा दिया जाने लगा। वास्तविकता तो यह है कि आरम्भ में एक समय ऐसा था जबकि नेपाल, भूटान तथा सिक्किम के हिमालय की रियासतों का दर्जा दिया जाता था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि सिक्किम को कभी भी पूर्णतया स्वतन्त्र राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। 1817 में पहली बार ब्रिटेन ने एक संधि करके सिक्किम की हदबंदी की थी। मई, 1946 में जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात चल रही थी तो उसे समय भारत के वायसराय ने कहा था कि जो भी रियासतें भारत में हैं उन्हें भारत के साथ संघीय सम्बन्ध स्थापित करने होंगे। सिक्किम को उस समय भी एक संरक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त था तथा इस सम्पूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई तो उस समय ही सिक्किम को अन्य राज्यों की तरह ही भारत का अंग बना लिया जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आया कि उस समय सरदार पटेल इसे क्यों नहीं कर पाये, संभवतः इसका कारण पंडित जवाहरलाल की भावनात्मक संवेदना ही रही है। 1957 में सिक्किम में जब चुनाव हुए तो उस समय भी सिक्किम कांग्रेस ने सिक्किम का भारत के साथ विलय का संकल्प पारित किया था। यह सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यही है कि इससे पूर्व भी अनेक ऐसे अवसर भारत के समक्ष आये जबकि सिक्किम का भारत में विलय किया जा सकता था परन्तु उनका उपयुक्त लाभ नहीं उठाया गया।

हमारे संविधान में गत वर्ष संशोधन करके वर्ष 1974 में सिक्किम को सह-राज्य का दर्जा दिया गया परन्तु चोग्याल को राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष ही बना रहने दिया। परन्तु चोग्याल वहां के लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करने में असफल रहा। उसने अपना पद बनाये रखने तथा लोकप्रिय जनमत को दबाने का सदा प्रयास किया जिससे कि सिक्किम की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप दिया जा सके। इस उद्देश्य से उसने अपने भाई, पत्नी तथा अन्य सम्बन्धियों को अनेक अन्य देशों में भेजा। यही कारण है कि ब्रिटेन के समाचार पत्रों में इससे सम्बन्ध समाचार देखने को मिल रहे हैं।

आज स्थिति में परिवर्तन आ गया है। सिक्किम को भारतीय लोकतंत्र का अंग बनाने के बाद अब हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जायेगा क्योंकि सिक्किम में लोकतंत्र की कोई परिपाटी नहीं है। वहां अच्छी लोकतांत्रिक परम्पराएं स्थापति करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। मैं अपने मित्रों के साथ सहमत हूं कि हमें यह सम्पूर्ण कार्य शीघ्र करना चाहिए ताकि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें इस स्थिति का कोई अनुचित लाभ न उठा पायें।

सिक्किम की सीमा की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व भारत का रहा है। अब स्थिति यह है कि जब वहां चोग्याल जैसा तानाशाह ही नहीं है तो हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। वैसे भी युद्ध की दृष्टि से 'नाथूला पास' आदि स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतः भारत को इस मामले में और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। आज स्थिति यह है कि भारत सरकार तथा चोग्याल दोनों को ही सिक्किम की जनता की आकांक्षाओं के समक्ष झुकना पड़ा है।

अन्त में मैं यहां कहना चाहता हूं कि यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। केवल कागजों पर कुछ परिवर्तन करके, उस राज्य के लिए लोकतंत्र की गारंटी नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें वास्तविक कार्य करना होगा। चुनावों आदि के सम्बन्ध में लोगों के मन में जो अनुचित तरीकों सम्बन्धी भ्रामक धारणायें हैं उन्हें हमें दूर करना चाहिए।

सिक्किम कांग्रेस को विधान सभा में भारी बहुमत प्राप्त है। उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए संकल्प भी पारित किया है। भारत सरकार ने भी इस मामले में अधिक विलम्ब करना उचित नहीं समझा। श्री बी० बी० लाल को वहां कार्यकारी अधिकारी के रूप में भेजना संगत नहीं है। मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्री उसके अधीन हैं और वे उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। उन्हें विधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया है। श्री बी० बी० लाल का गत रिकार्ड ठीक नहीं रहा। सिक्किम को ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है जो दोनों देशों के बीच भावनात्मक सम्बन्धों को दृढ़ कर सके। हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना है। सरकार ने श्री बी० बी० लाल को हटाकर अच्छा ही किया है।

उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि "संविधान की प्रथम अनुसूची में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।" मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्ण राज्य के दर्जे का राज्यपाल को दिए जाने वाले अधिकारों से क्या सम्बन्ध है? श्री हनुमन्तैया ने यह तर्क दिया है कि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी अधिकार दिए गए हैं लेकिन जब तक केन्द्र उसे न कहे तब तक वह उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता और यह कोई नई बात नहीं है। यदि यह नई बात नहीं तो उसे लिखित रूप में देने की क्या आवश्यकता है।

एक ओर तो सरकार सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रही है और दूसरी ओर राज्यपाल को अधिकार दिए जा रहे हैं। इससे वह शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। यदि सरकार सिक्किम के लोगों को बराबर का दर्जा नहीं देना चाहती तो वह स्पष्ट क्यों नहीं कह देती? सरकार अकारण ही सिक्किम के लोगों के मन में संशय उत्पन्न क्यों कर रही है? केवल कागजों पर समेकन से कुछ नहीं होता; हमें भावनात्मक समेकन करना होगा। हमारी गतिविधियों का वहां के निवासियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी।

सरकार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। सरकार इस विषय पर पुनः विचार करे और किसी ऐसे अधिकारी को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जो वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति रखे तथा वहां की संस्कृति को समझे। हमें सिक्किम की अन्य समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

श्री समर मुखर्जी ने भूमि अधिनियम का हवाला दिया है। अनुच्छेद 371 च के उप-खंड (ट) में यह व्यवस्था की गयी है कि सिक्किम के भारत में मिलने से पूर्व वहां के सभी नियम तब तक वैध रहेंगे जब तक वे विधान सभा द्वारा संशोधित न किए जाएं। मंत्री महोदय यह स्पष्टीकरण दें कि यह अधिनियम पूर्ण रूप में जारी रहेगा अथवा नहीं।

भूमि और रोजगार के बारे में सिक्किम के लोगों के कुछ संशय अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। यह भी आरोप लगाया है कि सफाई कार्यों के लिए गगंटोक से बाहर के व्यक्तियों को बुलाया गया। मंत्री महोदय सही जानकारी दें। सिक्किम कांग्रेस को प्रतिपक्ष का मुंह बंद रखने के प्रयास से बचना चाहिए क्योंकि इस दल को 32 में से 31 सीटें प्राप्त हैं। यदि उन्होंने प्रतिपक्ष को दबाने का प्रयत्न किया तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। हमें सरकार की स्थिरता को भी सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि यह एक नाजुक एवं सामरिक महत्व का क्षेत्र है। यह स्थिरता वहां की जनता के समर्थन पर आधारित होनी चाहिए। हम वहां ऐसी सरकार नहीं चाहते जो बहुमत होने के बावजूद भी वहां काम न कर सके। उन्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो सके। मुझे आशा है कि सिक्किम कांग्रेस के नेता, जिनके कंधे पर सरकार चलाने का बोझ है, इसी भावना से काम करेंगे ।

मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सिक्किम की जनता का स्वागत करता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम उनके प्रति अपने सद्व्यवहार में कोई कमी न छोड़ेंगे ताकि प्रजातंत्र वास्तविक रूप से आगे बढ़ सकें ।

**श्री बी० आर० भगत** (शाहबाद) : यह एक ऐतिहासिक घटना है।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]**

सिक्किम की जनता द्वारा इस साहसिक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करने के लिए मैं अपने सहयोगियों की ओर से उनको बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक घटना इस लिए भी है क्योंकि तेरहवीं सदी से सिक्किम स्वतंत्र देश नहीं रहा। सिक्किम तिब्बत पर आश्रित रहा और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । वर्ष 1947 में अंग्रेजों के साथ करार के अनुरूप यह भारत का संरक्षित राज्य बन गया। तभी से सिक्किम की रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व हो गया।

यह एक नाजुक क्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। वहां की राजनीतिक ताकतों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम की आन्तरिक समस्याओं की अपेक्षा वहां की रक्षा एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्या को हल करना भारत सरकार के लिए अधिक सरल होगा। दूसरे, सरकार की यह नीति सही ही है कि वह वहां जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती । धीरे-धीरे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाने, जनमत प्राप्त करने और विभिन्न दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया सही है। यही कारण है कि सरकार ने संयम की नीति अपनाई है।

प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के विकास में चोग्याल ने रोड़े अटकाए । इसी कारण जनमत प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी । सिक्किम के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि वहाँ पूर्णरूपेण प्रजातन्त्र स्थापित करना है तो चोग्याल के पद को समाप्त करना हो होगा । इसीलिये इस संकल्प में चोग्याल के पद को

समाप्त करने तथा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने की बात कही गई है । यह भी पूछा गया है कि इन दोनों मामलों को एक साथ क्यों लिया गया । वस्तुत: ये मामले परस्पर सम्बन्धित है और इन दोनों विषयों पर जनमत प्राप्त करना होगा । चोग्याल का पद सामन्तवाद का प्रतीक है । चोग्याल का पद समाप्त करके या तो अलग पद बनाना होगा अथवा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाना होगा हमें इसका अनुमोदन करना है । चोग्याल के पद को समाप्त करने एवं सिक्किम को भारत का अंग बनाने के पक्ष में सदन एकमत है ।

राज्यपाल को विशेष अधिकार देने पर भी आपत्ति की गई है । सत्य तो यह, है कि ऐसे कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं । वहां सब प्रकार की ताकतें काम कर रही हैं । वहां के लोगों को सिक्किम में बाहर से आने वाले लोगों पर संदेह है । हमें इस बारे में सावधान रहना होगा । हमें प्रजातंत्र को और अधिक दृढ़ बनाना है यह एक नाजुक क्षेत्र है और किसी भी समय विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरे विचार में सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी होगी। ऐसी स्थिति हमेशा वहां नहीं रहेगी और अन्तत: निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के माध्यम से अधिकार नागरिकों के पास ही रहेंगे । यह सच नहीं है कि हम लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं अथवा प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर रहे हैं, शुरू में सिक्किम के लोगों के हितों की रक्षा करना एवं कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक था ।

सिक्किम को भारत का 22वां सम्पूर्ण राज्य बनाते समय हमें विशेष उपाय करने होंगे । हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत का पूर्ण राज्य बनने के बाद पिछड़ा राज्य सिक्किम आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रगति करे । प्रजातंत्र को एकाकी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता । लोगों की समस्याओं को दूर किये बिना उन्हें अधिकार नहीं दिये जा सकते । सौभाग्यवश सिक्किम के लोगों का जीवन स्तर भारतीयों की तुलना से दुगना है । हमें न केवल इस जीवन-स्तर को बनाये रखना है बल्कि सिक्किम के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को विकसित करना भी है । प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने का यही एक मार्ग है । भारत का अंग बनने के बाद यहां के लोग न केवल सिक्किम एवं सिक्किम वासियों का स्वागत करेंगे बल्कि राजनीतिक भावनात्मक, बौद्धिक एवं आर्थिक संसाधनों से सिक्किम का स्वागत भी करेंगे ।

**Shri Jagannathrao Joshi** (Shajapur) : I welcome the decision taken by the Sikkimese people which seeks to make Sikkim a Constituent Unit of India. In view of the forces of secession in the country after the lapse of 27 years of independence their decision to join the Indian Union deserves all appreciations. But there has been one inherent weakness of Government—that they have no clear picture before them about the composition of States after the exit of the British from this country. Sikkim and Bhutan were declared protectorates. It has no relevance in the present situation.

Sikkim was accorded the status of an associate State. Today, it is going to be converted into a fullfledged State on political considerations. It clearly indicates that Government of India have no clear picture about the country. We would like to know the nature of our proposed relations with Sikkim. What are the reasons behind giving special powers to the Governor ? If the Government ever tried to interfere in their administration, it would lead to dangerous consequences. The special powers given to the Governor of Sikkim should either be withdrawn or directions be issued to the Governor not to exercise those special powers. However, I welcome the decision taken by the Sikkimese people to merge the territory of Sikkim in the Indian Union as a constituent State and wish that the people of Sikkim march towards progress and prosperity.

**श्री जगन्नाथ राव** (छतरपुर) : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने की व्यवस्था की गई है यह संकल्प सिक्किम की राजनीतिक संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने एवं भारत के साथ मिलने के लिये वहां के लोगों द्वारा किये गये प्रयत्नों की परकाष्ठा का प्रतीक है। श्री समर मुखर्जी ने आज सुबह यह बताया कि 1947 में सिक्किम ने भारत के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की थी लेकिन श्री नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह चाहते थे कि सिक्किम संरक्षित राज्य बना रहे। इससे स्पष्ट है कि भारत सिक्किम को अपने साथ मिलाने के लिये उत्सुक नहीं था। 1947 से वहां के लोग राजनीतिक संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। चोग्याल ने इस कार्य में कभी सहयोग नहीं दिया। वर्ष 1973 में वहां की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्वयं चोग्याल ने भारत सरकार को सिक्किम का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया और भारत सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार किया। गत 27 वर्षों में किसी पड़ौसी राज्य को हड़पने की भारत की मंशा नहीं रही।

वर्ष 1974 में सिक्किम में आम चुनाव हुए और चोग्याल को वहां का संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया। हमने सिक्किम को सहराज्य बनाना एवं संसद में उनको प्रतिनिधित्व देना स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद भी हमने सिक्किम को भारत में नहीं मिलाया। लेकिन वर्ष 1975 में स्थिति ने नया मोड़ लिया और चोग्याल का रवैया जन विरोधी हो गया। सिक्किम की विधान सभा ने चोग्याल के पद को समाप्त करने एवं भारत का अंग बनने के लिये एक संकल्प पारित किया इन्ही परिस्थितियों में हमने सिक्किम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। संसद का मत जानने के लिये विधेयक संसद में पेश किया गया।

सिक्किम को आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाना भारत का कर्तव्य है ताकि भारत में मिलना उनके लिये वरदान सिद्ध हो सके।

प्रतिपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल को विशेष अधिकार दिये गए हैं। भारत में कई राज्यपालों को कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिये विशेष अधिकार दिये जाते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 371 च जोड़ा जा रहा है। सिक्किम में भूमि सम्बन्धी नियमों को ज्यों का त्यों रहने दिया जायेगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि अगले सत्र में कानूनों को अपनाने सम्बन्धी विधेयक पेश किया जाये ताकि यह देखा जा सके कि क्या यह कानून हमारे संविधान के अनुकूल है और भविष्य में कौन कौन से कानून लागू किये जायें ?

यह भी देखा जाये कि निकट भविष्य में कौन कौन से कानून सिक्किम में लागू किये जायें ताकि वहां के लोग यह समझ सकें कि वे भारत के अभिन्न अंग हैं।

श्री समर मुखर्जी ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। जब हम किसी पड़ौसी राज्य का अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सिक्किम पर कब्जा नहीं कर रहे। वस्तुतः हम जो कार्य अच्छे इरादे से करते हैं विरोधी पक्ष उसका गलत अर्थ लगाते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे।

यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि वह राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बने।

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** (केन्द्रपाड़ा) इस विधेयक को इस आधार पर न्योचित ठहराना ठीक नहीं है कि सिक्किम चेम्बर आफ प्रिंसेस का सदस्य था। जहां तक मुझे याद है, भूटान भी इस चेम्बर का सदस्य था किन्तु वह आज एक स्वतंत्र देश है।

सिक्किम का तिब्बत की छम्ब घाटी के समीप होने तथा नाथूला दर्रे से उसका सुगम सम्पर्क होने के कारण यह भारत की रक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है । अतः सिक्किम की सीमा के निकट भारत की सुरक्षा रेखा को सुदृढ़ बनाने तथा इसके विदेशी सम्बन्ध भारत सरकार के हाथों में सुरक्षित रखे जाने का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस विधेयक में इन उद्देश्यों का उल्लेख नहीं है ।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण से पता चला है कि इसमें संकल्प को संवैधानिक मान्यता देने की व्यवस्था की गई है जो सिक्किम विधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका है और इसका उद्देश्य चोग्याल के पद को समाप्त करना है तथा सिक्किम को भारत का संवैधानिक अंग बनाना है । यद्यपि ये दोनों मामले परस्पर रूप में सम्बन्धित नहीं हैं ।

विधेयक के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) में गंगटोक में कार्य कर रहे उच्च न्यायालय की बैधता को बनाये रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन वे ही मुद्दे जो इसमें सम्मिलित हैं गंगटोक उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन हैं अतः इस विधेयक को जल्दबाजी में पास करना भारत सरकार के लिये सम्मानजनक नहीं है।

चोग्याल के पद को समाप्त करने के बारे में बहुत जोर दिया गया है लेकिन अच्छा होता यदि सरकार सदन के समक्ष एक श्वेत पत्र रखती जिसमें चोग्याल के विरुद्ध लगाये गय विशिष्ट आरोपों का ब्यौरा होता क्योंकि सरकार का रवैया इस सम्बन्ध में दृढ़ प्रतीत नहीं होता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इस विधेयक में चोग्याल के पद को समाप्त करने के बारे में कुछ कहा गया है ?

**श्री सुरेन्द्र महन्ती** : विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है कि चोग्याल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिये लेकिन विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । यह समझ में नहीं आता कि सरकार का विकल्प स्पष्ट कैसे है । ऐसी स्थिति में विधेयक में कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिये।

सिक्किम को भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक एवं संवैधानिक विचारधारा में शामिल करने का प्रयत्न एक संकल्प के माध्यम से किया जा रहा है जो सिक्किम विधान सभा द्वारा पास किया जा चुका है । कुछ लोगों द्वारा एक मत से स्वीकृत कर दिया गया है ।

मैं इस सम्बन्ध में सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि यह सिक्किम विधान सभा सिक्किम को भारत से प्रथक करने के बारे में संकल्प पास करे और जनता उसका समर्थन करे तो ऐसी स्थति में सरकार क्या करेगी ? फिर भी यह जिस असंगत एवं भद्दे ढंग से यह विधेयक पास किया गया है और मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह भावना पैदा हो जाएगी कि भारत जैसा बड़ा देश सिक्किम जैसे छोटे राज्य को हड़पने का प्रयास कर रहा है ।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** (गौहाटी) : चोग्याल के पद को समाप्त करने के लिए लम्बे संघर्ष तथा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के सम्बन्ध में सिक्किम के लोगों को मिली सफलता के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में पहल करने के लिए उसे श्रेय नहीं दिया जा सकता है।

सरकार को सिक्किम के लोगों की लोकप्रिय तथा प्रबल इच्छा के सामने झुकना पड़ा। वस्तुतः सिक्किम भी राजनीतिक घटनाओं के मामले में भारत सरकार ने सन्धि के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई राजनीतिक निर्णय लेने के बजाये स्थिति को उसके वास्तविक रूप में ही माना है । मेरे विचार में भारत ने सिक्किम की संवेदनाशील स्थिति को देखते हुए यह ठीक ही किया है क्योंकि सरकार के किसी भी राजनीतिक निर्णय का वहां की स्थानीय जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ता । अतः वहां की जनता की इच्छा को देख कर भारत ने यह अच्छा कदम उठाया है। जो मेरे विचार में श्रेष्ठ कदम है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिक्किम के पुराने इतिहास पर दृष्टि डालकर यही अनुभव किया गया कि चोग्याल के पद को समाप्त किया जाना उचित निर्णय है। सिक्किम एक रजवाड़ा था और बाद में जब भारत सरकार के साथ भारत के रजवाड़ों के नरेश वार्ता करने दिल्ली आये थे तो सिक्किम के नरेश महाराज-कुमार भी यहां आये थे। वार्ता के पश्चात् विदेश मंत्रालय द्वारा एक प्रैस विज्ञाप्ति जारी की गई थी कि सिक्किम भारत का रक्षित राज्य रहेगा। भारत सरकार इसके वैदेशिक सम्बन्धों रक्षा तथा संचार व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहेगी । वहां के राजनीति के दलों के नेताओं ने सिक्किम के महाराजकुमार से भारत के साथ पूर्ण विलय की मांग की थी । यह सच है कि सिक्किम की भौगोलिक स्थितियों तथा अन्य कारणों से भी इसको विशेष दर्जा देने का निर्णय किया गया था। इस बात में कोई शंका नहीं है कि भारत सिक्किम के विदेशी रक्षाकार्यों तथा आन्तरिक प्रशासन पर नियंत्रण करेगा चोग्याल ने विभिन्न गुटों के मत भेदों का लाभ उठाकर अपनी सत्ता बनाये रखने का प्रयत्न किया। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। त्रिपक्षीय समझौता हुआ। फिर संविधान (36वां संशोधन) विधेयक में भारत सरकार ने चोग्याल के पद को सरंक्षण दिया क्योंकि यह अपेक्षा की गई थी चोग्याल सिक्किम की जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं को पूरा करेगा लेकिन चोग्याल ने स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया और बाधाएं उपस्थित कीं। अतः चोग्याल पद को समाप्त करने के सिवाये सिक्किम सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं रहा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती ने प्रश्न उठाया कि विधेयक में चोग्याल के पद को समाप्त करने के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां की लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार ने ही चोग्याल के पद को समाप्त किया है।

मेरे विचार में विधेयक को पूर्णतया विधि एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। सिक्किम के सम्बन्ध में हमने उपबन्ध किया है कि संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम और संवैधानिक उपबन्धों को वहां लागू किया जायेगा। 371 च, उपखण्ड (ढ) तथा (ण) में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। कि जब हम संसद में अधिनियम एवं संवैधानिक उपबन्धों को लागू करेंगे तो परम्परागत कानूनों तथा परम्पराओं में मतभेद पैदा होने की सम्भावनाएं हैं। अतः इन मामलों में राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार होना चाहिए, जैसा कि उन्हें संविधान जारी करते समय प्राप्त था । किसी राज्य पर लागू होने वाले संसद के अधिनियमों के बारे में राष्ट्रपति स्वविवेक से अपना निर्देश दे सकता है । लेकिन भारत सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि क्या सिक्किम के मामले में ऐसी व्यवस्था वांछनीय है। भारत सरकार को अब भी इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

राज्यपाल को दिए गए कुछ विशेष अधिकारों की आलोचना की गई है। लेकिन यह संगत नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों तथा संवेदनशील भागों में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गये हैं, जैसा कि आसाम, नागालैंड, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में किया गया है। आज भी अनुच्छेद 371क, और 371 ख के अन्तर्गत

अन्य राज्यपालों की तुलना में इस क्षेत्र के राज्यपाल को अधिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसे राज्य में जहां कई गुट होते हैं और जहां कानून लागू करने में क्रांति होने की सम्भावना होती हैं वहां राज्यपाल को कुछ अधिक अधिकार दिए जाने चाहिएं। लेकिन यह अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि स्थिति सुधरने के बाद इसको हटा लिया जायेगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिक्किम में तेजी से आर्थिक विकास हों सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास तेजी से होने से ही सिक्किम भारत के साथ यर्थाथ भावनात्मक एकता स्थापित कर सकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : मैं सिक्किम की जनता को चोग्याल के विशेष पद को समाप्त करने तथा भारत का अंग बनने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। वहां हुए जमतन संग्रह और विधान सभा में पास किए गए संकल्प से वहां की जनता की भानावओं का पता चलता है। इसके साथ हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम सिक्किम की जनता के विकास में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। दूसरे हमें अपने व्यवहार से यह सिद्ध करना चाहिए कि हम उनको विश्वास का जो उन्होंने इसमें व्यक्त किया है आदर करें।

इस संविधान संशोधन विधेयक तथा इसे पहले वाले विधेयक में कुछ विशेषताएं हैं। पिछली बार विधेयक पेश किए जाने से दो दिन पूर्व उसकी प्रतियां हमें उपलब्ध करदी गई थीं, लेकिन अब हमें इस विधेयक की प्रतियां नहीं दी गई हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि इसमें शीघ्रता वरतनी है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि किसी को आलोचना करने का अवसर न मिले।

यह संविधान विधेयक, पहले विधेयक की भांति ऐतिहासिक महत्व का है। मैं महसूस करता हूं कि सहराज्य की नयी सकंल्पना है जो संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आती लेकिन अब कहा गया है कि अब संघीय व्यवस्था की संकल्पना को आत्मसात कर लिया गया है और सिक्किम अब हमारे देश का अंग बन गया है।

इस विधेयक के अनुसार सिक्किम देश का 22वां राज्य बन जायेगा। इस बात की चर्चा की गयी है कि सभी सम्बन्धित औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं। वहां की विधान सभा ने अपने संकल्प द्वारा अपनी अकांक्षा व्यक्त कर दी है। मत संग्रह से भी पता चल गया है कि जनता क्या चाहती है। आशा है कि विधि मंत्रालय ने सारे मामले का परीक्षण कर लिया होगा। विलय पत्र का अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिये ताकि बाद में इस पर कोई आपत्ति न की जा सके।

सिक्किम सरकार अधिनियम 1974 के खंड 3 के उपबन्धों को देखते हुये, इस अधिनियम की स्थिति क्या होगी। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या सिक्किम सरकार अधिनियम तो निश्चित तिथि से लागू होगा। मुख्य प्रशासक विधान सभा अध्यक्ष के सम्बन्ध में सिक्किम सरकार अधिनियम 1974 में व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत चोग्याल के लिये भी स्थान है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह बात पहले ही कह चुके हैं।

**श्री सेझियान** : मैं जानना चाहता हूं कि सिक्किम सरकार अधिनियम तथा अनेक अन्य अधिनियमों के बारे में क्या स्थिति होगी।

जम्मू तथा कश्मीर के लोगों के लिये काफी सुरक्षण प्रदान किया गया है। भारत के किसी भी भाग का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। सिक्किम के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

**श्री यशवन्तराव चह्वाण :** आप तुलना में न जाइये। सिक्किम का अपना ही स्थान है।

**श्री सेज़ियान :** मैं तुलना नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिये व्यवस्था है। लेकिन सिक्किम अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम वहां के लोगों का सुरक्षण कर सकें।

**श्री यशवंतराव चह्वाण :** हमें ऐसा करना होगा।

**श्री सेज़ियान :** यह व्यवस्था की गयी है कि सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा। उसे राज्य में शांति बनाये रखनी होगी। संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सभी सरकारों को अपने आदेश भेज सकती है। इसलिये विशेष उपबन्धों के व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? इस पर मुख्य आपत्ति तो राज्यपाल को शक्तियां देने पर है। नागालैंड के मामले में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है, विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए और सिक्किम में राज्यपाल को शान्ति रखने के लिये विशेष उत्तरदायित्व दिया जायेगा। कानूनी भाषा में शान्ति का बिलकुल और ही अर्थ होता है। विधि और व्यवस्था की तो परिभाषा की जा सकती है परन्तु शान्ति का बड़ा व्यापक अर्थ निकाला जा सकता है। इसके आधार पर तो उसे कानून बनाने की शक्ति दी जा सकती है।

अधिनियम के अनुसार मुख्य प्रशासक को विधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर यह भी व्यवस्था की गयी है कि मुख्य प्रशासक से परामर्श करके ही मंत्रियों की नियुक्ति की जायेगी। यह तो हमारी भावना के ही विरुद्ध है। जब हम सिक्किम को भारत का अंश बना रहे हैं तो हमें उन्हें न केवल संवैधानिक तौर पर ही प्रयुक्त भावात्मक तौर पर भारतीय संघ से शामिल करना चाहिये।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया :** (नन्दयाल) : इस संविधान संशोधन विधेयक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जिससे कि सिक्किम की जनता की इच्छा से ही यहां प्रस्तुत किया गया था। तथाकथित बड़ी-बड़ी शक्तियां हमारे इस कदम का विरोध कर रही हैं।

विदेश मंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुये उन स्थितियों की चर्चा की जिनके अन्तर्गत सिक्किम के लोगों ने भारत में मिलने का निर्णय लिया। श्री गोस्वामी भारत सरकार की आलोचना ही करते रहे हैं...

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** नहीं! नहीं!

**श्री पी० वेंकटासुब्बया :** उन्होंने कहा है कि भारत सरकार सिक्किम के लोगों की आकांक्षायें पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।

**विपिनपाल दास :** मेरे विचार में श्री गोस्वामी ने सरकार की प्रशंसा की है।

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** हां।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया :** यह भी कहा गया है कि अभी चोग्याल के पद को हटाया नहीं गया है। जब सिक्किम भारत का एक अंग ही बन गया, और वहां राज्यपाल की नियुक्ति अन्य राज्यों की तरह हो

गई, तो चोग्याल का पद कहां रहा। सिक्किम की विधान सभा और सिक्किम के लोगों ने ही सिक्किम के पद को समाप्त कर दिया है।

यह कहना गलत है कि हमारा देश विस्तारवादी है। हमने हमेशा अपने पड़ोसियों की आकांक्षाओं और भावनाओं का ध्यान रखा है। हमारे विचार सामान्यवादी नहीं कि हम राज्य को ही हड़प कर लें।

सिक्किम में विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। राज्यपाल को साम्प्रदायिक सौहार्द और भाषायी एकता लाने के लिए विशेष अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार होगा।

**श्री पी० जी० मावलंकर** (अहमदाबाद) : गत वर्ष भी सरकार ने सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाने सम्बन्धी विधेयक लाया था। अब सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने सम्बन्धी विधेयक लाया गया है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हमें सिक्किम के बारे में जो निर्णय लेना है, शीघ्र लेना चाहिये क्योंकि देर पड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं।

चोग्याल अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हित साधने का एक शस्त्र रहा है अतः इस पद को जितनी जल्दी समाप्त किया जाये, उतना ही अच्छा है। हमें इस बात का पता लगना चाहिये कि इस विधेयक के पास होने के बाद चोग्याल का क्या बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सिक्किम में 4 दिनों के अन्दर जो जनमत संग्रह हुए हैं, क्या वह ठीक तथा निष्पक्ष ढंग से कराये गये ?

**श्री यशवंतराव चह्वाण** : यह जहां तक संभव हो सका ठीक ढंग से हुआ।

**श्री पी० जी० मावलंकर** : हमें सिक्किम के लोगों की प्रजातंत्रीय आकांक्षाओं को समझना चाहिये। कहा गया है कि सिक्किम अन्य 21 राज्यों की तरह पूर्ण राज्य बनेगा। क्या हम इसे केन्द्र शासित राज्य नहीं बना सकते ? मैं इस पक्ष में हूं। हमें वहां प्रजातंत्रीय प्रणाली लाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये।

सरदार पटेल सिक्किम को भारतीय संघ का रियास्ती राज्य रखना चाहते थे लेकिन पं० नेहरू इस पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनके विचार में ऐसा करने से चीन के साथ सम्बन्ध बिगड़ने का भय था। लेकिन बाद में वही हुआ जिस बात का भय था।

1962 के युद्ध के बाद ही इन हिमालय के राज्यों की ओर भारत सरकार के रवैये में परिवर्तन आया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के पास होने के बाद इससे पहले की सभी संधियां भंग व समाप्त समझी जायेंगी।

कहा गया है कि सिक्किम के राज्यपाल की शक्ति के बारे में विशेष जिम्मेवारी होगी। मुझे भय है कि राज्यपाल कहीं ऐसे कार्य न करें जो वहां के निर्वाचित लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध हों अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि राज्यपाल इन अत्यधिक शक्तियों का उपयोग जन आकांक्षाओं के विरुद्ध न करें। मुझे आशा है कि काले बादल हट जायेंगे और सिक्किम के लोग संविधान के अन्तर्गत अपने सभी अधिकारों का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे।

**Shri R. S. Pandey** (Rajnandgaon) : I support the Bill. Chogyal of Sikkim failed to appreciate the sentiments and democratic aspirations of his subjects. After all why should not Sikkim be a part and parcel of India. While making Sikkim an integral part of India, we should not care for what the world or China says.

**श्री समर मुखर्जी** : आपको कश्मीर और सिक्किम के बारे में चीन तथा हमारे देश के दृष्टिकोणों के अन्तर का पता होना चाहिये।

**Shri R.S. Pandey** : In case people of Sikkim want to join the mainstream of our nation, why should we not welcome them warmly. While doing so we should not care for the international reaction. After all we wish all good health and happiness to Chogyal. He is a free citizen. Many adverse things have appeared in the American Press about the welfare of Chogyal. We should contradict all such things.

**श्री जी० विश्वनाथन** (वान्डीवाश) : इस संविधान (संशोधन) विधेयक द्वारा सिक्किम में नामग्याल वंश के 334 वर्ष पुराने साम्राज्य का अन्त हो रहा है। सिक्किम की जनता का भारत के बड़े परिवार में स्वागत है। यदि हम सिक्किम के राजनीतिक इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि सिक्किम कांग्रेस पिछले दो दशकों से सिक्किम का भारत में विलय होने की मांग कर रही है। परन्तु चोग्याल इसमें अड़चनें लगा रहे थे। परन्तु वहां पर हाल के चुनावों में सिक्किम कांग्रेस को 36 से 35 स्थान प्राप्त हुए जिससे यह परिवर्तन हुआ।

चोग्याल स्वयं इस सम्बन्ध में जनमत कराना चाहते थे। 3 मार्च, 1975 को उन्होंने स्वयं कहा था कि सिक्किम की स्थिति केवल वहां की जनता के जनमत संग्रह के आधार पर ही बदली जा सकती है। जनमत संग्रह के बाद अब उन्हें जनता के निर्णय को मान लेना चाहिये। इस विधेयक के पास होने से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जायेगा। हमें इन लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। सिक्किम में किसी प्रकार का भूमि सुधार नहीं हुआ है। वहां कुछ भठा के पास हजारों एकड़ भूमि है। उस पर सरकार को अधिकार कर उसे भूमिहीन लोगों को बांटा जाना चाहिये। इसके लिए स्थायी नियम बनाये जायें।

भूतिया और लेप्चा वहां पर अल्प संख्या में हैं। उनकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिये। इस विधेयक के पास होने से हमें आशा है कि भारत सरकार इन सब बातों पर सिक्किम सरकार से बात करेगी तथा उनका आर्थिक विकास शीघ्र करेगी। बहुत से स्थानों पर कर वसूल किया जाता है परन्तु उसे सरकार के यहां जमा नहीं किया जाता। कुछ व्यक्ति उसे हड़प जाते हैं। इस प्रक्रिया को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये।

सिक्किम के लोगों ने जोरदार राजनीतिक निर्णय लिया है और वे महसूस करते हैं कि भारत सरकार उनके आर्थिक विकास पर पूरा ध्यान देगी। मैं सिक्किम के लोगों को धन्यवाद देता हूं।

**श्री हरि किशोर सिंह** (पुपरी) : भारतीय संघ में सिक्किम का तथा वहां के लोगों का स्वागत है। यह प्रसन्नता की बात है कि अन्ततः भारत सरकार ने सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने का निर्णय लिया है।

भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप लगाया जा सकता है, परन्तु यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो फिर यह आरोप उस पर अन्य भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों को मिलाये जाने पर भी बहुत पहले लगाया जा सकता था। यदि उन राज्यों का मिलाना उनकी जनता की इच्छा की पूर्ति है तो सिक्किम का विलय भी उसकी जनता की इच्छाओं को पूरा करना है।

चोग्याल के पद का आज की परिस्थितियों में कोई महत्व नहीं रहा है। इसे विधान सभा के संकल्प से समाप्त कर दिया गया है। यह अच्छा ही हुआ है।

नेपाल में तथा भारत के अन्य भागों में कुछ लोग काफी सक्रिय हैं जो चोग्याल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यह चिन्ता का विषय है। भारत सरकार को नेपाल को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस प्रकार की बातों को सहन नहीं किया जा सकता।

**श्री त्रिदिव चौधरी** (बरहामपुर) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं यदि चोग्याल के पद की समाप्ति और सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय होने, वहां पर लोकप्रिय लोकतंत्र की स्थापना होती है। परन्तु दुर्भाग्यवश विधेयक को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उससे लोकप्रिय लोकतंत्र की स्थापना की बड़ी कम आशा है।

सिक्किम में वहां की मूल जनता अर्थात् लेप्चा और भूतिया लोग अल्प संख्या में हैं और नेपालियों का वहां पर बहुमत है और 1974 में सिक्किम सरकार अधिनियम के पास होने पर समानता के फार्मूले से वहां नई विधान सभा चुनी गई थी। अब सरकार सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रही है। अब उस समानता के फार्मले पर चुनाव कराने का क्या होगा? अब इस विधेयक के पास होने पर विधान सभा तो चालू रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि समानता के आधार पर चुनी गई विधान सभा चलती रहेगी।

सिक्किम कांग्रेस के महासचिव और सिक्किम युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से इस प्रणाली के समाप्त किये जाने की मांग की है। इसका अर्थ होगा कि नेपाली लोग नागरिक अधिकारों के लिए शोर मचाना शुरू कर देंगे। उन्होंने पहल ही विरोध प्रकट किया है। जिस जल्दी में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उससे लड़ाई झगड़े ही बढ़ेंगे।

मुझे इस बात का पता नहीं कि क्या असेम्बली में वर्तमान संविधान का उल्लेख किया गया है? उस असेम्बली में भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित और चोग्याल द्वारा स्वीकृत मुख्य कार्यकारी असेम्बली का स्पीकर है। मुख्य कार्यकारी की अब स्थिति क्या होगी? वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सिक्किम सरकार अथवा सिक्किम मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया निर्णय मुख्य कार्यकारी के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् चोग्याल को सूचित किया जायेगा। अब चोग्याल नहीं रहा। क्या मुख्य कार्यकारी और राज्यपाल के बीच यह व्यवस्था चलती रहेगी? मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्पष्ट करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर देते समय मंत्री महोदय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के साथ-साथ संवैधानिक मामलों पर भी प्रकाश डालें। सबसे पहले तो उप-खण्ड (ट) है जिसमें कहा गया है कि सिक्किम के वर्तमान कानून वैसे ही चालू रहेंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि चोग्याल का पद और अधिकार भी बने रहेंगे और सिक्किम सरकार अधिनियम लागू रहेगा।

विधेयक के उप-खण्ड (झ) में सिक्किम उच्च न्यायालय के बने रहने की बात कही गई है। ऐसा समाचार मिला है कि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सिक्किम विधान सभा पर इस सदन के लिए सदस्य चुनने और चोग्याल के सम्बन्ध में चर्चा करने पर रोक लगा दी है। इसकी संवैधानिक व्याख्या क्या होगी?

फिर उपखण्ड (ङ) में कहा गया है कि भारत सरकार और सिक्किम सरकार के बीच हुए करार किसी भी न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय समेत, क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। अब भारत सरकार और चोग्याल के बीच हुए समझौते में स्पष्ट लिखा है कि चोग्याल के कार्यकलापों पर चर्चा नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश अवश्य डालें।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** ऐसा प्रतीत होता है कि चोग्याल बने रहेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में वह बने रहेंगे।

**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने और सिक्किम की जनता का भारतीय लोकतंत्र में मिलने का हृदय से स्वागत करने पर सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इस समय हमारे सामने सामान्य स्थिति नहीं है। सिक्किम में बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय ने उपखण्ड (ट) में किये गये उपबन्धों का जिक्र किया है। यह सभी प्रचलित कानूनों पर लागू होता है परन्तु राजनीतिक तथ्य यह है कि सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 बेकार हो जायेगा। यह अब लागू नहीं होता और उन्होंने चोग्याल का पद समाप्त पहले ही कर दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अधिनियम का निरसन नहीं किया है।

**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** निरसन करना अथवा न करने का यह प्रश्न नहीं है। यह एक राजनीतिक तथ्य है कि जनमत के द्वारा इस पद को समाप्त किया जा चुका है। राजनीतिक तथ्य यह है कि सिक्किम सरकार अधिनियम इस समय लागू नहीं है। इस संविधान संशोधन से हम बिल्कुल नई स्थिति में आ जायेंगे। हम उस कानून को निरसित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह मारे हुए को मारने के समान है।

इस समय वहां सिक्किम सरकार अधिनियम लागू न रह कर जनता की इच्छा का राज है। हमें इस असामान्य स्थिति का सामना करना है जो एक राजनीतिक क्रांति की स्थिति है।

चोग्याल का पद समाप्त हो गया है। सिक्किम की जनता ने उसे समाप्त किया है। हम तो जनता की इच्छा की पालन कर रहे हैं। इस संविधान संशोधन के पीछे यह तथ्य है जिसे भुला नहीं देना चाहिये।

इस विधेयक के अधिनियम बनते ही सिक्किम एक सामान्य राज्य हो जायेगा। उसमें कार्यकारी अधिकारी के लिये कोई स्थान नहीं है। वहां एक सामान्य राज्य, सामान्य विधान मण्डल, सामान्य उच्च न्यायालय, सामान्य मंत्रिपरिषद और सामान्य राज्यपाल हो जायेगा।

संविधान संशोधन द्वारा जन्म ले रहा सिक्किम राज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य राज्य। राज्यों को समान दर्जा देने के लिये संविधान में कई उपबन्ध हैं। प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग-अलग है उसके अनुसार कुछ व्यवस्था करनी होती है। कभी-कभी हमें किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लागू उपबन्धों की उपेक्षा करनी होती है। सिक्किम में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। इसके पीछे एक इतिहास है तथा उसका शान्ति से सामना करना है और अन्ततः राष्ट्रपति के आदेशानुसार स्वविवेक का प्रयोग करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ होगा वह मंत्रिमण्डल की सलाह से होगा जो इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह कहना गलत है कि सिक्किम का दर्जा राज्य से कुछ कम होगा।

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair. ]

कुछ सदस्यों ने भूटान का उल्लेख किया है। भूटान के नरेश को कभी भी भारत का नरेश नहीं माना गया। हमें गलत तुलना नहीं करनी चाहिए। श्री समर मुखर्जी ने अन्तर्राष्ट्रीय विचार धारा की बात कही है। पता नहीं उन्हें किस अन्तर्राष्ट्रीय विचार धारा का डर है।

चोग्याल और जनता के बीच कुछ समझौता कराने का प्रयत्न किया गया था। परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली पहले वह वहां का सामन्ती महाराजा था। फिर उसे संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं उन्होंने पूरे संविधान को समाप्त करने का प्रयत्न किया।

पूछा गया है कि चोग्याल का क्या होगा? यह तो उन पर ही निर्भर करता है। वह अब चोग्याल नहीं रहे। हम भारत के अन्य नागरिकों के समान उनका और उनके परिवार का हित चाहते हैं। चोग्याल का चोग्याल बने रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मैंने उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है। अतः मैं सदन से इस विधेयक को सर्वसम्मत से स्वीकार करने की अपील करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूं, यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मत विभाजन द्वारा होगा।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**लोक सभा में मत-विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

**अध्यक्ष महोदय** : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

**पक्ष में 288 : विपक्ष में 12**

Ayes 288 : Noes 12

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। खण्ड 2 के लिये सरकार की ओर से एक संशोधन है।

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, लाइन 13-14—

"38th Amendment (38वां संशोधन) **के स्थान पर**

36th Amendment (36वां संशोधन)

**प्रतिस्थापित किया जाये"**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, लाइन 13-14—

"38 वां संशोधन " **के स्थान पर**

"36वां संशोधन"

**प्रतिस्थापित किया जाये।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का भाग बने।"

**लोक सभा में मत-विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

**अध्यक्ष महोदय** : विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

**पक्ष में 303 : विपक्ष में 10**

Ayes 303 : Noes 10

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।**

**Clause 2, as amended, was added to the Bill.**

खण्ड 3--

**श्री मधु लिमये** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. पृष्ठ 2,

लाइन 43 से 49 **का लोप किया जाये**

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** . मैं प्रस्ताव करता हूं :

4. पृष्ठ 2, लाइन 7,--

"38वां संशोधन" **के स्थान पर** "36वां संशोधन" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

5. पृष्ठ 4, लाइन 4-5,--

"38वां संशोधन" **के स्थान पर** "36वां संशोधन" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

6. पृष्ठ 4, लाइन 7-8,--

"38 वां संशोधन" **के स्थान पर** "36 वां संशोधन" **प्रतिस्थापित किया करे।**

**श्री समर गुह** : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 8, 10 11, 12, 13 पेश करता हूं।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** : मैं संशोधन संख्या 14 पेश करता हूं।

**श्री बी० वी० नायक** : मैं संशोधन संख्या 16 पेश करता हूं :

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : My amendment seeks to delete sub-clause (b) of proposed article 371 which deals with special powers for the Governor of Sikkim. This provision should be deleted from the Bill.

The Minister of External Affairs has drawn our attention to various provisions of the Constitution under which special powers are given to Governors of certain States. He especially mentioned Nagaland. The Governor of Nagaland is given special powers with respect to law and order in that state because there are internal disturbances occurring there. But the Government have not announced that there are internal disturbances in Sikkim. There is popular Government there. Therefore, reference to the case of Nagaland is not pertinent.

It appears that the Government is making this provision for special power for the Governor on the pattern of the Government of India Act, 1935. During British days special powers used to be given to Governors. Our Government is following in the footsteps of the Britishers.

Articles 256, 257, 353, 354, 356 and 365 give ample powers to the Centre to deal with an emergent situation in any state. In view of these provisions in the Constitution, there is no need for giving special powers to the Governor.

Whatever mistakes may have been committed in the past 23 years which perpetuated dictatorship in Sikkim and now that the Government want to open a new chapter, they should trust the elected representatives of the people of Sikkim. The Legislative Assembly and the Government of Sikkim should be treated at par with the Assemblies and Governments of other states.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : श्री लिमये का संशोधन वैसा ही है जैसा कि मैंने पेश किया है। श्री मधु लिमये ने जो कुछ कहा है मैं उसमें कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं। वैसे मैं अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूं।

हम ऐतिहासिक महत्व का राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। इस समय जबकि हम सिक्किम की जनता को अपने साथ मिलाने का स्वागत कर रहे हैं, लोकतन्त्र को सीमित करने वाले इस खंड को जोड़ना एक बेतुकी सी बात है। यह विचारधारा ठीक नहीं है कि उन्हें प्रतिबन्धित लोकतन्त्र दिया जाये और पूर्ण लोकतन्त्र न दिया जाये। इसका उन पर अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बाधायें हैं, जिन्हें हमें तोड़ना है। हमें वहां के राज्यपाल को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिये। अतः मैं इस उपबन्ध के विरूद्ध हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह लोकतन्त्र की भावना के विपरीत होगा। इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

**श्री समर गुहय** (कन्टाई) : विधेयक की भावना का स्वागत करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय जब यह भ्रमपूर्ण विधेयक सभा में पेश किया गया था तो आपको याद होगा उस समय हमने जनमत कराने की मांग की थी। किन्तु सरकार ने हमारी यह मांग अस्वीकार कर दी थी। इस तरह का जनमत तैयार करने की बजाय उन्होंने विधान सभा के संकल्प के आधार पर कार्यवाही की। उस समय तो सरकार ने हमारा सुझाव अस्वीकार कर दिया था किन्तु अब उन्होंने महसूस कर लिया है कि हमारा सुझाव अच्छा था।

बाहरी आलोचना की हमें परवाह नहीं करनी चाहिये। हम जानते हैं कि भारत जो कुछ करेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आलोचना किये बगैर नहीं रहेंगे।

विदेश मंत्री को विभिन्न देशों की जानकारी के लिये एक दस्तावेज तैयार करना चाहिये। सिक्किम भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का ही अंग रहा है और ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह भारत का ही अंग था। हमारे संविधान निर्माताओं की अधिक उदारता के कारण सिक्किम भारत से अलग रह गया।

लोक सभा के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन समिति मतदाताओं द्वारा ही क्यों हो ? ऐसा केवल 2 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। उनके 97,000 मतदाता हैं। प्रत्यायोगित प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है ? इसका अर्थ यह होगा कि जो व्यक्ति सिक्किम का प्रतिनिधित्व करेगा वह एक प्रकार का प्रत्यायोगित प्रतिनिधि होगा। वह हमारे राज्य सभा के सदस्य की तरह वहां की विधान सभा द्वारा चुना जायेगा। अतः मैं इसका विरोध करता हूं। लोक सभा के लिये अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु वहां की जनता को अधिकार दिया जाना चाहिये। जनमत तैयार कर देने पर वहां एक सप्ताह के अन्दर लोक-सभा के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जा सकता है। दूसरे वहां के विभिन्न लोगों की सामाजिक तथा अन्य समस्याओं को निर्धारित करने के लिये राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं। वहां लेप्चा तथा मोरिया जातियां हैं। वे वहां के बम्पसंख्यक लोगों से आशांकित है। भारतीय संसद का यह कर्तव्य है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। लेप्चा तथा मोरिया अपसंख्यक जातियां हैं। विधेयक में लेप्चा और मोरिया अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था की जानी चाहिये जैसे कि संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये है। इन अल्प-संख्यकों को आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनके अधिकारों, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी :

चोग्याल को पाच वर्षों के लिये कुछ सुविधायें दी जानी चाहिये। इस विधेयक के पारित होते ही सिक्किम भारत का एक राज्य बन जायेगा किन्तु चोग्याल का क्या होगा जिसे कुछ विशेषाधिकार तथा सुविधायें प्राप्त थीं? हम यह भी जानना चाहते हैं कि अब चोग्याल की क्या स्थिति रहेगी। इस सम्बन्ध में जो भी अधिसूचनायें जारी की जायें वे सभा के सामने रखी जानी चाहिये। राष्ट्रपति को अन्य राज्यों की तुलना में सिक्किम के बारे में अधिक अधिकार क्यों दिये जाने चाहिये?

मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह बताया कि सिक्किम को अन्य राज्यों के समान ही अधिकार तथा विशेषाधिकार दिये जायेंगे। इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सिक्किम के बारे में अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रपति को अधिक अधिकार क्यों दिये गये हैं? यदि सिक्किम को अन्य राज्यों की तरह ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है तो फिर खंड 3 की उपधारा (एन) रखने की क्या आवश्यकता है? एक ओर तो चव्हाण साहब ने विरोधी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में बताया था कि सिक्किम को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जायेगा। परन्तु विधेयक में ऐसी व्यवस्था है कि अन्य राज्यों की तुलना में सिक्किम के विशेषाधिकारों को कम कर दिया गया है। यही कारण है कि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** : संविधान की धारा 172 के उपबन्धों के अनुसार मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। खंड 3(ख)(एक) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि अप्रैल, 1974 में सिक्किम विधान सभा का जो चुनाव हुआ है, उस 32 सदस्यीय विधान सभा को संविधान के अनुच्छेद् 172 के अनुरूप गठित विधान सभा मानी जायेगी। खंड 3(ग) संविधान की धारा 172 के विरुद्ध है अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस खंड की धारा 172 की अनुरूप बनाने की दृष्टि से मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

**श्री बी० वी० नायक** : (कनारा) : मैंने दो संशोधनों की सूचना दी थी। जहां तक मेरे संशोधन संख्या 17 का सम्बन्ध है उसे तो मैं वापिस ही ले लेता हूं क्योंकि उनका मन्तव्य चर्चा के दौरान काफी स्पष्ट हो गया है। अपने दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के ही अनुच्छेद 392 के अनुसार जो व्यवस्था राष्ट्रपति की आकस्मिक परिस्थितियों सम्बन्धी शक्तियों के लिये की गई है, उनमें एक शब्द का परिवर्तन करने सम्बन्धी मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : पहले मैं श्री मधु लिमये तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधनों का उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि वह दोनों एक ही हैं। तथ्य तो यह है कि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां दूसरे से भिन्न होती है, यही कारण है कि उस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को कुछ विशेष प्रकर की जिम्मेवारियां सोंपी जाती है। रायज्पाल को इस सम्बन्ध में या तो परामर्श दिया जाता है या उसे कुछ ऐच्छिक शक्तियां दी जाती है।

सिक्किम एक सीमांत राज्य है। उससे सम्बन्द्ध कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी समस्यायें भी है जिनके लिये राष्ट्रपति को कुछ आदेश जारी करने पड़ते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये राज्य-पाल को कुछ ऐच्छिक शक्तियां प्रदान की गई है। इससे राज्य का दर्जा कम नहीं किया जा रहा है।

प्रो० समर गुह के संशोधन के संबंध में मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि जब तक यह लोक सभा रहेगी, तब तक लोक सभा के सदस्यों का चुनाव विधान सभा द्वारा ही किया जायेगा। आगामी चुनावों में सिक्किम के लोग लोक सभा के लिये सीधा चुनाव करेंगे।

अल्प संख्यकों आदि के लिये आयुक्त के संबंध में भी प्रयास किया गया है। इस संबंध में मुझे यही कहना है कि जब कभी इससे सबद्ध कोई समस्या उत्पन्न होगी, तो संसद द्वारा उससे सम्बद्ध कानून बना दिया जायेगा। चोग्याल तथा उसके पद को पांच वर्षों तक के लिये बनाये रखने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह संशोधन विधेयक की भावना तथा उद्देश्य के विपरीत है हां चोग्याल तथा उसके परिवार की रक्षा का दायित्व भारत द्वारा भारतीय नागरिक के रूप में ही निभाया जायेगा। एक संशोधन में कहा गया है कि जारी किये गये हर आदेश के संबंध में संसद की स्वीकृति ली जाये। ऐसा करने से अकारण विलम्ब होगा क्योंकि हमें अनेक उपाय शीघ्र करने है। श्री नायक से मेरा अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**Amendment No. 1 was put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : अब में श्री चव्हाण के संशोधन संख्या 4, 5 और 6 सभा के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 2, पंक्ति 7:—

Thirty-eighth Amendment (38वां संशोधन) के स्थान पर Thirty-sixth Amendment (36वां संशोधन) शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें।**

(संख्या 4)

पृष्ठ 4 पंक्तियां 4-5,—

'Thirty-eighth Amendment **(38वां संशोधन)' के स्थान पर** "Thirty-sixth Amendment (36वां संशोधन)" शब्द **प्रतिस्थापित किए जायें।**

(संख्या 5)

पृष्ठ 4, पंक्तियां 7-8,—

'Thirty-eighth Amendment' (38वां संशोधन) **के स्थान पर** 'Thirty-sixth Amendment' (36वां संशोधन) शब्द **प्रतिस्थापित किए जायें।**

(संख्या 6)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय : द्वारा श्री सनर गुह के संशोधन संख्या 7, 8, 10, 11, 12 और 13 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।**

**Amendments Nos. 7, 8, 10, 11, 12 and 13 were put and negatived.**

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री पी० वेंकटासुब्बया का संशोधन संख्या 14, जोकि सदन द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, सदन के मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है : पृष्ठ 2, पंक्ति 22 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

अनुच्छेद 172 के खण्ड (एक) में पांच वर्ष की अवधि का उल्लेख चार वर्ष की अवधि समझा जायेगा और चार वर्ष की यह अवधि नियत दिन से आरम्भ हुई मानी जायेगी।"

Page 2, *for* lines 22 to 25, *substitute*—

"(c) in the case of the Assembly deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim under clause (b), the references to the period of five years in clause (1) of article 172 shall be construed as references to a period of four years and the said period of four years shall be deemed to commence from the appointed day;"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** में श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह वही है जोकि श्री मधु लिमये का था।

**श्री बी० वी० नायक :** में अपने संशोधन संख्या 16 तथा 17 सभा की अनुमति से वापिस लेता हूं।

**संशोधन संख्या 16 तथा 17 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये**

**Amendment Nos. 16 and 17 were, by leave, withdrawn.**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

पक्ष में : 284 विपक्ष में : 8

**Ayes : 284 Noes : 8**

**प्रस्ताव सभा के समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ?।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 3, as amended, was added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्ड 4 और 5 को एक साथ लेंगे। प्रश्न यह है :

**"कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बनें"**

**लोक सभा में मत विभाजन* हुआ**

**The Lok Sabha divided.***

पक्ष म : 292 विपक्ष में : 12

**Ayes : 292 Noes : 12**

**प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

**Clauses 4 and 5 were added to the Bill.**

**खण्ड 1**

**श्री यशवंतराव चह्वाण :** में प्रस्ताव करता हूं :--

पृष्ठ 1, पंक्ति 3-4,--

'Thirty-eight Amendment' "38वां संशोधन" के स्थान पर 'Thirty-sixth Amendment' "36वां संशोधन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

पृष्ठ 1, पंक्ति 3-4,--

"Thirty-eight Amendment' 38वां संशोधन' **के स्थान पर** "Thirty-sixth Amendment". 36वां संशोधन' शब्द **प्रतिस्थापित किए जायें।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

**लोक सभा में मतविभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha divided.**

**पक्ष में : 292 विपक्ष : 6**

**Ayes : 292 Noes 6**

**प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खंड 1, संशोधित रूप विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 1, as amended, was added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

**अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री यशवंतराव चव्हाण** : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha divided.**

**पक्ष में : 299 विपक्ष में : 11**

**Ayes : 299 Noes : 11**

**प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्युन बहुमत से पारित हुआ।**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

---

**संविधान (37वां संशोधन) विधेयक**

THE CONSTITUTION (THIRTY-SEVENTH AMENDMENT) BILL

**गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के फलस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश 21 जनवरी 1972 को संघ शासित क्षेत्र बना। इस राज्य को एक प्रशासक के अधीन किया गया जिसे मुख्य आयुक्त की पदवी दी गई। संघ शासित क्षेत्र बनने से पूर्व इस क्षेत्र को नेफा की संज्ञा दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश के बनने से पूर्व, वहां एक एजेंसी परिषद हुआ करती थी। अब इस परिषद का स्थान प्रदेश परिषद ने ले लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित विषयों के प्रभारी पार्षदों की भी व्यवस्था है। प्रशासन सम्बन्धी मामलों में प्रशासक भी सलाह दे सकता है

यह व्यवस्था 2 अक्तूबर, 1972 से लागू है और वहां के स्थानीय नेता भी शासन को अपना पूर्ण सहयोग दे रहे है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों की अपनी अलग परम्परा और कानून व्यवस्था है ।

अरुणाचल प्रदेश के लोगों व वहां के नेताओं की यह इच्छा प्रबल होती जा रही है कि उनका भी अलग विधान मण्डल और मंत्री परिषद हो। अतः उन्हें वह दर्जा देने के लिये इस सदन ने विचार करना आवश्यक समझा जिससे वहां की जनता और नेता भी राज्य के प्रशासन में सक्रिय भागीदार बन सकें।

वास्तव में उत्तर-पूर्व के सात क्षेत्रों में यह सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल 83,000 वर्ग किलो मीटर है तथा जनसंख्या 4.7 लाख है। यह बड़ा रमणीक पहाड़ी क्षेत्र भी है जहां अनेक छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं और लोग बड़े हंसमुख हैं। यह क्षेत्र पांच जिलों में विभक्त है और लगभग 1300 किलोमीटर लम्बी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमने यह अनुभव किया है कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इन लोगों को प्रशासन में सहयोगी बनाया जाये वहां के लोगों का निर्वाचित विधान मण्डल तथा मंत्री परिषद हो।

यह एक छोटा सा विधेयक है; इसके द्वारा अनुच्छेद 239 (क) में तथा अनुच्छेद 240 के परन्तुक में 'अरुणाचल प्रदेश' शब्द जोड़े जाने हैं।

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे कुछ निवेदन करना है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप विधेयक पर तीसरे वाचन के समय बोल सकते है।

प्रश्न यह है:

"कि संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha divided.**

पक्ष में 289 : विपक्ष में कोई नहीं

**Ayes : 289** **Noes : Nil**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून मतों से पारित हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

पक्ष में 292 : विपक्ष में कोई नहीं

**Ayes : 292 Noes : Nil**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून मतों से पारित हुआ ।

**प्रस्ताव सवीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**
**Clauses 2 and 3 were added to the Bill.**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**
**The motion was adopted.**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**
**Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय ;** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**डा० रानेन सेन :** सभा ने सर्व सम्मति से संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया है । यह क्षेत्र कुछ महीने पहले 'नेफा' कहा जाता था तथा उस क्षेत्र में लोगों को कोई नागरिक स्वतंत्रता और जातांतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे ।

कहा जाता है कि कुछ महीने पहले संसद सदस्यों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये भी प्रवेश-पत्र लेना पड़ता था, अब हम उस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के नाम से नियमित रूप से निर्वाचित विधान मंडल बना रहे हैं ।

इस समूचे क्षेत्र में खेती की पुरानी व्यवस्था है। इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु इनकी सहायता की जानी चाहिये। वहां पर खेती और उद्योग का विकास किया जाना चाहिये।

अरुणाचल प्रदेश के लोगों के पिछड़ेपन का लाभ उठाकर मैदानी क्षेत्र के कुछ व्यापारी वहां चले गये हैं। इससे उस क्षेत्र की सामाजिक शांति में अस्थिरता आ गई है। सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि अविवेकी व्यापारी उस क्षेत्र में प्रवेश करके आतंक तथा शोषण न फैलायें क्योंकि इससे मैदानी क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है।

मैकमाहोन सीमा रेखा इसी क्षेत्र से गुजरती है। प्रसिद्ध बोमडिला दर्रा भी जिससे चीनी सेना नेफा तथा आसाम के कुछ क्षेत्र में घुस आई थी, इसी क्षेत्र में है। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर और तिब्बत के निकट होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिये ताकि वे धीरे-धीरे भारत की मुख्य धारा में मिल जायें।

**श्री सी० सी० गोहेन (नामनिर्देशित-आसाम उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)** अरुणाचल प्रदेश में विधान सभा और मंत्रि मंडल की व्यवस्था के लिये विधेयक प्रस्तुत करने के लिये मैं गृह मंत्री को बधाई देता हूं। इससे संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लोगों की चिरकालिक आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी।

यह कार्यवाही बहुत पहले की जानी चाहिये थी। मैं देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का आभारी हूं कि उन्होंने इस दुर्गम प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को समझा तथा वहां पर जनतांत्रिक सरकार की स्थापना आवश्यक समझी। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी मांगों के लिये आन्दोलनों और हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया। मुझे गर्व है कि प्रदेश की शांति प्रियता को कायम रखा जायेगा तथा देश के अन्य भाग भी इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे।

ब्रिटिश शासन के दौरान तथा स्वतंत्रता के पश्चात् 1952 तक यह क्षेत्र अत्यन्त उपेक्षित था। पूरे क्षेत्र में एक लोअर प्राइमरी तथा एक मिडिल इंगलिश स्कूल था। 1952 के बाद केन्द्रीय सरकार ने 'नेफा' का प्रशासन अपने हाथ में लिया और इसे विदेश मंत्रालय में रखा गया। चीनी आक्रमण क बाद इस क्षेत्र का प्रशासन गृह मंत्रालय को सौंपा गया।

अरुणाचल प्रदेश में धीरे-धीरे अनेक विकास कार्य हुए। वहां अनेक स्कूल खोले गये और पासी घाट में एक कालिज खोला गया। प्रदेश में अब 11 प्रतिशत साक्षरता है जो पहले शून्य थी। बहुत से कार्य अभी किये जाने शेष हैं। सत्ता को नौकरशाही के हाथों से लेकर जनता के हाथों सौंपना ही इस विधेयक का लक्ष्य एवं उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिये केन्द्र द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस क्षेत्र में अनेक आदिवासी तथा अर्ध आदिवासी समुदाय हैं। वहां की कठिन प्रथाओं एवं लोगों से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई के कारण चुनाव के लिये महिलायें आगे नहीं आ रही हैं। अतः वहां से एक महिला सदस्य का नाम निर्देशित किया जाना चाहिये।

**श्री दिनेश जोरदार** (मालदा) : विधेयक का स्वागत करते हुए मुझे कुछ बातें कहनी हैं। दूसरे भागों के लोग अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते। वहां पर सीमा सुरक्षा बल और सेना द्वारा किये जाने वाले शोषण और उत्पीड़न के समाचार वहां से बाहर नहीं आते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को न तो

प्रशासन से और न केन्द्र से न्याय मिल पाता है। उनकी शिकायतों पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश से आये माननीय सदस्य ने पहले ही कहा है कि वहां आदिवासी और अर्द्ध आदिवासी समुदाय हैं और उनकी बोलियां बहुत कठिन हैं। मनिपुर और अन्य राज्यों की तरह वहां आदिवासियों के हितों का ध्यान रखने के लिये जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं, वहां के आदिवासियों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था की जानी चाहिये।

वहां विधान सभा गठित होते ही समुचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि विधान सभा भंग कर दी जाये और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी**: मुझे प्रसन्नता है कि अरुणाचल के संसद सदस्य ने न केवल विधान सभा बनाय जाने अपितु सरकार द्वारा किये जा रहे सुधार कार्यों की प्रशंसा की है।

विपक्षी सदस्य ने अभी कहा कि वहां पर नागरिक स्वतंत्रता है भी अथवा नहीं। मुझे पता नहीं कि वह वहां गये भी हैं अथवा नहीं। वहां पर सीमा सुरक्षा बल नहीं है।

**श्री दीनेश जोरदार**: न केवल सीमा सुरक्षा बल, बल्कि अन्य सशस्त्र सेनायें भी वहां पर हैं।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी**: यह एक संवेदनशील क्षेत्र है और हमें यह देखने में सतर्क रहना चाहिये कि वहां शोषक लोग जाने ही न पावें। वहां के आन्तरिक नियम पहले की भांति लागू रहेंगे और इससे उस क्षेत्र से अवांछनीय तत्वों को जाने से रोका जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र के विकास कार्यों में पर्याप्त ध्यान देती रही है। तीसरी योजना का परिव्यय 7 करोड़ रुपये था, चौथी योजना में 17 करोड़ रुपये था। पांचवीं योजना में 63 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 1947 में वहां पर मोटर गाड़ी चलाने योग्य केवल 25 किलो मीटर सड़क थी। अब 3,000 किलो मीटर से भी लम्बी सड़कें हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पांचवीं योजना में प्रति 1000 व्यक्ति पर एक बिस्तर का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में विकास के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां के स्थानीय नेता बहुत सक्रिय हैं। वहां यत्र-तत्र कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। लेकिन इन सबको सुलझाना हमारा कर्तव्य है।

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

पक्ष में : 292 विपक्ष में कोई नहीं

**Ayes : 292 Noes : Nil**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

## सदस्यों की गिरफ्तारी

## ARREST OF MEMBERS

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से प्राप्त दिनांक 23 अप्रैल, 1975 के एक बेतार संदेश के बारे में सभा को सूचित करना है जिसमें बताया गया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती शकुंतला नायर, लोक सभा के सदस्यों, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 और 151 के अधीन 23 अप्रैल, 1975 को 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ में रखा गया।

**इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 25 अप्रैल, 1975/5 वैसाख, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday the 25th April, 1975/ Vaisakha 5, 1897 (Saka).]**

———



MGIPRRND—26 LSS/75 (N. S.-III)—8-9-75—200